



भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

चौथी
FOURTH

अनुदानों की पूरक मांगें SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केन्द्रीय सरकार के व्यय के लिए
FOR EXPENDITURE OF THE CENTRAL GOVERNMENT

2017-2018

(संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1) के उपखण्ड (क) के अनुसार संसद में प्रस्तुत। राष्ट्रपति की सिफारिश, जो मांगें पेश करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 115 के खण्ड (1)(क) और (2) के साथ पठित अनुच्छेद 113 के खण्ड (3) के अन्तर्गत आवश्यक है, प्राप्त कर ली गई हैं)
(Laid before Parliament in pursuance of sub-clause (a) of clause (1) of Article 115 of the Constitution. The recommendation of the President, required under clause (3) of Article 113 read with clauses (1)(a) and (2) of Article 115 of the Constitution for making the Demands has been obtained)

मार्च, March, 2018

परिचायक टिप्पणी

INTRODUCTORY NOTE

विषय : अनुदानों की पूरक मांगों का चौथा बैच 2017-2018.

Subject : Fourth Batch of Supplementary Demands for Grants, 2017-2018.

वर्ष 2017-18 की पूरक अनुदान मांगों के चौथे बैच में 72 अनुदान मांगें तथा 2 विनियोग हैं। ₹9,06,835.77 करोड़ के सकल अतिरिक्त व्यय को अधिकृत करने के लिए संसद का अनुमोदन मांगा गया है। इसमें से, निवल नकद व्यय के प्रस्तावों से संबंधित कुल खर्च ₹85,315.30 करोड़ है और सकल अतिरिक्त व्यय, जिसे मंत्रालयों/विभागों की बचत या बढ़ी हुई प्राप्तियों/वसूलियों से समतुल्य किया जाएगा ₹8,21,519.19 करोड़ है। इसके अतिरिक्त, नई सेवा या नई सेवा लिखत वाले मामलों में बचत पुनर्विनियोग के लिए व्यय की प्रत्येक मद हेतु एक लाख रुपए के साथ ₹128 लाख का सांकेतिक प्रावधान मांगा जा रहा है।

The Fourth batch of Supplementary Demands for Grants for 2017-18 includes 72 Grants and 2 Appropriations. Approval of the Parliament is sought to authorise gross additional expenditure of ₹9,06,835.77 crore. Of this, the proposals involving net cash outgo aggregate to ₹85,315.30 crore and gross additional expenditure, matched by savings of the Ministries/Departments or by enhanced receipts/recoveries aggregates to ₹8,21,519.19 crore. Besides, token provision of ₹128 lakh is being sought, one lakh for each item of expenditure, for enabling re-appropriation of savings in cases involving New Service or New Instrument of Service.

2. निवल नकद खर्च वाले अतिरिक्त व्यय की मदें निम्नानुसार हैं:-

2. The items of additional expenditure involving net cash outgo are as follows:

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नकद व्यय	Cash Outgo			
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
(क) नेटवर्क एकीकरण कार्य आईटी प्रवर्तन और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.	6.49	-	6.49
(ख) अदालती आदेशों के चलते अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure arising out of court orders.	5.77	-	5.77
(ग) ₹1993.28 करोड़ पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए और ₹41.66 करोड़ आईटी प्रवर्तन के तहत नेटवर्क एकीकरण और डाक प्रचालन का आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(c) For meeting additional expenditure of ₹1,993.28 crore towards pensionary charges and ₹41.66 crore towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.	1,837.24	-	1,837.24
(घ) आईटी प्रवर्तन के अंतर्गत नेटवर्क एकीकरण और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(d) For meeting additional expenditure towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.	-	11.14	11.14
(ङ) आईटी प्रवर्तन के अंतर्गत नेटवर्क एकीकरण और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(e) For meeting additional expenditure towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.	-	97.01	97.01
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
22. रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions			
रक्षा मंत्रालय के पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting additional expenditure for pensionary charges of Ministry of Defence.	9,260.00	-	9,260.00
पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION			
24. पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय	24 Ministry of Drinking Water and Sanitation			
(क) सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) स्कीम के अंतर्गत	(a) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (i) for the National Water Quality Submission for			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
आर्सेनिक और फ्लोराइड से ग्रस्त बस्तियों के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन (₹100.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत (₹349.00 करोड़)।	arsenic and Fluoride Habitations under the scheme National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (₹100 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹349 crore) for North Eastern Region States.	449.00	-	449.00
(ख) सामान्य सहायता अनुदान के लिए व्यय पूरा करना (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) स्कीम के अंतर्गत आर्सेनिक और फ्लोराइड से ग्रस्त बस्तियों के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन (₹900.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत (₹2651 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (i) for the National Water Quality Submission for arsenic and Fluoride habitations under the scheme National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (₹900 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin) (₹2651 crore) for States other than North Eastern Region.	3,551.00	-	3,551.00
वित्त मंत्रालय				
33. राजस्व विभाग				
(क) निम्नलिखित हेतु 1.(i) राज्य सरकारों को सीएसटी क्षतिपूर्ति (₹1384.59 करोड़) और (ii) जीएसटी लागू करने पर राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति (₹58999.99 करोड़) और 2. जीएसटी क्षतिपूर्ति का जीएसटी क्षतिपूर्ति में अंतरण (₹59831 करोड़) जारी करने के लिए।	(a) For (1) release of (i) CST compensations to State Governments (₹1384.59 crore) and (ii) compensation to state governments for revenue loss on roll out of GST (₹58999.99 crore) and (2) transfer of GST compensation to GST Compensation Fund (₹59831 crore).	61,215.58	-	61,215.58
(ख) निम्नलिखित हेतु (i) जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अंतरण (₹1,500 करोड़) और (ii) जीएसटी लागू करने पर राजस्व हानि के कारण विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को क्षतिपूर्ति जारी करना (₹1,499.99 करोड़)।	(b) For (i) transfer of GST compensation Cess to GST Compensation Fund (₹1,500 crore) and (ii) release of compensation to Government of Union Territories with legislature on account of revenue loss due to roll out of GST (₹1,499.99 crore).	1,499.99	-	1,499.99
34. प्रत्यक्ष कर				
वेतन हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹50 करोड़) और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹255.09 करोड़)।	For meeting additional expenditure towards Salaries (₹50 crore) and other establishment related expenditure (₹255.09 crore).	305.09	-	305.09
37. ब्याज भुगतान				
बाजार ऋणों का ब्याज भुगतान, नकद प्रबंधन, बिल पर छूट, राजकोषीय ऋणों, ऋण प्रबंधन, स्वर्ण मौद्रिकरण स्कीम, अर्थोपाय अग्रिम, बाजार स्थिरीकरण स्कीम, गैर सरकारी भविष्य निधि की विशेष जमा राशि, अन्य विशेष जमा राशि और अन्य देनदारियों पर ब्याज हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹10,364.03 करोड़)।	For meeting expenditure towards Interest Payment on Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Treasury Bills, Management of Debt, Gold Monetization Scheme, Ways and Means Advances, Market Stabilisation Scheme, Special Deposits of Non Government Provident Fund, Other Special Deposits and Interest on Other Obligations (₹10,364.03 crore).	5,721.90	-	5,721.90
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय				
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग				
सीजीएचएस पेंशन भोगियों के अस्पताल में भर्ती होने के लिए सीजीएचएस पैनेल के अस्पतालों के चिकित्सा बिलों के निपटान के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	For meeting expenditure towards settlement of Medical Bills of CGHS empanelled hospitals for hospitalisation of CGHS pensioners.	200.00	-	200.00

MINISTRY OF FINANCE**33 Department of Revenue**

- (a) For (1) release of (i) CST compensations to State Governments (₹1384.59 crore) and (ii) compensation to state governments for revenue loss on roll out of GST (₹58999.99 crore) and (2) transfer of GST compensation to GST Compensation Fund (₹59831 crore).
- (b) For (i) transfer of GST compensation Cess to GST Compensation Fund (₹1,500 crore) and (ii) release of compensation to Government of Union Territories with legislature on account of revenue loss due to roll out of GST (₹1,499.99 crore).

34 Direct Taxes

- For meeting additional expenditure towards Salaries (₹50 crore) and other establishment related expenditure (₹255.09 crore).

37 Interest Payments

- For meeting expenditure towards Interest Payment on Market Loans, Discount on Cash Management Bills, Treasury Bills, Management of Debt, Gold Monetization Scheme, Ways and Means Advances, Market Stabilisation Scheme, Special Deposits of Non Government Provident Fund, Other Special Deposits and Interest on Other Obligations (₹10,364.03 crore).

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE**42 Department of Health and Family Welfare**

- For meeting expenditure towards settlement of Medical Bills of CGHS empanelled hospitals for hospitalisation of CGHS pensioners.

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
संघ राज्य क्षेत्र (विधानमंडल रहित)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उपग्रह ट्रांसपोंडर्स को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹56.95 करोड़)।	49 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional expenditure for hiring of satellite transponders (₹56.95 crore).	40.53	-	40.53
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि का अंतरण (₹100 करोड़) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के अंतर्गत अन्वेषण क्रियाकलाप के तहत व्यय पूरा करना।	65 Ministry of Mines For meeting expenditure towards transfer of National Mineral Exploration Fund (₹100 crore) and expenses for Exploration Activities under National Mineral Exploration Trust (NMET).	100.00	-	100.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹194.21 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹190 करोड़) सीएसआईआर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए तथा (ii) सामान्य सहायता अनुदान (₹0.25 करोड़) औद्योगिक अनुसंधान और विकास के तहत प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रचार (ए2के+) हेतु ज्ञान की सुलभता स्कीम के लिए।	86 Department of Scientific and Industrial Research For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹194.21 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹190 crore) for National Laboratories of CSIR and (ii) Grants-in-aid General (₹0.25 crore) for the scheme Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) under Industrial Research & Development (IR&D).	183.70	-	183.70
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
90. सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय (क) व्यय पूरा करने हेतु (1) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन (₹46.34 करोड़), (ii) सहायक साधनों एवं उपकरणों की खरीद/फ़ीटिंग के लिए दिव्यांगजन को सहायता (₹42.11 करोड़), (iii) राष्ट्रीय न्यास को सहायता (₹3.72 करोड़) और (4) राष्ट्रीय संस्थान को सहायता (₹9.10 करोड़), 2. इन स्कीमों के अंतर्गत वेतन संबंधी सामान्य सहायता अनुदान हेतु (i) राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (₹10 करोड़) और (ii) संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र संस्थान की स्थापना (₹1 करोड़), 3. राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹14.48 करोड़) और 4. इन स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/वजीफा (i) दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप (₹11.17 करोड़) (ii) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹2.70 करोड़) और (iii) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति (₹5.45 करोड़)।	90 Department of Empowerment of Persons with Disabilities (a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General under the Scheme (i) Implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 (₹46.34 crore), (ii) Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting of Aids and Appliances (₹42.11 crore), (iii) Support to National Trust (₹3.72 crore) and (4) Support to National Institute (₹9.10 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the Scheme (i) Support to National Institutes (₹10 crore) and (ii) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training Centre (₹1 crore) 3. Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme "Support to National Institutes" (₹14.48 crore) and 4. Scholarships/Stipend under the scheme (i) National Fellowship for Persons with Disabilities (₹11.17 crore), (ii) Pre-Matric Scholarship for Students with			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) व्यय पूरा करने हेतु 1. दिव्यांगजन के लिए सहायक साधनों एवं उपकरणों की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹7.89 करोड़) और 2. इन स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/वजीफे (i) दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय फैलोशिप (₹1.24 करोड़) (ii) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹0.30 करोड़) और (iii) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति (₹0.60 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General under the Scheme Aids and Appliances for Handicapped Persons (₹7.89 crore) and 2. Scholarships/Stipend under the scheme (i) National Fellowship for Persons with Disabilities (PwDs) (₹1.24 crore) (ii) Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities (₹0.30 crore) and (iii) Post Matric Scholarship for Students with Disabilities (₹0.60 crore).	88.45	-	88.45
(ग) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹9.30 करोड़) व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-Aid General under the Scheme for Implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 (₹9.30 crore).	7.89	-	7.89
		3.66	-	3.66
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
(क) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) कार्यालय व्यय (₹0.85 करोड़) (ii) किराया, दर और कर (₹1.67 करोड़)।	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Office Expenses (₹0.85 crore) (ii) Rent, Rates & Taxes (₹1.67 crore).	2.52	-	2.52
(ख) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए घरेलू यात्रा व्यय (₹0.25 करोड़), कार्यालय व्यय (₹0.30 करोड़) और प्रकाशन (₹0.20 करोड़) (ii) "जनजातीय उत्पादों के विकास एवं क्रय-विक्रय के लिए संस्थागत सहायता" योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iii) "निगरानी एवं मूल्यांकन" योजना के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹1 करोड़)।	(b) For meeting the additional expenditure towards (i) Domestic Travel Expenses (₹0.25 crore), Office Expenses (₹0.30 crore) and Publication (₹0.20 crore) for National Commission of Scheduled Tribes (NCST) (ii) Grants in aid-Salaries under the scheme "Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products" (₹3.20 crore) and (iii) Other Charges under the scheme "Monitoring & Evaluation" (₹1 crore).	0.75	-	0.75
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
98. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए।	(a) For providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of National River Conservation Plan.	224.55	-	224.55
(ख) निम्नलिखित प्रदान करने हेतु 1. स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (i) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (₹260.31 करोड़) (ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) (₹200.78 करोड़) 2. नदी प्रबंधन क्रियाकलाप स्कीम और सीमावर्ती क्षेत्र संबंधी निर्माण कार्य के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹41.95 करोड़)।	(b) For providing 1. Grants for creation of Capital Assets under the scheme (i) Flood Management Programme (₹260.31 crore) (ii) Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (Har Khet ko Pani) (₹200.78 crore) 2. Grants-in-aid General under the scheme of River Management Activities and Works related to Border Areas (₹41.95 crore).	503.04	-	503.04
कुल नकद व्यय	Total Cash Outgo	85,207.15	108.15	85,315.30

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
3. पूरक अनुदानों की मांगों के इस बैच में ₹8,21,519.19 करोड़ के लिए तकनीकी पूरक अनुदानों/विनियोगों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं, जिसे अतिरिक्त प्राप्तियों/वसूलियों या मंत्रालयों/विभागों की तदनुसूची बचतों द्वारा समतुल्य किया गया है। मदें निम्नानुसार हैं :	3. This batch of Supplementary Demands for Grants includes proposals for technical supplementary grants/appropriations for ₹8,21,519.19 crore which are matched by additional receipts/recoveries or corresponding savings of the Ministries/Departments. The items are as follows :			
तकनीकी पूरक मांग अनुदान	Technical Supplementary Demands for grants			
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
सीएए-रूसी क्रेडिट के निर्देशन के अनुसार केकेएनपीपी-3 और 4 के लिए ऋण हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹550 करोड़)।	For meeting additional requirement for loan for Kundankulam Nuclear Power Project (KKNPP)-3&4 against Russian Credit (₹550 crore)	-	92.86	92.86
आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)			
5. आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	5 Ministry of Ayurveda, Yoga And Naturopathy, Unani, Siddha And Homoeopathy (AYUSH)			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹17.16 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹16.63 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹18.90 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतर खाता अंतरण (₹490.50 करोड़) (v) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.82 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹17.16 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹16.63 crore) (iii) Grants-in-aid Salary under various schemes (₹18.90 crore) (iv) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF)(₹490.50 crore) and (v) Professional Services under National AYUSH Mission (₹0.82 crore).	13.82	-	13.82
(ख) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹36 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹50 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹36 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹50 crore) under the scheme National AYUSH Mission.	86.00	-	86.00
(ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹181.68 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹209 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹181.68 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹209 crore) under the scheme National AYUSH Mission.	390.68	-	390.68
(घ) सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए (₹1.50 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1.50 करोड़) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹1.50 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹1.50 crore) under the scheme National AYUSH Mission.	3.00	-	3.00
नागर विमानन मंत्रालय	MINISTRY OF CIVIL AVIATION			
9. नागर विमानन मंत्रालय	9 Ministry of Civil Aviation			
संविदागत उड़ान प्रचालन निरीक्षकों की परिलब्धियों के भुगतान हेतु व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करने के लिए।	For providing additional funds under Professional Services for payment of emoluments to contractual Flight Operations Inspectors.	2.00	-	2.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
वाणिज्य मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE			
11. वाणिज्य मंत्रालय	11 Ministry of Commerce			
अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (i) अन्य प्रशासनिक खर्च के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन के अंतर्गत (₹3.25 करोड़) और मौजूदा वर्ष में तीन केंद्रों में क्रियाकलाप हेतु व्यय पूरा करने के लिए अन्य प्रभागों के लिए डब्ल्यूटीओ केंद्र के अंतर्गत (₹12.33 करोड़) और (ii) नेटवर्किंग केंद्र, फुटवेयर डिजाइन तथा विकास संस्थान के अंतर्गत (₹10.00 करोड़), कंप्यूटर नेटवर्किंग केंद्र, नेटवर्किंग केंद्र के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान, बाजार पहुंच पहल के अंतर्गत (₹9.75 करोड़), निर्यातकों को हवाई भाड़ा सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत, पंजीकरण प्रभागों की प्रतिपूर्ति और (₹0.50 करोड़) कंबोडिया, लाओस, म्यानमार तथा वियतनाम देशों हेतु परियोजना विकास निधि के लिए एक्जिम बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत।	For meeting additional requirement of (i) ₹3.25 crore under International Conference towards Other Administrative Expenses and ₹12.33 crore under Centre for WTO towards Other Charges to meet the expenditure for the activity within three centres in the current year and (ii) ₹10 crore under Networking Centre Footwear Design and Development Institute (FDDI), Computer Networking centre (CNC) towards Grant for Creation of Capital Assets for the Networking Centre (CNC), ₹9.75 crore under Market Access Initiative (MAI) under Grants-in-Aid General to support airfare to exporters, reimbursement of registration charges and ₹0.50 crore towards Project Development Fund for Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam Countries under Grants-in-Aid General for reimbursement to Exim Bank.	20.25	-	20.25
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
12. औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
(क) बौद्धिक संपदा कार्यालय आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण स्कीम के अंतर्गत भूमि की खरीद हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards purchase of land under the scheme Modernization and Strengthening of Intellectual Property Office.	-	30.55	30.55
(ख) प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केंद्र द्वारका में निवेश के लिए।	(b) For investment in Exhibition-Cum Convention Centre (ECC) Dwarka.	-	495.00	495.00
संचार मंत्रालय	MINISTRY OF COMMUNICATIONS			
13. डाक विभाग	13 Department of Posts			
पेंशन संबंधी प्रभागों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹1993.28 करोड़) और ₹41.66 करोड़ आईटी प्रवर्तन के अंतर्गत नेटवर्क एकीकरण और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण के लिए।	For meeting additional expenditure of ₹1993.28 crore towards pensionary charges and ₹41.66 crore towards network integration under IT Induction and modernisation of Postal Operations.	197.70	...	197.70
14. दूरसंचार विभाग	14 Department of Telecommunications			
(क) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure towards Optical Fibre Cable based network for Defence Services.	-	55.00	55.00
(ख) इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड में इक्विटी शामिल करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(b) For meeting additional expenditure towards equity infusion in Indian Telephone Industries Limited.	-	137.00	137.00
(ग) निम्नलिखित का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) हेमिसफेयर प्रोपर्टीज लिमिटेड (₹700 करोड़) और (ii) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क (₹700 करोड़)।	(c) For meeting additional expenditure towards (i) investment in Hemisphere Properties Limited (₹700 crore) and (ii) Optical Fibre Cable based network for Defence Services (₹700 crore).	-	1,331.54	1,331.54

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(घ) हेमिसफेयर प्रोपर्टीज लिमिटेड को ऋण देने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(d) For meeting additional expenditure for providing loans to Hemisphere Properties Limited.	-	51.00	51.00
रक्षा मंत्रालय	MINISTRY OF DEFENCE			
19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	19 Ministry of Defence (Misc.)			
(क) न्यायालयी आदेशों के कारण रक्षा लेखा विभाग हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(a) For meeting additional expenditure for Defence Accounts Department arising out of court orders.	0.87	-	0.87
(ख) पंजाब और हरियाणा न्यायालय के निर्णय को पूरा करने में बकाया वेतन के भुगतान हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹0.04 करोड़) और न्यायालयी आदेशों के अंतर्गत (₹0.01 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards payment of arrears of salary in satisfaction of judgement of Punjab and Haryana High Court (₹0.04 crore) and under court orders (₹0.01 crore).	0.05	-	0.05
(ग) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹1005.36 करोड़)।	(c) For meeting additional requirement for Ex-servicemen Contributory Health scheme (₹1,005.36 crore).	578.67	-	578.67
21. रक्षा सेवाओं का पूंजी परिव्यय	21 Capital Outlay of Defence Services			
थलसेना, नौ सेना, निर्माण कार्य के लिए वायु सेना के अंतर्गत भूमि हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure for land under Army, Navy and Works and Special Projects under Air Force.	-	113.31	113.31
22. रक्षा पेंशन	22 Defence Pensions			
रक्षा मंत्रालय के पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	For meeting additional expenditure for pensionary charges of Ministry of Defence.	0.23	-	0.23
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION			
23. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	23 Ministry of Development of North Eastern Region			
स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (i) पूर्वोत्तर परिषद-विशेष विकास परियोजनाएं (₹104 करोड़) और (ii) विदेशी सहायता प्राप्त उत्तर-पूर्व सड़क क्षेत्र विकास परियोजनाएं (₹30 करोड़)।	For providing Grants for Creation of Capital Assets under the schemes of (i) North East Council-Special Development projects (₹104 crore) and (ii) Externally Aided Projects for North East Road Sector Development (₹30 crore).	134.00	-	134.00
इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY			
26. इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	26 Ministry of Electronics and Information Technology			
(क) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संबंध में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी व्यय हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure towards salary and other establishment related expenditure in respect of National Informatics Centre.	8.50	-	8.50
(ख) इन मदों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) अनुसूचित जाति घटक के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹5.06 करोड़) और अनुसूचित जनजाति घटक के लिए (₹16.95 करोड़)। (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹80.00 करोड़) (iii) महिलाओं	(b) For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General in respect of "Electronic Governance" Scheduled Caste Component (₹5.06 crore) and Scheduled Tribe Component (₹16.95 crore) (ii) Grants-in-Aid General in respect of "Unique Identification Authority of India" (₹80 crore) (iii) Grants-			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
की सुरक्षा के सहायतार्थ पैनिक स्वीच आधारित सुरक्षा उपकरण का फील्ड परीक्षण और विकास परियोजना (₹1.06 करोड़)।	in-Aid General in respect of "Project Development and Field Testing of Panic Switch Based Safety Device for Aiding Women's Safety" (₹1.06 crore).	1.06	-	1.06
(ग) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के संबंध में अन्य प्रभागों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure towards other charges in respect of 'Foreign Trade and Export Promotion' as per the orders of the Hon'ble Supreme Court.	36.67	-	36.67
31. वित्तीय सेवाएं विभाग राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	31 Department of Financial Services For meeting expenditure for transfer to National Investment Fund.	-	7,832.00	7,832.00
33. राजस्व विभाग (क) निम्नलिखित हेतु 1. (i) राज्य सरकारों को सीएसटी क्षतिपूर्ति (₹1,384.59 करोड़) और (ii) जीएसटी लागू करने पर राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति (₹58,999.99 करोड़) और 2. जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति का अंतरण (₹59,831 करोड़) जारी करना। (ख) निम्नलिखित हेतु 1. (i) जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण (₹1,500 करोड़) और (ii) जीएसटी लागू करने पर राजस्व हानि के कारण विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकार को क्षतिपूर्ति जारी करना (₹1,499.99 करोड़)।	33 Department of Revenue (a) For (1) release of (i) CST compensations to State Governments (₹1,384.59 crore) and (ii) compensation to state governments for revenue loss on roll out of GST (₹58,999.99 crore) and (2) transfer of GST compensation to GST compensation fund (₹59,831 crore). (b) For (i) transfer of GST compensation Cess to GST Compensation Fund (₹1,500 crore) and (ii) release of compensation to Government of Union Territories with legislature on account of revenue loss due to roll out of GST (₹1,499.99 crore)	59,000.00 1,500.00	-	59,000.00 1,500.00
38. ऋण की पुनर्अदायगी राजकोषीय हुंडियों, स्वीचिंग, अर्थोपाय अग्रिम और अंतरराष्ट्रीय वित्त संस्थाओं को जारी प्रतिभूतियों के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	38 Repayment of Debt For meeting additional requirement for Treasury Bills, Switching, Ways and Means Advances and Securities issued to International Financial Institutions.	-	6,94,966.17	6,94,966.17
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE			
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1261.48 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹3,351.28 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹2037.44 करोड़) (iv) आपूर्ति की खरीद, आईईसी क्रियाकलाप, जनशक्ति/सेवाओं का बाह्य स्रोतन, प्रशिक्षण देना, सर्वेक्षण करना और स्थापना संबंधी अन्य व्यय (जैसे बिजली और पानी प्रशुल्क, आरआरटी, एफटीई आदि) के लिए विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत (₹63.86 करोड़) और (v) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतर-खाता अंतरण (₹26073.82 करोड़)।	42 Department of Health and Family Welfare (a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the various schemes (₹1261.48 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries under the various schemes (₹3,351.28 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹2037.44 crore) (iv) towards procurement of supplies, IEC activities, outsourcing of manpower/services, imparting training, conducting surveys, and other establishment related expenditure (like electricity, water tariffs, RRT, FTE, etc.) under various institutions (₹63.86 crore) and (v) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF) (₹26073.82 crore).	6,697.07	-	6,697.07

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹50.94 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹50.45 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹12.05 करोड़) (iv) आपूर्ति की खरीद, आईईसी क्रियाकलाप, जनशक्ति/सेवाओं का बाह्य स्रोतन, प्रशिक्षण देना, सर्वेक्षण करना और स्थापना संबंधी अन्य व्यय (जैसे बिजली और पानी प्रशुल्क, आरआरटी, एफटीई आदि) के लिए विभिन्न संस्थाओं के अंतर्गत (₹1,449.60 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹50.94 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries under various schemes (₹50.45 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the various schemes (₹12.05) (iv) procurement of supplies, IEC activities, outsourcing of manpower/services, imparting training, conducting surveys, and other establishment related expenditure (like electricity, water tariffs, RRT, FTE, etc.) under various institutions (₹1,449.60 crore).	1,558.25	-	1,558.25
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1,580.76 करोड़) और (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹124.94 करोड़)	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹1,580.76 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹124.94 crore).	1,679.70	-	1,679.70
(घ) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹14,604.46 करोड़) और (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹817.83 करोड़)	(d) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹1,4604.46 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹817.83 crore).	15,065.65	-	15,065.65
(ङ.) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने हेतु (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹215.06 करोड़) और (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹17.99 करोड़)	(e) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹215.06 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹17.99 crore).	225.55	-	225.55
(च) राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता का व्यय पूरा करने हेतु।	(f) For meeting expenditure for Material Assistance for strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication.	2,168.22	-	2,168.22
(छ) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय करने के लिए (i) 3.0 टेस्ला एमआरआई मशीन (₹13.90 करोड़) की खरीद के लिए मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली, (ii) लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली (₹0.46 करोड़) - मोटर वाहन ₹0.15 करोड़ और प्रमुख कार्य के लिए - ₹0.31 करोड़ (iii) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (वायरल लोड परीक्षण मशीन की खरीद के लिए मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत ₹10 करोड़) (iv) एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि के सहयोग से) (₹2204.80 करोड़ जिसमें मशीनरी और उपकरण के लिए ₹890 करोड़ और प्रमुख कार्य के लिए ₹1314.80 करोड़ शामिल हैं)।	(g) For meeting additional expenditure for (i) Lady Hardinge Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi under Machinery & Equipment for procurement of 3.0 Tesla MRI Machine (₹13.90 crore), (ii) Lady Reading Health School, New Delhi (₹0.46 crore) Motor Vehicle (₹0.15 crore) and for Major Works (₹0.31 crore), (iii) National AIDS Control Organisation (₹10 crore under Machinery & Equipment for procurement of Viral Load Testing Machine) and (iv) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (Support from National Investment Fund) (₹2204.80 crore which includes ₹890 crore for Machinery & Equipment and ₹1314.80 crore for Major Works).	-	2,214.80	2,214.80

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ज) एम्स टाइप सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (प्रमुख निर्माण कार्य हेतु राष्ट्रीय निवेश निधि)।	(h) For meeting expenditure towards establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (National Investment Fund for Major Works).	-	10.00	10.00
(झ) एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों के उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹32.90 करोड़ जिसमें मशीन एवं उपकरण के लिए (₹12.90 करोड़) और प्रमुख निर्माण करने के लिए ₹20 करोड़) शामिल हैं।	(i) For meeting expenditure towards establishment of AIIMS Type Super-Specialty Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Government Hospitals (National Investment Fund) (₹32.90 crore which includes ₹12.90 crore for Machinery and Equipment and ₹20 crore for Major Works).	-	32.90	32.90
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग निम्नलिखित व्यय पूरा करने हेतु (i) सामान्य सहायता अनुदान (₹653.60 करोड़) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹290 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹470 करोड़) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के लिए और (ii) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतर खाता अंतरण (₹1,413.60 करोड़)	43 Department of Health Research For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹653.60 crore, Grants for Creation of Capital Assets (₹290 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹470 crore) for Indian Council of Medical Research (ICMR) and (ii) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF) (₹1,413.60 crore).	1,413.60	-	1,413.60
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
46. गृह मंत्रालय (क) वेतन, एमटी, डीटीए, किराया, कर अन्य प्रशासनिक खर्च, लघु निर्माण कार्य, वृषाधिक सेवाएं और आईटी कार्यालय खर्च के लिए व्यय पूरा करना। (ख) राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल (एनडीआरएफ) के वेतन, चिकित्सा उपचार और डीटीए खर्च का व्यय पूरा करने के लिए।	46 Ministry of Home Affairs (a) For meeting expenditure towards Salaries, MT, DTA, Rent, Tax Other Administrative Expenses, Minor Works, Professional Services and IT Office Expenses. (b) For meeting expenditure toward Salaries, Medical Treatment & DTA Expenses for National Disaster Response Force (NDRF).	5.00 26.07	- -	5.00 26.07
48. पुलिस (क) व्यय पूरा करने हेतु (i) वेतन (₹147 करोड़) (ii) घरेलू यात्रा व्यय (₹97.56 करोड़) (iii) विदेश यात्रा खर्च (₹3.51 करोड़) (iv) लघु निर्माण कार्य (₹30.16 करोड़) (v) अन्य प्रभार (₹37.06 करोड़) (vi) अस्त्र-शस्त्र और गोला बारूद (₹53.87 करोड़) (vii) व्यावसायिक सेवाएं (₹3.74 करोड़) करोड़) (viii) पीओएल (₹4.51 करोड़) (ix) प्रकाशन (₹1.44 करोड़) (x) विज्ञापन और प्रचार (₹0.10 करोड़) (xi) अन्य प्रशासनिक व्यय (₹0.85 करोड़) (xii) कार्यालयी व्यय (₹44.74 करोड़), आईटी (ओई) (₹28.05 करोड़) (xiii) पुरस्कार (₹0.50 करोड़) (xiv) कपड़े और टेनेज (₹31 करोड़) (xv) अनुसंधान (₹109 करोड़); सीमा चेक पोस्ट ₹20 करोड़, कल्याण अनुदान 30 ₹करोड़, क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेज पेश करना ₹18.88 करोड़, अन्य सरकार/विभाग को प्रदत्त प्रभार (₹50 करोड़)।	48 Police (a) For meeting expenditure for (i) Salaries (₹147 crore) (ii) Domestic Travel Expenses (₹97.56 crore) (iii) Foreign Travel Expenses (₹3.51 crore) (iv) Minor Works (₹30.16 crore) (v) Other Charges (₹37.06 crore) (vi) Arms & Ammunition (₹53.87 crore) (vii) Professional services (₹3.74 crore) (viii) POL: (₹4.51 crore) (ix) Publication (₹1.44 crore) (x) Advertising & Publicity (₹0.10 crore) (xi) Other Administrative Expenses (₹0.85 crore) (xii) Office Expenses (₹44.74 crore), IT (OE): ₹28.05 crore (xiii) Rewards (₹0.50 crore) (xiv) Clothing & Tentage (₹31 crore) (xv) Research (₹109 crore); Border Check Post (₹20 crore), Welfare Grants (₹30 crore), Production of Cryptographic documents (₹18.88 crore), Charges paid to other Government/ Department (₹50 crore).	539.83	-	539.83

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) बटालियन और भारत आरक्षित बटालियन/विशेष भारत आरक्षित बटालियन की तैनाती के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants for creation of capital assets for Deployment of Battalions and India Reserve Battalion/Special India Reserve Battalion.	43.47	-	43.47
संघ राज्य क्षेत्र (बिना विधान मंडल वाले)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
49. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह उपग्रह ट्रांसपोंडर्स को किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (₹56.95 करोड़)।	49 Andaman and Nicobar Islands For meeting additional expenditure for hiring of satellite transponders (₹56.95 crore).	13.56	-	13.56
51. दादर और नगर हवेली (क) सात गांवों में एकीकृत जल प्रबंधन योजना के क्रियान्वयन हेतु पंचायत को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	51 Dadra and Nagar Haveli (a) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for implementation of Integrated Water Management Plan in seven villages.	60.00	-	60.00
(ख) प्रदेश में विभिन्न गांवों में चेक डैम के निर्माण के लिए पंचायत को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना।	(b) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for construction of Check Dams in various villages in Territory.	5.00	-	5.00
(ग) गांव की सड़कों के विस्तार एवं चौड़ीकरण, तूफानी पानी की निकासी का निर्माण और विभिन्न गांवों में लघु सेतुओं के निर्माण हेतु पंचायत को पूंजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान देना (₹ 5 करोड़)।	(c) For providing Grants for Creation of Capital Assets to Panchayat for asphaltting and widening of village roads, construction of storm water drainage and minor bridges in various villages (₹5 crore).	1.38	-	1.38
52. दमन और दीव दीव में शिक्षा केंद्र के विकास एवं दमन में इंजीनियरिंग भवन के निर्माण के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	52 Daman and Diu For meeting the additional expenditure under Major Works for development of education hub at Diu and construction of engineering building at Daman.	-	28.37	28.37
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION			
56. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय (क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी हेतु क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (₹400 करोड़) (ii) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु सब्सिडी (₹ 400 करोड़)।	56 Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation (a) For meeting expenditure towards (i)Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for EWS/LIG (₹400 crore). (ii) Subsidies for CLSS for EWS/LIG (₹400 crore).	400.00	-	400.00
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.46 करोड़) और (ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के अंतर्गत विगत देनदारियों की स्कीम के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General for Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme. (₹0.46 crore) and (ii) Grants for creation of Capital assets under the scheme of past Liabilities of DAY-NULM Scheme (₹20 crore).	20.00	-	20.00
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹1,900 करोड़)। (ii) पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (एससी घटक) (₹ 200 करोड़)	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants for creation of Capital Assets (₹1,900 crore), (ii) Grants for creation of Capital assets (SC component) (₹200			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और (एसटी घटक) (₹ 100 करोड़) प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम (शहरी) के लिए (iii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 230 करोड़)।	crore) and (ST Component) (₹100 crore), for the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) (iv) Grants in aid General for Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission Scheme(DAY NULM) (₹230 crore).	2,430.00	-	2430.00
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) केंद्रीय विद्यालय संगठन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 398.40 करोड़) और नवोदय विद्यालय समिति (₹ 585.50 करोड़) (ii) केवीएस को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 480.80 करोड़) और एनवीएस (₹320.09 करोड़) (iii) केवीएस को सहायता अनुदान वेतन (₹ 3602.33 करोड़) और एनवीएस (₹1319.46 करोड़) (iv) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतरण खाता अंतरण (₹6,828.58 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹398.40 crore) and Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹588.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets to KVS (₹480.80 crore) and NVS (₹320.09 crore) (iii) Grants-in-aid Salary to KVS (₹3602.33 crore) and NVS (₹1319.46 crore) (iv) Inter Account Transfer to National Investment Fund (NIF) (₹6,828.58 crore).	6,828.58	-	6828.58
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹1164.50 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 4,171 करोड़) (iii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन (₹ 1,211 करोड़) और (iv) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-राष्ट्रीय निवेश निधि को सहायता स्कीम के अंतर्गत अंतर खाता अंतरण (₹ 6,403.50 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under various schemes (₹1,164.50 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under various schemes (₹4,171 crore) (iii) Grants-in-aid Salaries under various schemes (₹1,211 crore) and (iv) Inter Account Transfer under the scheme Support to Indian Institutes of Technology-National Investment Fund (₹6403.50 crore).	6,403.50	-	6403.50
विधि और न्याय मंत्रालय	MINISTRY OF LAW AND JUSTICE			
61. विधि और न्याय	61 Law and Justice			
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और वेरिफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स की आपूर्तिकर्ता को भुगतान करने के लिए मशीनरी और उपस्कर के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना।	For meeting the additional requirement under Machinery & Equipment to make payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails.	-	413.47	413.47
खान मंत्रालय	MINISTRY OF MINES			
65. खान मंत्रालय	65 Ministry of Mines			
राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि के अंतरण के लिए व्यय पूरा करना (₹ 100 करोड़) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के अंतर्गत अन्वेषण क्रियाकलापों के लिए खर्च।	For meeting expenditure towards transfer of National Mineral Exploration Fund (₹100 crore) and expenses for Exploration Activities under National Mineral Exploration Trust (NMET).	100.00	-	100.00
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS			
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	70 Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions			
(क) सीआईसी मुख्यालय के निर्माण के लिए राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भुगतान हेतु	(a) For meeting additional expenditure towards payment to National Buildings			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	Construction Corporation (NBCC) for construction of CIC Headquarters.	-	7.31	7.31
(ख) अखिल भारत सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम के लिए व्यय पूरा करने हेतु।	(b) For meeting expenditure towards House Building Advance (HBA) to All India Service Officers.	-	16.22	16.22
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS			
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	72 Ministry of Petroleum and Natural Gas			
फुलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान के लिए व्यय पूरा करना।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Phulphur-Dhamra-Haldia Pipeline Project.	400.00	-	400.00
74. विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
पूर्वोत्तर विद्युत निगम को अतिरिक्त इक्विटी प्रदान करना (₹ 200 करोड़)।	For providing additional equity to North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) (₹200 crore).	-	160.00	160.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80. रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways			
(क) अदालती डिक्रियों के चलते अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	2.93	-	2.93
(ख) अदालती डिक्रियों के चलते अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	247.76	-	247.76
(ग) अदालती डिक्रियों के चलते अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	0.01	-	0.01
(घ) भत्तों के लिए 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने पर कर्मचारियों पर लागत मरम्मत और रखरखाव की उच्चतर लागत, सुरक्षा संबंधी व्यय, नई पेंशन स्कीम तथा पेंशन संबंधी प्रभार के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए ₹1,598.88 करोड़।	(d) For meeting additional expenditure of ₹1,598.88 crore towards staff cost on implementation of recommendations of 7th Central Pay Commission on allowances, higher repairs and maintenance, safety related expenditure, New Pension scheme and pensionary charges.	300.62	-	300.62
(ङ) महत्वपूर्ण लाइनों के प्रचालन पर हानियों की क्षतिपूर्ति करने के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹1733.80 करोड़) और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को ई-टिकटिंग और प्रचालनात्मक लागत की प्रतिपूर्ति (₹1,733.80 करोड़)।	(e) For meeting additional expenditure towards providing reimbursement of losses on operation of strategic lines (₹1,733.80 crore) and reimbursement of operational cost on e-ticketing to Indian Railway Catering and Tourism Corporation (₹80 crore).	117.67	-	117.67
(च) अदालती डिक्रियों के चलते अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure arising out of court decrees.	-	613.71	613.71
(छ) महिला सुरक्षा हेतु रेलवे स्टेशनों पर बंद सर्किट कैमरा संस्थापित करने पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना।	(g) For meeting additional expenditure on installation of closed circuit cameras at Railway Stations towards women safety (₹100 crore)	-	0.01	0.01
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करना 1. राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतर खाता अंतरण के लिए	(a) For meeting expenditure 1. for inter-account transfer of funds to National			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
निधि (₹ 5,265 करोड़) 2. मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत (i) पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (₹ 4,670 करोड़) (ii) सीमा सड़क विकास बोर्ड (₹185 करोड़) (iii) सड़क स्कंध (₹ 400 करोड़), अन्य प्रशासनिक खर्च (₹ 10 करोड़) (iv) जापान अंतरराष्ट्रीय सहयोग एजेंसी विदेशी सहायताप्राप्त स्कीम (₹ 50 करोड़)।	Investment Fund (₹5,265 crore) 2. under Major Works for (i) Special Accelerated Road Development Programme for North East Areas (₹4,670 crore) (ii) Border Road Development Board (₹185 crore) (iii) Roads Wing (₹400 crore), Other Administrative Expenses (₹10 crore) (iv) Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹50 crore).	-	2,529.27	2,529.27
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
86. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करना (i) सीएसआईआर की राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹194.21 करोड़) और सहायता अनुदान वेतन (₹190 करोड़)। (ii) औद्योगिक अनुसंधान और विकास के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास तथा प्रचार (ए2के+) हेतु ज्ञान सुलभता स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.25 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹194.21 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹190 crore) for National Laboratories of CSIR and (ii) Grants-in-aid General (₹0.25 crore) for the scheme Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) under Industrial Research & Development (IR&D).	1.65	-	1.65
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87. पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
निम्नलिखित हेतु (i) तटीय शिपिंग बर्थ को सहायता के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹59.13 करोड़) और (ii) प्रकाशपोत की देयताओं में वृद्धि के कारण आरक्षित निधि में प्राप्तियों का अतिरिक्त अंतरण (₹7.20 करोड़)।	For (i) providing Grants for Creation of Capital Assets for Assistance to Coastal Shipping Berth (₹59.13 crore) and (ii) additional transfer of receipts to Reserve due to increase in receipt of Lighthouse dues (₹7.20 crore).	7.20	-	7.20
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT			
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	89 Department of Social Justice And Empowerment			
पीसीआर अधिनियम, 1955 और अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 को लागू करने के लिए मशीनरी का सुदृढ़ीकरण धारा के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under section Strengthening of Machinery for enforcement of PCR Act, 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989.	5.17	-	5.17
अंतरिक्ष विभाग	DEPARTMENT OF SPACE			
91. अंतरिक्ष विभाग	91 Department of Space			
विभिन्न अंतरिक्ष परियोजनाओं और स्कीमों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting the expenditure under various space projects and schemes.	340.27	-	340.27
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION			
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	92 Ministry of Statistics and Programme Implementation			
जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु।	For meeting additional requirement for Census, Survey and Statistics.	12.00	-	12.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
कपड़ा मंत्रालय	MINISTRY OF TEXTILES			
94. कपड़ा मंत्रालय	94 Ministry of Textiles			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) कपड़ा आयुक्त स्कीम के अंतर्गत वेतन (₹ 6 करोड़) और (ii) सुधार स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 300 करोड़)।	For meeting expenditure towards (i) salary under the scheme Textile Commissioner (₹6 crore) and (ii) other charges under the scheme Remission (₹300 crore).	10.00	-	10.00
जनजातीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) "विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूहों का विकास" (₹ 8 करोड़) (ii) "मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति" (₹ 53.90 करोड़) और (iii) "मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति" (₹ 90.23 करोड़) और 2. "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹25 करोड़)।	For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the schemes (i) "Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)" (₹8 crore), (ii) "Pre-Matric Scholarship" (₹53.90 crore) and (iii) "Post Matric Scholarship" (₹90.23 crore) and 2. Grants for creation of Capital Assets under the scheme "Support to Tribal Research Institutes" (₹25 crore).	144.13	-	144.13
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
97. शहरी विकास मंत्रालय	97 Ministry of Urban Development			
(क) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्थानीय निकायों को सेवाकर, किराया, बिजली और पानी के बिल का भुगतान (70.00 करोड़ रु.), (ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालय भवन के चल रहे कार्य और रखरखाव (₹30.00 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards (i) payment of Service Tax, Rent, Electricity and water bill to local bodies (₹70 crore) (ii) ongoing works and maintenance of Office Buildings of CPWD (₹30 crore)	100.00	-	100.00
(ख) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) का रखरखाव एवं मरम्मत (₹50 करोड़), (ii) जीपीआरए के संबंध में सेवाकर, किराया, बिजली और पानी के बिल का भुगतान (₹100 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) maintenance and repairs of General Pool Residential Accommodation (GPRA) (₹50 crore) (ii) payment of Service Tax, Rent, Electricity and water bill in respect of GPRA (₹100 crore).	150.00	-	150.00
(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए (i) स्मार्ट सिटी मिशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹52 करोड़) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹468 करोड़), (ii) स्वच्छ भारत मिशन के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹250 करोड़), (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (75 करोड़ रुपये) और ट्रांश-3 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की देनदारी पूरा करने के लिए (₹25 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹52 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹468 crore) for Smart Cities Mission (ii) Grants for Creation of Capital assets (₹250 crore) for Swachh Bharat Mission (iii) Grants-in-aid General for North Eastern Region Urban Development Programme (NERUDP) (₹75 crore) and to meet the liability of project commenced under Tranche-3 (₹25 crore).	870.00	-	870.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
98. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर के लिए निधियां प्रदान करना।	For providing funds for Machinery & Equipment under the scheme Research & Development Programme.	-	2.35	2.35

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
100. युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	100 Ministry of Youth Affairs and Sports			
निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए 1. इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) "25 राष्ट्रीय एकता शिविर और राष्ट्रीय युवा उत्सव" के लिए युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹6 करोड़) (₹4.54 करोड़ सामान्य घटक, एससीएसपी घटक के अंतर्गत ₹0.97 करोड़ और टीएसपी घटक के अंतर्गत ₹0.49 करोड़, (ii) "एक भारत श्रेष्ठ भारत" के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) (₹2.12 करोड़)। ₹1.63 करोड़ सामान्य घटक, ₹0.33 करोड़ एससीएसपी घटक और ₹0.16 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत, (iii) खेलो इंडिया (₹20 करोड़) और (iv) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹6 करोड़) ₹5 करोड़ रुपये सामान्य घटक, ₹0.50 करोड़ एससीएसपी घटक और ₹0.50 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत 2. इन योजनाओं के तहत वेतन सहायता अनुदान (i) एनवाईकेएस (₹4.01 करोड़) (ii) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹14.73 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को देय राशि (₹0.15 करोड़) 3. युवा छात्रावास वार्डन और प्रबंधक (₹0.12 करोड़) 4. विशेष नकद पुरस्कार (₹4.13 करोड़), 5. बांग्लादेश, पुर्तगाल और ट्यूनिशिया के विदेशी शिष्टमंडल पर हुए व्यय के भुगतान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹1 करोड़)।	For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid-General under the Schemes (i) National Programme for Youth and Adolescent Development (NPYAD) for "25 National Integration Camp and National Youth Festival" (₹6 crore) (₹4.54 crore General Component, ₹0.97 crore under SCSP Component and ₹0.49 crore under TSP Component), (ii) National Service Scheme (NSS) for "Ek Bharat Shresth Bharat" (₹2.12 crore) (₹1.63 crore General Component, ₹0.33 crore under SCSP Component and ₹0.16 crore under TSP Component), (iii) Khelo India (₹20 crore) and (iv) Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) (₹6 crore) (₹5 crore General Component, ₹0.50 crore under SCSP Component and ₹0.50 crore under TSP Component) 2. Grants-in-aid-Salaries under the Schemes (i) NYKS (₹4.01 crore) (ii) Sports Authority of India (₹14.73 crore) and (iv) National Anti-Doping Agency dues (₹0.15 crore) 3. Youth Hostel Wardens and Managers (₹0.12 crore) 4. Special Cash Awards (₹4.13 crore) 5. International Cooperation for payment of expenditure on foreign delegation of Bangladesh, Portugal and Tunisia (₹1 crore).	19.01	-	19.01
कुल तकनीकी	Total Technical	1,10,386.35	7,11,132.84	8,21,519.19
4. नीचे उल्लिखित मदों के संबंध में, ₹1 लाख की पूरक अनुदान भी लिए जाने का प्रस्ताव है, जिसके सामने दर्शाए गए व्यय को संबंधित अनुदान के राजस्व अथवा पूंजी खंड में बचत के पुर्नविनियोजन, जैसा भी मामला हो, से पूरा किया जाएगा।	4. Supplementary grants of ₹1 lakh each are also proposed to be taken in respect of items listed below, the expenditure indicated against which will be met by reappropriation of savings within the Revenue or Capital Section, as the case may be, of the relevant grant.			
सांकेतिक पूरक अनुदान मांगे	Token Supplementary Demands for grants			
कृषि और कृषक कल्याण मंत्रालय	MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE			
1. कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	1 Department of Agriculture, Cooperation and Farmers' Welfare			
(क) अतिरिक्त निधि प्रदान करना (i) सामान्य घटक के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अंशदान (₹479 करोड़) और अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक (₹143 करोड़) और (ii) नाफेड के दावों की प्रतिपूर्ति हेतु एमआईएस/पीएसएस के कार्यान्वयन के तहत सब्सिडियां (₹200 करोड़)।	(a) For providing additional (i) Contribution to Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna under General Components (₹479 crore) and Special Component Plan for Schedule Castes (₹143 crore) and (ii) Subsidies under implementation of MIS/PSS for reimbursement of claims of NAFED (₹200 crore).	822.00	-	822.00

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के अंतर्गत सामान्य घटक हेतु अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹ 70 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना हेतु (₹ 10 करोड़)।	(b) For providing additional Grants-in-aid General for General Components (₹70 crore) and for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹10 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation.	80.00	-	80.00
(ग) अतिरिक्त निधि प्रदान करना 1. सामान्य घटक के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 6 करोड़)। बीज एवं बागवानी सामग्री उपमिशन स्कीम के लिए जनजाति क्षेत्र उपयोग के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.80 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (₹ 12.10 करोड़) सामान्य घटक के अंतर्गत और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक (₹ 4 करोड़) कृषि यांत्रिकरण उपमिशन के अंतर्गत 3. निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) कृषि सहकारिता एकीकृत योजना (₹20 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जनजाति क्षेत्र उप-योजना (₹15 करोड़) और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (₹9 करोड़)।	(c) For providing additional 1. Grants-in-aid General (₹5 crore) and Grants for Creation of Capital Assets (₹6 crore) under General Components and Grants-in-aid General (₹0.80 crore) under Tribal Area Sub Plan for the scheme Sub-Mission on Seeds and Planting Material 2. Grants-in-aid General (₹12.10 crore) under General Component and Special Component Plan for Scheduled Castes (₹4 crore) under Sub-Mission of Agricultural Mechanization 3. Grants-in-aid General under (i) Integrated Scheme on Agricultural Cooperation (₹20 crore) (ii) Tribal Area Sub-Plan of National Food Security Mission (₹15 crore) and Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (₹9 crore).	71.90	-	71.90
2. कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग	2 Department of Agricultural Research and Education			
(क) यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है: (i) फसल विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹4.93 करोड़), बागवानी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा (₹0.73 करोड़), आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन (₹80.97 करोड़), कृषि विस्तार संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा (₹6.05 करोड़), कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान और शिक्षा (₹4.64 करोड़), प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा (₹1.83 करोड़), पशु विज्ञान संस्थान, डेयरी अनुसंधान संस्थान सहित अनुसंधान एवं शिक्षा योजनाएं (₹4.59 करोड़), मात्स्यिकी संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा (₹0.24 करोड़), (ii) केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखण्ड (₹0.45 करोड़) और 2. कृषि शिक्षा संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजना के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹1.90 करोड़)।	(a) For providing additional 1. Grants-in-aid General to (i) Indian Council of Agricultural Research under the schemes Crop Science Institutes, Research & Education (₹4.93 crore), Horticulture Institutes, Research & Education (₹0.73 crore), ICAR Headquarter Administration (₹80.97 crore), Agricultural Extension Institutes, Research & Education (₹6.05 crore), Agricultural Education Institutes, Research & Education (₹4.64 crore), Natural Resource Management Institutes, Research & Education (₹1.83 crore), Animal Science Institutes, Research & Education Schemes including Dairy Research Insitutes (₹4.59 crore), Fisheries Institutes, Research & Education (₹0.24 crore) (ii) Central Agricultural University, Bundelkhand (₹0.45 crore) and 2. Grants for Creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme Agricultural Education Institutes, Research & Education (₹1.90 crore).	106.33	-	106.33

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹0.28 करोड़) मुहैया कराने के लिए और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पशु विज्ञान संस्थान, अनुसंधान एवं शिक्षा योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹0.56 करोड़)।	(b) For providing additional Grants-in-aid General (₹0.28 crore) under the scheme Natural Resource Management Institutes, Research & Education and Grants for Creation of Capital Assets (₹0.56 crore) under the scheme Animal Science Institutes, Research and Education to Indian Council of Agricultural Research.	0.84	-	0.84
3. पशुपालन, डेयरी और मात्स्यिकी विभाग	3 Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries			
डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए।	For providing Grants-in-aid General under the scheme National Programme for Dairy Development.	0.64	-	0.64
परमाणु ऊर्जा विभाग	DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY			
4. परमाणु ऊर्जा	4 Atomic Energy			
(क) सहायता प्राप्त संस्थानों को अनुदान सहायता वेतन देने के लिए (₹269.84 करोड़) और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण संशोधित भत्तों और बकायों के भुगतान के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹21.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु।	(a) For meeting additional expenditure towards Grant in aid Salary to Aided Institutions (₹269.84 crore) and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹21.10 crore) for payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission.	290.94	-	290.94
(ख) इन मदों के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (1) मुख्य निर्माण कार्य (i) विकिरण और आइसोटोप परियोजनाएं (₹0.79 करोड़), (ii) ईंधन फैब्रिकेशन परियोजनाएं (₹6.31 करोड़) और (iii) फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी (एफआरएफसीएफ) (₹61.80 करोड़) और (2) भारी जल योजना परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹0.11 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure towards 1. Major Work for (i) Radiation & Isotopes Projects (₹0.79 crore), (ii) Fuel Fabrication Projects (₹6.31 crore) and (iii) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) (₹61.80 crore) and 2. Machinery and Equipments (₹0.11 crore) for Heavy Water Plan Projects.	-	69.01	69.01
(ग) निम्नलिखित मुख्य कार्यों के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) मौलिक विज्ञान एवं इंजीनियरी में अनुसंधान एवं विकास (₹64.34 करोड़) (ii) लेसर के लिए उन्नत तकनीक (₹2.71 करोड़) (iii) फास्ट रिएक्टर साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी के लिए अनुसंधान (₹14.20 करोड़)।	(c) For meeting expenditure towards Major works for (i) Research and Development in Basic Science and Engineering (₹64.34 crore) (ii) Advance Technology for laser (₹2.71 crore) (iii) Research for Fast Reactor Science & Technology (₹14.20 crore).	-	81.25	81.25
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS			
6. रसायन एवं पेट्रोसायन विभाग	6 Department of Chemicals and Petrochemicals			
असम गैस क्रैकर परियोजना(एजीसीपी) योजना के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure under the scheme Assam Gas Cracker Project.	15.41	-	15.41
8. भेषज विभाग	8 Department of Pharmaceuticals			
(क) निम्नलिखित के अंतर्गत व्यय को पूरा करने के लिए (i) राष्ट्रीय भेषज शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान (एनआईपीआईआर), गुवाहाटी विभाग की स्थापना (₹1 करोड़) और (ii) उपकरणों की खरीद एवं निर्माण क्रियाकलापों के लिए (₹12.15 करोड़)	(a) For meeting expenditure for (i) establishment of Department of National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Guwahati (₹1 crore) and (ii) acquiring of instruments and construction activities (₹12.15 crore).	13.15	-	13.15

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूँजी Capital	जोड़ Total
(ख) एनआईपीआईआर मोहाली (₹14 करोड़) और एनआईपीआईआर अहमदाबाद (₹5 करोड़) के लिए उपकरणों की खरीद के लिए तथा एनआईपीआईआर मोहाली को सामान्य सहायता अनुदान (₹0.58 करोड़)	(b) For procurement of equipments for NIPER Mohali (₹14 crore) and NIPER Ahmedabad (₹5 crore) and Grants-in-aid General to NIPER Mohali (₹0.58 crore).	19.58	-	19.58
कोयला मंत्रालय	MINISTRY OF COAL			
10. कोयला मंत्रालय	10 Ministry of Coal			
कोयले और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के एवज में भुगतान स्कीम के अंतर्गत जनजातीय क्षेत्र उपयोगना के अंतर्गत सब्सिडी पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure on subsidies under Tribal Area Sub-Plan under the scheme payment against collection of Cess (Excise Duty) on Coal and Coke.	5.65	-	5.65
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY			
11. वाणिज्य विभाग	11 Department of Commerce			
(क) अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) ₹30 करोड़ प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए चाय बोर्ड के अंतर्गत (वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹3.50 करोड़, सब्सिडी अदायगी के अंतर्गत ₹8.50 करोड़, अनुसंधान एवं विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹14.50 करोड़, चाय अधिनियम के विनियामक प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹3.50 करोड़) (ii) प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए कॉफी बोर्ड के अंतर्गत ₹44.94 करोड़ (वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹15 करोड़, उपकर के संग्रहण के तहत भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹9.44 करोड़ सब्सिडी अदायगी के लिए सब्सिडी के अंतर्गत ₹12 करोड़ अन्य व्यय के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹8.50 करोड़) (iii) प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए रबर बोर्ड के अंतर्गत ₹39.63 करोड़ (वेतन सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹8.50 करोड़ उपकर के संग्रहण के तहत भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹7.11 करोड़) (iv) प्रतिबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए मसाला बोर्ड के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹5.42 करोड़।	(a) For meeting additional expenditure of (i) ₹30 crore (₹3.50 crore under Grants-in-Aid Salary, ₹8.50 crore under Subsidies for subsidy replantation, ₹14.50 crore under Grants-in-Aid General for Research & Development, ₹3.50 crore under Grants-in-Aid General for implementation of regulatory provision of Tea Act) under Tea Board to meet the committed liabilities (ii) ₹44.94 crore (₹15 crore under Grants-in-Aid Salary, ₹9.44 crore under Grants-in-Aid General for payment against collection of cess, ₹12 crore under Subsidies for subsidy replantation, ₹8.50 crore under Grants-in-Aid General for Other Expenditure) under Coffee Board to meet the committed liabilities (iii) ₹39.63 crore (₹32.52 crore under Grants-in-Aid Salary, ₹7.11 crore under Grants-in-Aid General for payment against collection of cess) under Rubber Board to meet the committed liabilities and (iv) ₹5.42 crore under Grants-in-Aid Salary under Spices Board to meet the committed liabilities.	119.99	-	119.99
(ख) लंबित सब्सिडी दावों के लिए रबर उत्पादकों और अन्य को सहायता के लिए रबर बोर्ड के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional requirement under Rubber Board towards assistance to Rubber growers and others for pending subsidy claims.	2.00	-	2.00
12. औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग	12 Department of Industrial Policy and Promotion			
भोपाल, कुरुक्षेत्र और विजयवाड़ा में 3 नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों (एनआईडी) के निर्माण के लिए स्वायत्तशासी संस्थानों को परियोजना आधारित सहायता के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under Project Based Support to Autonomous Institutions for construction of 3 new National Institute of Design (NID) at Bhopal, Kurukshetra and Vijayawada.	100.00	-	100.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक-वितरण मंत्रालय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग	MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION 16 Department of Food and Public Distribution			
(क) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त सब्सिडी देने के लिए (i) एफसीआई एवं अन्यो को देय चीनी सब्सिडी योजना के अंतर्गत (₹100 करोड़) (ii) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत खाद्यान्नों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए राज्यों को सब्सिडी देने के लिए (₹7,800 करोड़) और 2. चीनी विकास निधि में अंतरण के लिए (₹317.52 करोड़)।	(a) For 1. providing additional subsidy (i) under the scheme Sugar Subsidy payable to FCI & others (₹100 crore) (ii) to States for decentralized procurement of foodgrains under National Food Security Act, 2013 (₹7,800 crore) and 2. transfer to Sugar Development Fund (₹317.52 crore).	8,217.52	-	8,217.52
(ख) खोई पर आधारित विद्युत सह-उत्पादन परियोजना के लिए चीनी मिलों को ऋण मुहैया कराने के लिए।	(b) For providing loans to Sugar Mills for Bagasse based Co-generation of Power Project.	-	13.00	13.00
कार्पोरेट कार्य मंत्रालय 17. कार्पोरेट कार्य मंत्रालय भारतीय कार्पोरेट विधि सेवा (आईसीएलएस) के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS 17 Ministry of Corporate Affairs For meeting expenditure towards Indian Corporate Law Service (ICLS).	0.02	-	0.02
संस्कृति मंत्रालय 18. संस्कृति मंत्रालय	MINISTRY OF CULTURE 18 Ministry of Culture			
(क) निम्नलिखित के तहत व्यय को पूरा करने के लिए 1. निम्नलिखित योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (i) अकादमियों को सहायता (₹8.14 करोड़) (ii) संग्रहालयों को सहायता (₹5.97 करोड़) (iii) पुस्तकालय को सहायता (₹16.56 करोड़) (iv) बौद्धिष्ट तिब्बती संस्थान और स्मारक (₹0.65 करोड़) 2. अकादमियों को सहायता योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹1.30 करोड़)	(a) For meeting expenditure towards 1.Grants-in-aid General under the scheme (i) Support to Akademies (₹8.14 crore) (ii) Support to Museums (₹5.97 crore) (iii) Support to Library (₹16.56 crore) (iv) Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹0.65 crore) 2. Grants-in-aid Salaries under the scheme Support to Akademies (₹1.30 crore).	32.62	-	32.62
(ख) निम्नलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए (i) अकादमियों को सहायता (₹1.15 करोड़) और (ii) बौद्ध तिब्बती संस्थानों और संस्मारकों के निकायों को अनुदान (₹0.45 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General under the scheme (i) Support to Akademies (₹1.15 crore) and (ii) Grantee Bodies Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹0.45 crore).	1.60	-	1.60
रक्षा मंत्रालय 19. रक्षा मंत्रालय (विविध)	MINISTRY OF DEFENCE 19 Ministry of Defence (Misc.)			
(क) निम्नलिखित के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए : सचिवालय की स्थापना (₹141.47 करोड़), रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत छावनी बोर्डों में स्वच्छता कार्य योजना (₹5 करोड़), रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान को सहायता अनुदान (₹2.07 करोड़), रक्षा लेखा विभाग के छात्रावास सब्सिडी (₹0.07 करोड़) और सीमा सड़क संगठन के वेतन के अंतर्गत आवश्यकता (₹200.20 करोड़)	(a) For meeting additional expenditure for establishment of Secretariat (₹141.47 crore), Swachhta Action Plan in Cantonment boards under Defence Estate Organisation (₹5 crore), Grants-in-aid to Institute of Defence Studies and Analysis (₹2.07 crore), hostel subsidy of Defence Accounts Department (₹0.07 crore) and requirement under salary of Border Roads Organisation (₹200.20 crore).	348.81	-	348.81
(ख) निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए: लघु कार्य (₹263.60	(b) For meeting additional requirement under Minor Works (₹263.60 crore),			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़), पेशेवर सेवाएं (₹15 करोड़), कार्यालय व्यय (₹2.15 करोड़) और तट रक्षक संगठन के अन्य स्थापना संबंधी व्यय।	Professional Services (₹15 crore), Office Expenses (₹2.15 crore) and other establishment related expenditure of Coast Guard Organisation.	280.75	-	280.75
(ग) तट रक्षक संगठन के लिए भूमि अधिग्रहण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards land acquisition for Coast Guard Organisation.	-	100.00	100.00
(घ) रक्षा लेखा विभाग के आवासन के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for housing purposes of Defence Accounts Department.	-	2.00	2.00
(ड.) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सड़कों के निर्माण के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting additional expenditure for construction of Border Roads in North Eastern Region.	-	234.64	234.64
(च) केन्द्रीय सड़क निधि में अंतरण के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting additional expenditure towards transfers to Central Road Fund.	-	38.00	38.00
20. रक्षा पेंशन (राजस्व)	20 Defence Services (Revenue)			
(क) परिवहन, एनसीसी और भंडार के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under transportation, NCC, stores and other expenditure.	119.55	-	119.55
(ख) परिवहन, मरम्मत और पुनः फिटिंग, भंडार, संयुक्त स्टाफ और अन्य व्यय के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for transportation, repairs & refits, stores, Joint staff and other expenditure.	581.60	-	581.60
(ग) भंडार और निर्माण कार्य और अन्य व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure for stores, works and other expenditure.	825.72	-	825.72
(घ) अनुसंधान एवं विकास, भंडार और निर्माण कार्य के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting additional expenditure for research and development, stores, works and other expenditure.	617.33	-	617.33
21 रक्षा सेवाओं का पूंजीगत परिव्यय	21 Capital Outlay of Defence Services			
निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) सेना के लिए वायुयान (₹260 करोड़); अन्य उपकरण (₹1,274.26 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹1 करोड़), निर्माण कार्य (₹100 करोड़), (ii) नौसेना के लिए अन्य उपकरण (₹1,000 करोड़), निर्माण कार्य (₹295 करोड़), नौसेना डॉकयार्ड (₹714.43 करोड़) (iii) वायुसेना के लिए भूमि (₹28.09 करोड़) वायुयान (₹5,300.32 करोड़) विशेष परियोजना (₹299.82 करोड़) तथा (iv) आयुध कारखानों के लिए निर्माण कार्य (₹15 करोड़)।	For meeting additional expenditure under (i) air craft (₹260 crore), other equipment (₹1,274.26 crore), National Cadet Corps (₹1 crore), works (₹100 crore) for Army (ii) other equipment (₹1,000 crore), works (₹295 crore), naval dockyard (₹714.43 crore) for Navy, (iii) land (₹28.09 crore), air craft (₹5,300.32 crore), special project (₹299.82 crore) for Air Force and (iv) works (₹15 crore) for Ordnance Factories.	-	9,287.92	9,287.92
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	MINISTRY OF EARTH SCIENCES			
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	25 Ministry of Earth Sciences			
(क) दो तटीय अनुसंधान पोतों के अधिग्रहण के तहत भुगतान के लिए समुद्री सेवा, प्रौद्योगिकी, प्रेक्षण, संसाधन, मॉडलिंग और विज्ञान (ओ-स्टॉर्म्स) योजना के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Ocean Services, Technology, Observations, Resources, Modelling and Sciences (O-STORMS) for payment towards acquisition of two Coastal Research Vessels.	16.00	-	16.00
(ख) निम्नलिखित के लिए (i) आर एण्ड डी के तहत भुगतान के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरिच (रिचआउट) के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान (₹5.50	(b) For providing additional (i) Grants-in-aid General (₹5.50 crore) under the scheme Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) for			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
करोड़) और (ii) हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केन्द्र के लिए भवन के निर्माण के तहत संविदागत भुगतान करने के लिए रिचआउट योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान।	payment towards R&D and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹4 crore) under the scheme REACHOUT for making contractual payment towards construction of building for International Training Centre at Hyderabad.	9.50	-	9.50
(ग) समेकित सिस्मिक एवं जीपीएस नेटवर्क, आर एण्ड डी सहयोग एवं जियोक्रोनोलॉजी सुविधा के लिए भूगर्भीय एवं भूविज्ञान (एसएजीई) योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(c) For providing Grants-in-aid General under the scheme Seismological and Geosciences (SAGE) for integrated Seismic and GPS Network, R&D Support and Geochronology facility.	14.96	-	14.96
(घ) बोर्ड सागर संपदा पर वैज्ञानिक उपकरण की खरीद के लिए ओ-स्टॉर्म्स योजना के अंतर्गत मशीन एवं उपकरण के तहत अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने के लिए।	(d) For providing additional funds under Machinery and Equipment under the scheme O-STORMS for procurement of scientific equipment on board Sagar Sampada.	-	2.00	2.00
(ङ.) भूगर्भीय प्रेक्षणशाला के नवीकरण के तहत भुगतान के लिए एसएजीई योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्यों के तहत अतिरिक्त धनराशि मुहैया कराने के लिए।	(e) For providing additional funds towards Major Works under the scheme SAGE for payment towards renovation of Seismological Observatory.	-	0.50	0.50
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE			
27. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	27 Ministry of Environment, Forests and Climate Change			
(क) (i) वनजीव आवासों के संयुक्त विकास के लिए (₹9 करोड़) (ii) पशु कल्याण बोर्ड को (₹1.99 करोड़) सामान्य सहायता अनुदान।	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General to Integrated Development of Wildlife Habitats (₹9 crore) and (ii) Animal Welfare Board (₹1.99 crore).	10.99	-	10.99
(ख) (i) राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (₹0.35 करोड़) (ii) प्रवाल के संरक्षण एवं प्रबंधन (₹1.25 करोड़) (iii) पर्यावरण सूचना प्रणाली (₹0.61 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय रूपांतरण निधि (₹13.50 करोड़) के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards Grants-in-aid General to (i) National Green Tribunal (₹0.35 crore) (ii) conservation of Corals and Mangroves (₹1.25 crore) (iii) Environmental Information Systems (₹0.61 crore) and (iv) National Adaptation Fund (₹13.50 crore).	15.71	-	15.71
(ग) जैव-विविधता संरक्षण के लिए सामान्य सहायता अनुदान (ईएपी) के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General to Biodiversity Conservation (EAP).	15.00	-	15.00
वित्त मंत्रालय	MINISTRY OF FINANCE			
29. आर्थिक कार्य विभाग	29 Department of Economic Affairs			
(क) स्थापना संबंधी व्यय।	(a) For establishment related expenditure.	0.60	-	0.60
(ख) सरकारी लेखों में क्रेडिट किए गए दावा नहीं किए गए प्रत्याभूतियों के भुगतान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards payment for unclaimed securities credited to Government Accounts.	0.01	-	0.01
(ग) वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अंतरण के लिए।	(c) For transfer to Senior Citizen Welfare Fund.	435.57	-	435.57
(घ) (i) अवसंरचना विकास अर्थक्षमता अंतर निधियन के लिए सहायता (₹50.59 करोड़) (ii) स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के लिए कमीशन भुगतान (₹34.50 करोड़) (iii) टीकाकरण	(d) For meeting expenditure for (i) Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding (₹50.59 crore) (ii) commission payment for Gold Monetization scheme,			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
और प्रतिरोधन के लिए वैश्विक सहयोग के लिए अंशदान (₹13.39 करोड़) और (iv) स्वर्ण आरक्षित निधि में अंतरण (₹58.32 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	2015 (₹34.50 crore) (iii) Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) (₹13.39 crore) and (iv) transfer to Gold Reserve Fund (₹58.32 crore).	156.80	-	156.80
(ड.) यूरोपीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (ईबीआरडी) के लिए 1.79 मिलियन यूरो (₹14.32 करोड़) और आईएमएफ (₹22 करोड़) को अंशदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards Subscription (i) of 1.79 million Euro to European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹14.32 crore) and (ii) to IMF (₹22 crore).	-	36.32	36.32
(च) अफ्रीकी विकास बैंक (एफडीबी) के लिए ब्रिज ऋण के भुगतान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure towards payment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB).	-	67.00	67.00
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	31 Department of Financial Services			
(क) स्वावलम्बन योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के अंशदानों के लिए सरकार का सह-अंशदान (₹8.50 करोड़) और (ii) अंशदाताओं को सरकारी सह-अंशदान (₹13 करोड़) और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रचार अभियान के लिए सहायता अनुदान (₹2 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure for (i) Government's co-contribution to Subscribers of the National Pension System (NPS) under Swavalamban Scheme (₹8.50 crore) and (ii) Government co-contribution to the subscribers (₹13 crore) and Grant-in-aid for promotional campaign under Atal Pension Yojana (₹2 crore).	23.50	-	23.50
(ख) "आधार" आधारित भुगतान प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड के वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत डिजी धन मेला और लकी ग्राहक योजना के लिए अंशदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards contribution for Digi Dhan Mela and Lucky Grahak Yojana under financial inclusion fund of NABARD to promote AADHAR enabled payment systems.	176.51	-	176.51
(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) की इक्विटी सहायता के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI).	-	100.00	100.00
35. अप्रत्यक्ष कर	35 Indirect Taxes			
(क) संशोधित लेखाकरण प्रक्रिया के अनुसार केन्द्रीय वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार के तहत व्यय शिफ्ट करने के लिए।	(a) For shifting the expenditure towards collection charge under Central Goods and Service Tax and Integrated Goods and Service Tax.	4,520.83	-	4,520.83
(ख) निम्नलिखित के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (i) अलवर में भूमि का अधिग्रहण (₹15.07 करोड़) (ii) गुवाहाटी में तैयार निर्मित कार्यालय की खरीद (₹9.12 करोड़) (iii) नेल्लोर, विशाखापट्टनम में भूमि का अधिग्रहण (₹4.20 करोड़) और (iv) क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान, राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक अकादमी, बंगलुरु का विनिर्माण (₹0.51 करोड़)।	(b) For meeting additional expenditure for (i) acquisition of land at Alwar (₹15.07 crore) (ii) purchase of ready built office at Guwahati (₹9.12 crore) (iii) acquisition of land at Nellore, Visakhapatnam (₹4.20 crore) and (iv) construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Bengaluru (₹0.51 crore).	-	28.90	28.90
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES			
44. भारी उद्योग विभाग	44 Department of Heavy Industry			
(क) (i) भारत में हाइब्रिड एवं विद्युत वाहन (फेम इण्डिया) की तीव्र अंगीकरण एवं विनिर्माण की स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹135 करोड़) और	(a) For meeting additional expenditure towards (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Faster Adoption and Manufacturing of			

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ii) नवीन एवं जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए ऑटोमोबाइल एवं संबद्ध उद्योग विकास परिषद के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹4.18 करोड़) के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	Hybrid and Electric Vehicle in India (FAME India) (₹135 crore) and (ii) Grants-in-aid General for Development Council for Automobile and Allied Industries for funding of new and ongoing Research & Development Projects (₹4.18 crore).	139.18	-	139.18
(ख) हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल) के कर्मचारियों के वेतन/मजदूरी आदि के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure towards salary/wages etc. of the employees of Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPCL).	-	40.00	40.00
गृह मंत्रालय	MINISTRY OF HOME AFFAIRS			
48. पुलिस	48 Police			
कार्यालय भवन (₹400 करोड़), आवासीय भवन (₹480 करोड़), मोटर वाहन (₹6.50 करोड़) और मशीन एवं उपकरण (₹90 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure for Office Building (₹400 crore), Residential Building (₹480 crore), Motor Vehicles (₹6.50 crore) and Machinery & Equipment (₹90 crore).	-	976.50	976.50
केन्द्र शासित प्रदेश (बिना विधानसभा वाले)	UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)			
49. अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	49 Andaman and Nicobar Islands			
(क) (i) पेशेवर सेवाओं के अंतर्गत प्रशिक्षण (₹0.08 करोड़) और (ii) सोवटेक के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹4.45 करोड़) के व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the expenditure (i) on training (₹0.08 crore) under Professional Services and (ii) towards Grants-in-aid General in respect of SOVTECH (₹4.45 crore).	4.53	-	4.53
(ख) मूल्य वर्धित कर (वैट) के संग्रहण के तहत कर विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the establishment expenditure of Tax Department towards collection of Value Added Tax (VAT).	0.02	-	0.02
(ग) केन्द्र शासित प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) के संग्रहण के तहत कर विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the establishment expenditure of Tax Department towards collection of Union Territory Goods and Services Tax (UTGST).	1.19	-	1.19
(घ) विद्यालयों को सहायता के लिए (₹0.74 करोड़) और जिला परिषद के लिए (₹1 करोड़) वेतन सहायता अनुदान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(d) For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries for assistance to schools (₹0.74 crore) and for Zilla Parishad (₹1 crore).	1.74	-	1.74
(ङ) जल-निकासी एवं स्वच्छता के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को सहायता अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(e) For providing Grants-in-aid to Gram Panchayats under water supply and sanitation for sewerage and sanitation.	1.00	-	1.00
(च) सामाजिक कल्याण सलाहकार बोर्ड (स्वैब) के संबंध में वेतन सहायता अनुदान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries in respect of Social Welfare Advisory Board.	0.75	-	0.75
(छ) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) मजदूरी (₹0.55 करोड़) और (ii) पंचायत समितियों के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹0.73 करोड़) और (iii) जिला परिषदों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹2 करोड़) और ग्राम पंचायतों के लिए (₹2 करोड़)।	(g) For meeting expenditure towards (i) wages (₹0.55 crore) and (ii) Grants-in-aid Salaries for Panchayat Samities (₹0.73 crore) and (iii) Grants-in-aid General for Zilla Parishads (₹2 crore) and for Gram Panchayats (₹2 crore).	5.28	-	5.28
(ज) लघु उद्योगों के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(h) For meeting expenditure towards subsidies to beneficiaries under small scale industries.	1.05	-	1.05

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(झ) पोर्ट ब्लेयर नगर परिषद (₹2 करोड़) और जिला परिषदों (₹6 करोड़) के संबंध में सड़क क्षेत्र के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराने के लिए।	(i) For providing Grants for Creation of Capital Assets under road sector in respect of Port Blair Municipal Council (₹2 crore) and for Zilla Parishads (₹6 crore).	8.00	-	8.00
(ञ) पोलिटेक्निक के उपयोग के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद के लिए।	(j) For purchase of machinery and equipment for use of polytechnic.	-	0.40	0.40
(ट) जिला अस्पतालों के उपयोग के लिए मशीन एवं उपकरण।	(k) For purchase of machinery and equipment for use of district hospitals.	-	4.00	4.00
(ठ) सीपीडब्ल्यूडी के अदालती मामलों और पंचाट मामलों के संबंध में पंचाट, कानूनी और यात्रा व्यय के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(l) For meeting the additional expenditure towards Arbitration Awards, legal and travel expenses in respect of court cases and Arbitration cases of CPWD.	-	5.57	5.57
(ड) आपदा प्रबंधन (₹2 करोड़) और कार्यालय एवं गोदाम भवन के निर्माण के लिए (₹0.54 करोड़) के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद के लिए।	(m) For purchase of machinery and equipment for disaster management (₹2 crore) and for construction of office cum-Godown building (₹0.54 crore).	-	2.54	2.54
(ढ) पशु चिकित्सालय भवन के निर्माण के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(n) For meeting expenditure towards construction of Veterinary building.	-	0.50	0.50
(ण) वनों के विकास (₹0.02 करोड़), चाथम आरा मिल (₹0.20 करोड़) और इको-टूरिज्म (₹0.90 करोड़) और वन्यजीव (₹2.75 करोड़) के लिए मशीन की खरीद के लिए।	(o) For purchase of machinery for Development of Forests (₹0.02 crore), for Chatham Saw Mill (₹0.20 crore) and construction of building for Eco-Tourism (₹0.90 crore) and for wildlife (₹2.75 crore).	-	3.87	3.87
(त) विद्युत संयंत्र (₹1 करोड़) के लिए, ट्रांसमिशन एवं वितरण (₹0.06 करोड़) के लिए और सूचना प्रौद्योगिकी (₹0.03 करोड़) के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद के लिए।	(p) For purchase of machinery and equipment for power plant (₹1 crore), for Transmission and Distribution (₹0.06 crore) and for Information Technology (₹0.03 crore).	-	1.09	1.09
(थ) भवन निर्माण के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(q) For meeting expenditure towards construction of building.	-	0.30	0.30
(द) सेतुओं के निर्माण के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(r) For meeting expenditure towards construction of jetties.	-	1.68	1.68
(ध) मशीन एवं उपकरणों की खरीद के लिए।	(s) For purchase of machinery and equipments.	-	0.40	0.40
50. चण्डीगढ़	50 Chandigarh			
(क) राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, केन्द्र शासित प्रदेश, चण्डीगढ़ में तैनात न्यायधीश एवं कर्मचारियों को वेतन भुगतान के तहत व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards payment of salary to the judge and staff deployed in the State Legal Services Authority, UT, Chandigarh.	0.60	-	0.60
(ख) ट्रांसपोर्ट बसों के लिए पेट्रोल, तेल एवं स्नेहक के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure for POL for Transport Buses.	10.00	-	10.00
(ग) न्यायधीशों के लिए आवासों के निर्माण और उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय, चण्डीगढ़ के विभिन्न कार्यों की देयताओं को पूरा करने के लिए।	(c) For clearing the liability of construction of houses for judges and various works of High Court & District Court, Chandigarh.	-	1.73	1.73
(घ) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए (i) सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में नए एक मंजिला आपातकालीन ब्लॉक के निर्माण और आवासों के निर्माण के लिए (₹2 करोड़) (ii) सरकारी मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में प्रशासनिक ब्लॉक	(d) For meeting expenditure for (i) construction of new single storey emergency block in Government Medical College and Hospital and construction of Houses (₹2 crore) (ii) completion of administrative Block in Government Multi Speciality			

		(करोड़ रुपए Rupees in Crore)		
अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
को पूरा करने, 100 बिस्तरों वाले अस्पताल के निर्माण के लिए (₹10.82 करोड़) और (iii) होम्योपैथिक/आयुर्वेदिक डिस्पेंसरीयों के उन्नयन के लिए (₹0.17 करोड़)	Hospital, construction of 100 bedded hospital (₹10.82 crore) and (iii) upgradation of Homoeopathic Ayurvedic Dispensaries (₹0.17 crore).	-	12.99	12.99
(ड) जल शोधन संयंत्र के बिजली बिल के भुगतान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(e) For meeting expenditure towards payment of electricity bill of Sewerage Treatment Plant.	-	0.15	0.15
(च) सुखना झील में मछली तालाब के लिए चाहरदीवारी के निर्माण के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(f) For meeting expenditure towards construction of boundary wall for fish pond at Sukhna lake.	-	0.40	0.40
51. दादरा एवं नागर हवेली	51 Dadra and Nagar Haveli			
(क) ऊर्जा के कुशल उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य बिजली संरक्षण निधि (एसईसीएफ) की स्थापना के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure for constitution of State Energy Conservation Fund (SECF) for promotion of efficient use of energy.	2.00	-	2.00
(ख) निवेश संवर्द्धन योजना-2015 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure for release of interest subsidy under Investment Promotion Scheme, 2015.	2.00	-	2.00
52. दमन एवं दीव	52 Daman and Diu			
(क) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए केन्द्र शासित प्रदेश योजना को चलाने के लिए केन्द्र शासित प्रदेश के हिस्से के वेतन सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting the additional expenditure towards Grants-in-aid Salary to pay UT share to carry out UT scheme for Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban).	1.00	-	1.00
(ख) नाव मालिकों के "सुरक्षा एवं संचार उपकरण" केन्द्र शासित प्रदेश योजना को चलाने के लिए सब्सिडी के तहत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting the additional expenditure towards Subsidies to carry out UT scheme "Safety and Communication Equipment" to boat owners.	1.00	-	1.00
(ग) सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य जारी रखने के लिए प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting the additional expenditure under Major Works to carry out works for beautification of Roads.	-	5.00	5.00
(घ) जल आपूर्ति योजना के लिए कार्य करने के लिए प्रमुख कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(d) For meeting the additional expenditure under Major Works to carry out works for Water Supply scheme.	-	3.00	3.00
53. लक्षद्वीप	53 Lakshadweep			
(क) भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रमुख निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(a) For meeting additional expenditure under Major Works for land compensation payment.	-	4.50	4.50
(ख) भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रमुख निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(b) For meeting additional expenditure under Major Works towards land compensation payment.	-	1.95	1.95
मानव संसाधन विकास मंत्रालय	MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT			
57. विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	57 Department of School Education and Literacy			
सामान्य सहायता अनुदान के तहत (₹2.60 करोड़), पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹90.20 करोड़) और केवीएस को वेतन सहायता अनुदान (₹26.20 करोड़)	For meeting expenditure towards Grants-in-aid General (₹2.60 crore), Grants for Creation of Capital Assets (₹90.20 crore) and Grants-in-aid Salary (₹26.20 crore) to KVS.	119.00	-	119.00
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	58 Department of Higher Education			
(क) निम्नलिखित के तहत व्यय को पूरा करने के लिए (i) ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए अंशदान योजना, (₹1829 करोड़),	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the Schemes Interest subsidy and			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
नेशनल बुक ट्रस्ट (₹6 करोड़), वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) (₹2 करोड़) के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii) कॉलेज एवं विश्वविद्यालय छात्रों के लिए छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹25 करोड़)।	contribution for guarantee fund (₹1829 crore), National Book Trust (₹6 crore), Commission for Scientific and Technical terminology (CSTT) (₹2 crore) and (ii) Scholarships/Stipends under the schemes Scholarship for College and University Students (₹25 crore).	1,862.00	-	1862.00
(ख) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए (i) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹70 करोड़), केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान (₹120 करोड़) (ii) पूँजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹16 करोड़) और एसएलआईआईटी, एनआईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹4 करोड़) और (iii) सार्वजनिक निजी भागीदारी विधि से आईआईटी स्थापित करने की योजना के अंतर्गत पूँजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹20 करोड़)।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the schemes Support to Indian Institutes of Technology (₹70 crore), Grants to Central Universities (₹120 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹16 crore) and Grants-in-aid Salaries (₹4 crore) under schemes Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT & CIT Kokrajhar and (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme setting up IITs in PPP Mode (₹20 crore).	230.00	-	230.00
(ग) विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों के वेतनमान में सुधार योजना के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान के तहत व्यय को पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Grants-in-aid Salaries under the schemes Improvement in Salary Scale of University and College Teachers.	1,194.00	-	1194.00

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय

59 Ministry of Information and Broadcasting

(क) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए 1. चिल्ड्रेन फिल्म सोसाइटी, इण्डिया को वेतन सहायता अनुदान (₹0.26 करोड़) 2. सामान्य सहायता अनुदान (i) "भारतीय जन संचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केन्द्रों को खोलना" योजना के अंतर्गत (₹0.1 करोड़) और एसआरएफटीआई में अवसंरचना विकास (₹0.56 करोड़) और (ii) भारतीय सिनेमा का विकास' योजना के अंतर्गत 'राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्मोत्सव' घटक के लिए (₹1.10 करोड़)।	(a) For meeting expenditure towards 1. 'Grants-in-aid Salaries' to Children's Film Society, India (₹0.26 crore) 2. Grants-in-aid General (i) under the schemes 'Opening of new regional centres of Indian Institute of Mass Communication (₹0.10 crore) and Infrastructure Development in SRFTI (₹0.56 crore) and (ii) for the component 'National/International Children's Film Festival' under the scheme 'Promotion of Indian Cinema' (₹1.10 crore).	2.02	-	2.02
(ख) निम्नलिखित के तहत व्यय पूरा करने के लिए 1. फिल्म डिविजन के लिए उपकरणों का प्रापण योजना के अंतर्गत मशीन एवं उपकरण (₹0.10 करोड़) 2. निम्नलिखित योजना के अंतर्गत प्रमुख कार्य (i) चलचित्र संग्रहालय (फिल्म डिविजन) स्थापित करने के लिए (₹2.92 करोड़) और (ii) जयकार बंगला सहित भारतीय राष्ट्रीय सिनेमा पुरातत्व के उन्नयन और डिजीटल पुस्तकालय की स्थापना के लिए (₹1 करोड़)।	(b) For For meeting expenditure towards 1. Machinery & Equipment under the scheme Acquisition of Equipments for Films Division (₹0.10 crore) 2. Major Works under the scheme (i) Setting up of Museum of Moving Images(Films Division) (₹2.92 crore) and (ii) up gradation of Infrastructure of National Film Archive of India (NFAI) including Jayakar Bungalow and setting up of digital library (₹1 crore).	-	4.02	4.02

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT			
60. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय राष्ट्रीय श्रम संस्थान योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।	60 Ministry of Labour and Employment For meeting an additional requirement as Grants-in-aid General under the scheme National Labour Institute.	2.50	-	2.50
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES			
64 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय केवीआईसी पेंशनभोगियों की पेंशन के लिए सामान्य सहायता अनुदान हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	64 Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises For meeting additional expenditure towards Grants-in-aid General for pension of KVIC pensioners.	6.51	-	6.51
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS			
66 अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय (क) कार्यालय व्यय के लिए सचिवालय सामाजिक सेवाएं-स्वच्छता कार्यवाई योजना हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ख) अल्पसंख्यक विद्यार्थी के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु व्यय पूरा करने के लिए। (ग) (i) विज्ञापन एवं प्रचार के लिए स्वच्छता कार्यवाई योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान (₹0.30 करोड़) और (ii) स्वच्छता कार्यवाई योजना के अंतर्गत अनुसंधान अध्ययन, स्कीमों की निगरानी एवं मूल्यांकन (₹0.20 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	66 Ministry of Minority Affairs (a) For meeting expenditure towards Secretariat Social Services-Swachhta Action Plan for Office Expenses. (b) For meeting expenditure towards payment of Scholarship under the scheme Pre Matric Scholarship for Minority Students. (c) For meeting expenditure towards (i) Media Campaign for Minorities under Swachhta Action Plan for Advertising & Publicity (₹0.30 crore) and (ii) Research studies, Monitoring & Evaluation of schemes under Swachhta Action Plan (₹0.20 crore).	0.10 210.00 0.50	- - -	0.10 210.00 0.50
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY			
67 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (i) अतिरिक्त परियोजना दावों (₹11 करोड़) को निपटाने के लिए हाइड्रो पावर ग्रिड इंटरएक्टिव के अंतर्गत सब्सिडी और (ii) सौर पंपिंग कार्यक्रम, स्ट्रीटलाइट, हाउसलाइट, एवं अटल ज्योति योजना के लिए सौर विद्युत (ऑफ ग्रिड) स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन (₹90 करोड़) के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	67 Ministry of New and Renewable Energy For providing (i) Subsidy under Hydro Power Grid interactive for disbursement of additional project claims (₹11 crore) and (ii) Grants for Creation of Capital assets under the scheme Solar Power (Off-Grid) for solar pumping programme, streetlight houselights and Atal Jyoti Yojana (₹90 crore).	101.00	-	101.00
पंचायती राज मंत्रालय	MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ			
68 पंचायती राज मंत्रालय ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभारों के लिए आबंटन उपलब्ध कराने के लिए।	68 Ministry of Panchayati Raj For providing allocation for Other Charges under the scheme Mission Mode Project on E-Panchayat.	12.60	-	12.60
संसदीय कार्य मंत्रालय	MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS			
69 संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता कार्यवाई योजना (एसएपी) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	69 Ministry of Parliamentary Affairs For meeting expenditure towards Swachhta Action Plan (SAP).	0.10	-	0.10

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
विद्युत मंत्रालय	MINISTRY OF POWER			
74 विद्युत मंत्रालय	74 Ministry of Power			
क) स्वच्छता कार्यवाई योजना के अंतर्गत आबंटन उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For providing allocation under Swachhata Action Plan.	0.87	-	0.87
(ख) (i) दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) (₹38.75 करोड़) और (ii) एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) (₹2.25 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सौभाग्य हेतु सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General for Saubhagya under the schemes (i) Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna (DDUGJY) (₹38.75 crore) and (ii) Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹2.25 crore).	41.00	-	41.00
रेल मंत्रालय	MINISTRY OF RAILWAYS			
80 रेल मंत्रालय	80 Ministry of Railways			
भत्तों, बड़ी मरम्मतों एवं रखरखाव, सुरक्षा संबंधी खर्चों, नई पेंशन स्कीम और पेंशन प्रभागों पर 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर स्टाफ लागतों हेतु अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards staff cost on implementation of recommendations of 7th Central Pay Commission on allowances, higher repairs and maintenance, safety related expenditure, New Pension Scheme and pensionary charges.	31.91	-	31.91
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS			
81 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	81 Ministry of Road Transport and Highways			
(i) असंगठित क्षेत्र में चालकों के पुनश्चर्या प्रशिक्षण तथा मानव संसाधन विकास स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹7 करोड़) (ii) कंप्यूटर प्रणाली एवं राष्ट्रीय डाटाबेस स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभागों के लिए अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराने के लिए (₹5 करोड़)।	For providing (i) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹7 crore) (ii) additional funds for Other Charges under the scheme Computer System and National Data Base (₹5 crore).	12.00	-	12.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय	MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY			
84 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	84 Department of Science and Technology			
(i) सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत मानचित्र प्रकाशन कार्यालयों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹0.01 करोड़) और (ii) नवाचार प्रौद्योगिकी विकास एवं परिनियोजन के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹16.45 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹0.01 crore) for Map Publication offices under Survey of India and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹16.45 crore) for Innovation, Technology Development and Deployment.	16.46	-	16.46
86 वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग	86 Department of Scientific and Industrial Research			
(क) डीएसआईआर भवन एवं अवसंरचना के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure under Major Works for DSIR Building and Infrastructure.	-	0.50	0.50
(ख) एपीसीटीटी (यूएन निकाय) के लिए भवन निर्माण के विशेष कार्य के लिए मुख्य निर्माण कार्यों के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure under Major Works for Special construction of work building for APCTT(UN Body).	-	0.85	0.85
पोत परिवहन मंत्रालय	MINISTRY OF SHIPPING			
87 पोत परिवहन मंत्रालय	87 Ministry of Shipping			
(क) आयर देयता के भुगतान के लिए हुगली डॉक एंड पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For providing Grants-in-aid General to Hoogly Dock and Ports Engineers Limited for payment of Income Tax Liability.	15.00	-	15.00

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(ख) (i) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को वेतन सहायता अनुदान (₹6.20 करोड़) (iii) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास एवं अनुसंधान के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹36.88 करोड़) तथा जलमार्ग विकास परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को (₹75 करोड़) और (iv) ईबीआर/बांडों पर ब्याज प्रभारों के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को ब्याज का भुगतान (₹28.70 करोड़) उपलब्ध कराने के लिए।	(b) For 1. providing (i) Grants-in-aid General to Inland Waterways Authority of India for development of National Waterways (₹0.48 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries to Inland Waterways Authority of India (₹6.20 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets to Inland Waterways Authority of India for development and maintenance of National Waterways (₹36.88 crore) and to Inland Waterways Authority of India for Jal Marg Vikas Project (₹75 crore) and (iv) payment of interest on account of issuing of bonds to raise EBRs by Inland Waterways Authority of India (₹28.70 crore).	147.04	-	147.04
(ग) हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड के कर्मचारियों को वेतन का भुगतान करने के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए।	(c) For providing loan for payment of salary to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited.	-	4.50	4.50

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

88. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय

88 Ministry of Skill Development and Entrepreneurship

(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रकाशन (₹26.60 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹133.21 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।	(a) For meeting expenditure towards publication (₹26.60 crore) and Grants-in-Aid General (₹133.21 crore) under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana.	159.81	-	159.81
(ख) 1. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राज्य के कार्यों के कार्यान्वयन के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹222.54 करोड़)। 2. (i) प्रशिक्षु एवं प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत वामपंथी चरमपंथियों द्वारा प्रभावित 47 जिलों में कौशल विकास तथा (iii) तीन स्कीमों नामतः असेवित और अनारक्षित जिले में नए पॉलिटेक्निक की स्थापना; चयनित पॉलिटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता और पॉलिटेक्निकों की वृहद स्कीम के अंतर्गत चयनित पॉलिटेक्निकों के उन्नयन के लिए केंद्रीय सहायता हेतु राज्य सरकारों को निधियों की निर्मुक्ति (₹40 करोड़) के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-Aid General (₹222.54 crore) for implementation of State engagements under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana 2. Grants for creation of Capital Assets (i) for skill development in 47 Distt. affected by Left Wing Extremism under the scheme Apprenticeship and Training (₹22.37 crore) and (ii) to release of funds (₹40 crore) to the State Governments for three schemes namely Setting up of new Polytechnics in Un-served & Unreserved District; Central assistance for construction of Women's Hostel in selected Polytechnics and Central assistance for Up-gradation of selected Polytechnics under Umbrella Scheme of Polytechnics.	284.91	-	284.91

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग

89 Department of Social Justice And Empowerment

(क) 1.(i) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹50 करोड़), (ii) अनुसूचित जातियों	(a) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the
--	--

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
के लिए उत्कृष्ट शिक्षा (₹10 करोड़) तथा ओबीसी एवं ईबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹50 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान, 2(i) बालिका छात्रावास (₹50 करोड़) और (ii) बाल एवं बालिका छात्रावास (₹10 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए तथा 3.(i) अनुसूचित जातियों के लिए उत्कृष्ट शिक्षा (₹10 करोड़) और (ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज़ छात्रवृत्ति (₹20 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/वृत्तिका का व्यय पूरा करने के लिए।	Scheme (i) National Fellowship for SCs. (₹50 crore), (ii) Top Class Education for SCs. (₹10 crore) and National Fellowship for OBCs & EBCs. (₹50 crore), 2. Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes (i) Girls Hostel (₹50 crore) and (ii) Boys and Girls Hostel (₹10 crore) and 3. Scholarships/Stipend under the Schemes (i) Top Class Education for SCs. (₹10 crore) and (ii) National Overseas Scholarship for OBCs. (₹20 crore)	200.00	-	200.00
(ख) 1.(i) शराबखोरी और मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम (₹10 करोड़), (ii) वृद्धों से संबंधित कार्यक्रम के स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹10 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और 2. सूचना एवं जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹4 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards 1. Grants-in-aid General under the Scheme (i) Prevention of Alcoholism and Substance (Drugs) Abuse (₹10 crore), (ii) Assistance to Voluntary Organisations for Programme relating to Aged (₹10 crore) and 2. Advertising and Publicity under the scheme Information and Mass Education (₹4 crore)	24.00	-	24.00
(ग) भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंतर्गत निवेश हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure towards Investment under Industrial Finance Corporation of India.	-	100.00	100.00

अंतरिक्ष विभाग

91. अंतरिक्ष विभाग

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मशीनें और उपकरण (₹78.04 करोड़) (ii) विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मुख्य निर्माण कार्य (₹7.95 करोड़) और (iii) सूचना प्रौद्योगिकी - विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत मशीनें एवं उपकरण (₹27.70 करोड़) का व्यय पूरा करने के लिए।

DEPARTMENT OF SPACE

91 Department of Space

For meeting the expenditure towards (i) Machinery & Equipments (₹78.04 crore) (ii) Major Works (₹7.95 crore) and (iii) Information Technology - Machinery & Equipments (₹27.70 crore) under various schemes.

- 113.69 113.69

वस्त्र मंत्रालय

94. वस्त्र मंत्रालय

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्धन स्कीम के अंतर्गत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए
(ख) (i) वेतन (₹3.50 करोड़) (ii) डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास स्कीम के अंतर्गत प्रशिक्षुओं के लिए जम्मू और कश्मीर में छात्रवृत्ति/वृत्तिका (₹9 करोड़) (iii) ग्रुप वर्कशीट स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों का सृजन के लिए अनुदान (₹4 करोड़) तथा रेशम उद्योग के विकास की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹35 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।

MINISTRY OF TEXTILES

94 Ministry of Textiles

(a) For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under NER Textile Promotion Scheme.
(b) For meeting expenditure towards (i) salaries (₹3.50 crore) (ii) Scholarship/Stipend in J&K for trainees under the scheme Design and Technical Development (₹9 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Group Workshed (₹4 crore) and (iv) Grants-in-aid General under the scheme Development of Silk Industry (₹35 crore).

12.27 - 12.27

51.50 - 51.50

पर्यटन मंत्रालय

95. पर्यटन मंत्रालय

होटल प्रबंधन संस्थान/खाद्य शिल्प संस्थानों/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थानों (आईआईटीएम)/राष्ट्रीय जल क्रीड़ा संस्थान (एनआईडब्ल्यूएस)/

MINISTRY OF TOURISM

95 Ministry of Tourism

For providing Grants for Creation of Capital Assets under scheme Assistance to Institute of Hotel Management/Food Craft Institutes/

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और खानपान प्रौद्योगिकी परिषद (एनसीएचएमसीटी) को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	Indian Institutes of Tourism and Travel Management / National Institute of Water Sports / National Council of Hotel Management and Catering Technology.	20.00	-	20.00
जनजातीय मामले मंत्रालय	MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS			
96. जनजातीय मामले मंत्रालय	96 Ministry of Tribal Affairs			
जनजातियों को विशेष केंद्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure towards Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Special Central Assistance to Tribal sub schemes.	60.00	-	60.00
शहरी विकास मंत्रालय	MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT			
97. शहरी विकास मंत्रालय	97 Ministry of Urban Development			
(i) सर्वोच्च न्यायालय की जारी परियोजनाओं और बांद्रा कुर्ला परियोजना सहित अन्य परियोजनाएं तथा लेखापरीक्षा के कार्यालय भवन का निर्माण (₹30 करोड़), (ii) कार्य अनुबंध - "केंद्रीय आमोद क्षेत्र, नई दिल्ली में जल प्रणालियों के जल स्रोतों में रंगबिरंगे फव्वारों का एसआईटीसी" (₹5 करोड़) के लिए व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting expenditure for (i) ongoing project of Supreme court and other projects including Bandra Kurla Project and construction of Office Buildings of Audit (₹30 crore). (ii) inclusion in the work Annexure - "SITC of colorful musical fountains in water channels & in water body at water channels in Central Vista Area, New Delhi" (₹5 crore)	-	35.00	35.00
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION			
98 जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	98 Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation			
(क) बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए।	(a) For providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Flood Management Programme.	10.00	-	10.00
(ख) अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान उपलब्ध के लिए।	(b) For providing Grants-in-aid General under the scheme Research & Development Programme.	0.50	-	0.50
(ग) अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता कार्यवाई योजना हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(c) For meeting expenditure for Swachhta Action Plan under the scheme Infrastructure Development.	-	2.90	2.90
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT			
99 महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	99 Ministry of Women and Child Development			
(क) (i) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक (₹0.80 करोड़) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (₹2.30 करोड़) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान; (ii) स्वधार गृह के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान (₹3.37 करोड़), (iii) केन्द्रीय संसाधन अंगीकरण एजेन्सी (₹1 करोड़) तथा राष्ट्रीय महिला आयोग (₹0.36 करोड़) स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान और (iv) राष्ट्रीय पोषाहार मिशन - कार्यक्रम घटक स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार	(a) For meeting expenditure towards (i) Grants in aid General under the scheme National Nutrition Mission - Programme Component (₹0.80 crore) and National Commission for Protection of Child Rights (₹2.30), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under Swadhar Greh (₹3.37 crore), (iii) Grant in aid Salary under the scheme Central Adoption Resources Agency (₹1 crore) and National Commission for Women			

(करोड़ रुपए Rupees in Crore)

अनुदान संख्या और शीर्षक तथा मदों का विवरण	Grant No. & title and description of items	राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total
(₹81.05 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(₹0.36 crore) and (iv) Other charges under the scheme National Nutrition Mission – Programme Component (₹81.05 crore)	88.88	-	88.88
(ख) (i) उज्ज्वला योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹2.25 करोड़) और (ii) बेंटी बचाओ बेंटी पढ़ाओ के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹16.61 करोड़) हेतु व्यय पूरा करने के लिए।	(b) For meeting expenditure towards (i) Grants-in-aid General under the scheme Ujjawla (₹2.25 crore) and (ii) Advertisement and Publicity under Beti Bachao Beti Padhao (₹16.61 crore).	18.86	-	18.86
युवा मामले और खेल मंत्रालय	MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS			
100 युवा मामले और खेल मंत्रालय	100 Ministry of Youth Affairs and Sports			
(i) नेहरु युवा केन्द्र संगठन (एनवाईकेएस) स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹0.53 करोड़) (सामान्य घटक में ₹0.50 करोड़, एससीएसपी घटक के अंतर्गत ₹0.02 करोड़ और टीएसपी घटक के अंतर्गत ₹0.01 करोड़) हेतु अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	For meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General under schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) (₹0.53 crore) (₹0.50 under General Component, ₹0.02 under SCSP Component and ₹0.01 crore under TSP Component).	0.53	-	0.53
कुल सांकेतिक	Total Token	0.86	0.42	1.28
कुल योग	GRAND TOTAL	1,95,594.36	7,11,241.41	9,06,835.77
निवल नकद व्यय	Net Cash Outgo	85,207.15	108.15	85,315.30
तकनीकी पूरक	Technical Supplementary	1,10,386.35	7,11,132.84	8,21,519.19
सांकेतिक पूरक	Token Supplementary	0.86	0.42	1.28

विषय सूची CONTENTS

				(₹ करोड़ in ₹ crore)					
मांग संख्या और शीर्षक			No. and Title of Demand		राजस्व Revenue	पूंजी Capital	जोड़ Total	पृष्ठ Page	
कृषि एवं कृषक			MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS' WELFARE						
कल्याण मंत्रालय									
1	कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण विभाग	स्वीकृत	1.	Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare	Voted	0.03	...	0.03	1
2.	कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग	स्वीकृत	2.	Department of Agricultural Research and Education	Voted	0.02	...	0.02	2
3.	पशु पालन, डेयरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग	स्वीकृत	3.	Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries	Voted	0.01	...	0.01	4
आण्विक ऊर्जा विभाग			DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY						
4.	आण्विक ऊर्जा	स्वीकृत	4.	Atomic Energy	Voted	0.01	92.88	92.89	5
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय			MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)						
5.	आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय	स्वीकृत	5.	Ministry of Ayurveda, Yoga and Naturopathy, Unani, Siddha and Homoeopathy (AYUSH)	Voted	493.50	...	493.50	6
रसायन और उर्वरक मंत्रालय			MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS						
6.	रसायन और पेट्रो रसायन विभाग	स्वीकृत	6.	Department of Chemicals and Petrochemicals	Voted	0.01	...	0.01	8
8.	भेषज विभाग	स्वीकृत	8.	Department of Pharmaceuticals	Voted	0.02	...	0.02	9
नागर विमानन मंत्रालय			MINISTRY OF CIVIL AVIATION						
9.	नागर विमानन मंत्रालय	स्वीकृत	9.	Ministry of Civil Aviation	Voted	2.00	...	2.00	10
कोयला मंत्रालय			MINISTRY OF COAL						
10.	कोयला मंत्रालय	स्वीकृत	10.	Ministry of Coal	Voted	0.01	...	0.01	11
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय			MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY						
11.	वाणिज्य विभाग	स्वीकृत	11.	Department of Commerce	Voted	20.27	...	20.27	12
12.	औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग	स्वीकृत	12.	Department of Industrial Policy and Promotion	Voted	0.01	525.55	525.56	14
संचार मंत्रालय			MINISTRY OF COMMUNICATIONS						
13.	डाक विभाग	भारित स्वीकृत	13.	Department of Posts	Charged Voted	5.77 2041.43	...	5.77 2149.58	15
14.	दूरसंचार विभाग	स्वीकृत	14.	Department of Telecommunications	Voted	...	1574.54	1574.54	16
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय			MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION						
16.	खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	स्वीकृत	16.	Department of Food and Public Distribution	Voted	0.01	0.01	0.02	17
कारपोरेट कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS						
17.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	17.	Ministry of Corporate Affairs	Voted	0.01	...	0.01	18
संस्कृति मंत्रालय			MINISTRY OF CULTURE						
18.	संस्कृति मंत्रालय	स्वीकृत	18.	Ministry of Culture	Voted	0.02	...	0.02	19
रक्षा मंत्रालय			MINISTRY OF DEFENCE						
19.	रक्षा मंत्रालय (विविध)	भारित स्वीकृत	19.	Ministry of Defence (Misc)	Charged Voted	0.92 578.69	...	0.92 578.73	20
20.	रक्षा सेवाएं (राजस्व)	स्वीकृत	20.	Defence Services (Revenue)	Voted	0.04	...	0.04	22
21.	रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	भारित स्वीकृत	21.	Capital Outlay on Defence Services	Charged Voted	... 9260.23	113.31 0.01	113.31 0.01	23
22.	रक्षा पेंशन	स्वीकृत	22.	Defence Pensions	Voted	9260.23	...	9260.23	24
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय			MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION						
23.	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	स्वीकृत	23.	Ministry of Development of North Eastern Region	Voted	134.00	...	134.00	25
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय			MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION						
24.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय	स्वीकृत	24.	Ministry of Drinking Water and Sanitation	Voted	4000.00	...	4000.00	26

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		MINISTRY OF EARTH SCIENCES					
25. पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय		25. Ministry of Earth Sciences	Voted	0.03	0.02	0.05	27
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय		MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY					
26. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	भारित	26. Ministry of Electronics and Information Technology	Charged	36.67	...	36.67	29
	स्वीकृत		Voted	9.56	...	9.56	
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय		MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE					
27. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	स्वीकृत	27. Ministry of Environment, Forests and Climate Change	Voted	0.03	...	0.03	31
वित्त मंत्रालय		MINISTRY OF FINANCE					
29. आर्थिक कार्य विभाग	स्वीकृत	29. Department of Economic Affairs	Voted	0.04	0.02	0.06	32
31. वित्तीय सेवाएं विभाग	स्वीकृत	31. Department of Financial Services	Voted	0.02	7832.01	7832.03	34
33. राजस्व विभाग	स्वीकृत	33. Department of Revenue	Voted	123215.57	...	123215.57	36
34. प्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	34. Direct Taxes	Voted	305.09	...	305.09	37
35. अप्रत्यक्ष कर	स्वीकृत	35. Indirect Taxes	Voted	0.01	0.01	0.02	38
37. ब्याज भुगतान	भारित	37. Interest Payments	Charged	5721.90	...	5721.90	39
38. ऋण की अदायगी	भारित	38. Repayment of Debt	Charged	...	694966.17	694966.17	40
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय		MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE					
42. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग	स्वीकृत	42. Department of Health and Family Welfare	Voted	27594.44	2257.70	29852.14	41
43. स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	43. Department of Health Research	Voted	1413.60	...	1413.60	46
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES AND PUBLIC ENTERPRISES					
44. भारी उद्योग विभाग	स्वीकृत	44. Department of Heavy Industry	Voted	0.01	0.01	0.02	47
गृह मंत्रालय		MINISTRY OF HOME AFFAIRS					
46. गृह मंत्रालय	स्वीकृत	46. Ministry of Home Affairs	Voted	31.07	...	31.07	48
48. पुलिस	स्वीकृत	48. Police	Voted	583.30	0.01	583.31	49
संघ राज्य क्षेत्र (विधान-मंडल रहित)		UNION TERRITORIES (WITHOUT LEGISLATURE)					
49. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	स्वीकृत	49. Andaman and Nicobar Islands	Voted	54.18	0.10	54.28	50
50. चंडीगढ़	स्वीकृत	50. Chandigarh	Voted	0.02	0.04	0.06	53
51. दादरा एवं नगर हवेली	स्वीकृत	51. Dadra and Nagar Haveli	Voted	66.40	...	66.40	55
52. दमन एवं दीव	स्वीकृत	52. Daman & Diu	Voted	0.02	28.39	28.41	56
53. लक्षद्वीप	स्वीकृत	53. Lakshadweep	Voted	...	0.02	0.02	58
आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय		MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION					
56. आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय	स्वीकृत	56. Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation	Voted	2850.00	...	2850.00	59
मानव संसाधन विकास मंत्रालय		MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT					
57. स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग	स्वीकृत	57. Department of School Education and Literacy	Voted	6828.59	...	6828.59	60
58. उच्चतर शिक्षा विभाग	स्वीकृत	58. Department of Higher Education	Voted	6403.53	...	6403.53	61
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING					
59. सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय		59. Ministry of Information and Broadcasting	Voted	0.01	0.01	0.02	63
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय		MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT					
60. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय	स्वीकृत	60. Ministry of Labour and Employment	Voted	0.01	...	0.01	64
विधि और न्याय मंत्रालय		MINISTRY OF LAW AND JUSTICE					
61. विधि और न्याय	स्वीकृत	61. Law and Justice	Voted	...	413.47	413.47	65
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय		MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES					
64. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	स्वीकृत	64. Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises	Voted	0.01	...	0.01	66
खान मंत्रालय		MINISTRY OF MINES					
65. खान मंत्रालय	स्वीकृत	65. Ministry of Mines	Voted	200.00	...	200.00	67
अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय		MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS					
66. अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय	स्वीकृत	66. Ministry of Minority Affairs	Voted	0.03	...	0.03	68
नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय		MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY					
67. नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय	स्वीकृत	67. Ministry of New and Renewable Energy	Voted	0.01	...	0.01	69
पंचायती राज मंत्रालय		MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ					
68. पंचायती राज मंत्रालय		68. Ministry of Panchayati Raj	Voted	0.01	...	0.01	70

संसदीय कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS				
69. संसदीय कार्य मंत्रालय	स्वीकृत	69. Ministry of Parliamentary Affairs	Voted	0.01	...	0.01	71
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय			MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS				
70. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	भारति स्वीकृत	70. Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions	Charged	...	16.22	16.22	72
			Voted	...	7.31	7.31	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय			MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS				
72. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	स्वीकृत	72. Ministry of Petroleum and Natural Gas	Voted	400.00	...	400.00	73
विद्युत मंत्रालय			MINISTRY OF POWER				
74. विद्युत मंत्रालय	स्वीकृत	74. Ministry of Power	Voted	0.02	160.00	160.02	74
रेल मंत्रालय			MINISTRY OF RAILWAYS				
80. रेल मंत्रालय	भारति स्वीकृत	80. Ministry of Railways	Charged	250.70	613.71	864.41	75
			Voted	418.30	0.01	418.31	
सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय			MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS				
81. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय	स्वीकृत	81. Ministry of Road Transport and Highways	Voted	0.01	2529.27	2529.28	77
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय			MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY				
84. विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग	स्वीकृत	84. Department of Science and Technology	Voted	0.01	...	0.01	79
86. वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग	स्वीकृत	86. Department of Scientific and Industrial Research	Voted	185.35	0.02	185.37	80
पोत परिवहन मंत्रालय			MINISTRY OF SHIPPING				
87. पोत परिवहन मंत्रालय	स्वीकृत	87. Ministry of Shipping	Voted	7.22	0.01	7.23	81
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय			MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP				
88. कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	स्वीकृत	88. Ministry of Skill Development and Entrepreneurship	Voted	0.02	...	0.02	83
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय			MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT				
89. सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग	स्वीकृत	89. Department of Social Justice and Empowerment	Voted	5.19	0.01	5.20	84
90. दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग	स्वीकृत	90. Department of Empowerment of Persons with Disabilities	Voted	100.00	...	100.00	86
अंतरिक्ष विभाग			DEPARTMENT OF SPACE				
91. अंतरिक्ष विभाग	स्वीकृत	91. Department of Space	Voted	340.27	0.01	340.28	87
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय			MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION				
92. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	स्वीकृत	92. Ministry of Statistics and Programme Implementation	Voted	12.00	...	12.00	89
वस्त्र मंत्रालय			MINISTRY OF TEXTILES				
94. वस्त्र मंत्रालय	स्वीकृत	94. Ministry of Textiles	Voted	10.02	...	10.02	90
पर्यटन मंत्रालय			MINISTRY OF TOURISM				
95. पर्यटन मंत्रालय	स्वीकृत	95. Ministry of Tourism	Voted	0.01	...	0.01	91
जनजातीय कार्य मंत्रालय			MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS				
96. जनजातीय कार्य मंत्रालय	भारति स्वीकृत	96. Ministry of Tribal Affairs	Charged	144.13	...	144.13	92
			Voted	3.28	...	3.28	
शहरी विकास मंत्रालय			MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT				
97. शहरी विकास मंत्रालय	स्वीकृत	97. Ministry of Urban Development	Voted	1120.00	0.01	1120.01	93
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय			MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION				
98. जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय	स्वीकृत	98. Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation	Voted	727.61	2.36	729.97	95
महिला और बाल विकास मंत्रालय			MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT				
99. महिला और बाल विकास मंत्रालय	स्वीकृत	99. Ministry of Women and Child Development	Voted	0.02	...	0.02	97
युवा मामले और खेल मंत्रालय			MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS				
100. युवा मामले और खेल मंत्रालय	भारति स्वीकृत	100. Ministry Of Youth Affairs And Sports	Voted	19.02	...	19.02	98
कुल जोड़			GRAND TOTAL				
			Charged	6160.09	695709.41	701869.50	
			Voted	189434.27	15532.00	204966.27	
अनुबंध			ANNEXURE				

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 1

कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION AND FARMERS' WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 1 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 1 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 1 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 1 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	52575.57	52575.57
पूंजी	Capital	...	79.43	79.43
जोड़	Total	...	52655.00	52655.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूंजी	Capital	...	12.86	12.86
जोड़	Total	...	12.93	12.93
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	52667.96	52667.96
राजस्व	Revenue	...	52575.67	52575.67
पूंजी	Capital	...	92.29	92.29

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2401-कृषि कार्य	2401-Crop Husbandry	...	0.01	(का)	0.01
2425-सहकारिता	2425-Co-operation	...	0.01	(खb)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(गc)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03		0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) (I) प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के लिए अतिरिक्त योगदान प्रदान करने के लिए सामान्य घटक के अंतर्गत (₹ 479 करोड़), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना (₹ 143 करोड़)।
- (II) नेफेड के दावों के निपटारे के लिए एमआईएस / पीएसएसएस (₹ 200 करोड़) के कार्यान्वयन के तहत अतिरिक्त आर्थिक सहायता जारी करना। अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) कृषि सहकारिता पर समेकित स्कीम योजना के अंतर्गत अतिरिक्त सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए सामान्य घटक के लिए (₹ 70 करोड़) और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत (₹ 10 करोड़)। अनुदान के इसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ग) (I) सामान्य घटक के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना ((₹ 5 करोड़) और पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ((₹ 6 करोड़) बीज और बगान सामग्री उप-मिशन स्कीम के अंतर्गत जनजाति क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.80 करोड़)।
- (II) सामान्य घटक के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 12.10 करोड़) अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना के तहत (₹ 4 करोड़) कृषि यंत्रिकीकरण उप-मिशन के अंतर्गत।
- (III) एकीकृत कृषि सहकारिता स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 20 करोड़)
- (IV) राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 15 करोड़)।
- (V) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की जनजाति क्षेत्र उप-योजना के तहत अतिरिक्त सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 9 करोड़) अनुदान के इसी खंड के भीतर उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (I) providing Contribution for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna under General Components (₹ 479 crore) and Special Component Plan for Schedule Castes (₹ 143 crore).
- (II) providing subsidies for reimbursement of claims of NAFED under Implementation of MIS/PSS (₹ 200 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) providing Grants-in-aid General for General Components (₹ 70 crore) and for Special Component Plan for Scheduled Castes (₹ 10 crore) under Integrated Scheme on Agriculture Cooperation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (c) (I) providing Grants-in-aid General (₹ 5 crore) and Grants for creation of Capital Assets (₹ 6 crore) under General Components and under Tribal Area Sub-Plan (₹ 0.80 crore) under the scheme of Sub-Mission on Seeds and Planting Material.
- (II) providing Grants-in-aid General under General Components (₹ 12.10 crore) and under Special Component Plan for Schedule Castes (₹ 4 crore) under Sub-Mission of Agricultural Mechanization.
- (III) providing Grants-in-aid General under the scheme of Integrated Scheme on Agriculture Cooperation (₹ 20 crore).
- (IV) providing Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan of National Food Security Mission (₹ 15 crore).
- (V) providing Grants-in-aid General under Tribal Area Sub-Plan of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna for (₹ 9 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 2

कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL RESEARCH AND EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 2 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 3 देखिये)

(See page 2 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 3 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 3 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	6800.00	6800.00
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	6800.00	6800.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	192.01	192.01
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	192.01	192.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	...	6992.03	6992.03
राजस्व	...	6992.03	6992.03
पूंजी	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2415-कृषि अनुसंधान और शिक्षा	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	पादप विज्ञान संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 4.93 करोड़)।	(a)	(i)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Crop Science Institutes, Research & Education Schemes (₹ 4.93 crore).
	(ii)	बागवानी संस्थान स्कीम, कृषि विस्तार संस्थान स्कीम अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.73 करोड़)।		(ii)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Horticulture Institutes, Research & Education Schemes (₹ 0.73 crore).
	(iii)	आईसीएआर मुख्यालय प्रशासन की स्कीम के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 80.97 करोड़)।		(iii)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of ICAR Headquarter Administration (₹ 80.97 crore).
	(iv)	कृषि विस्तार संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 6.05 करोड़)।		(iv)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Agricultural Extension Institutes, Research & Education Schemes (₹ 6.05 crore).
	(v)	कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को जनजातीय क्षेत्र उप आयोजना के तहत अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 4.64 करोड़)।		(v)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes (₹ 4.64 crore).
	(vi)	कृषि शिक्षा संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 1.90 करोड़)।		(vi)	providing Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Agricultural Education Institutes, Research & Education Schemes (₹ 1.90 crore).
	(vii)	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 1.83 करोड़)।		(vii)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes (₹ 1.83 crore).
	(viii)	पशु विज्ञान संस्थान स्कीम, डेयरी अनुसंधान संस्थान सहित अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 4.59 करोड़)।		(viii)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Animal Science Institutes, Research & Education Schemes including Dairy Research Institutes and schemes (₹ 4.59 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ix)	मात्स्यिकी संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.24 करोड़)।	(ix)	providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Fisheries Institutes, Research & Education Schemes (₹ 0.24 crore).
(x)	केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.45 करोड़)।	(x)	providing additional Grants-in-Aid General to Central Agricultural University, Bundelkhand (₹ 0.45 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	(b)	(i)
	प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन संस्थान स्कीम, अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को अतिरिक्त सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.28 करोड़)।		providing additional Grants-in-Aid General to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Natural Resource Management Institutes, Research & Education Schemes (₹ 0.28 crore).
	(ii)		(ii)
	पशु विज्ञान संस्थान स्कीम, डेयरी अनुसंधान संस्थान सहित अनुसंधान एवं शिक्षा स्कीमों के अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 0.56 करोड़)।		providing additional Grants for creation of Capital Assets to Indian Council of Agricultural Research under the scheme of Animal Science Institutes, Research & Education Schemes including Dairy Research Institutes and schemes (₹ 0.56 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 3

पशु पालन और डेरी कार्य तथा मात्स्यिकी विभाग

DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY, DAIRYING AND FISHERIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 3 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 4 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये)

(See page 3 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 4 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 5 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2877.48	2877.48
पूंजी	Capital	...	43.52	43.52
जोड़	Total	...	2921.00	2921.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.06	0.06
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2921.08	2921.08
राजस्व	Revenue	...	2877.55	2877.55
पूंजी	Capital	...	43.53	43.53
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2404-डेयरी विकास	2404-Dairy Development	...	0.01	0.01

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान देना (₹ 0.64 करोड़)।

अनुदानों के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing Grants-in-aid General under the scheme of National Programme for Dairy Development (₹ 0.64 crore) .

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 4

परमाणु ऊर्जा

ATOMIC ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 4 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)

(See page 4 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 6 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	13109.36	13110.36
पूंजी	Capital	0.50	6505.58	6506.08
जोड़	Total	1.50	19614.94	19616.44
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	688.26	688.26
पूंजी	Capital	...	278.73	278.73
जोड़	Total	...	966.99	966.99
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	92.88	92.88
जोड़	Total	...	92.89	92.89
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.50	20674.82	20676.32
राजस्व	Revenue	1.00	13797.63	13798.63
पूंजी	Capital	0.50	6877.19	6877.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान	3401-Atomic Energy Research	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4861-परमाणु ऊर्जा उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4861-Capital Outlay on Atomic Energy Industries	...	0.01 (खब)	0.01
5401-परमाणु ऊर्जा अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5401-Capital Outlay on Atomic Energy Research	...	0.01 (गक)	0.01
6801-विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण	6801-Loans for Power Projects	...	92.86 (घद)	92.86
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	92.88	92.88
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	92.89	92.89

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क)	सहायता प्राप्त संस्थानों को अनुदान सहायता वेतन देने के लिए (₹ 269.84 करोड़) और सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के कारण संशोधित भत्तों और बकायों के भुगतान के लिए परमाणु ऊर्जा शिक्षा सोसायटी (₹ 21.10 करोड़) के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure towards Grant in aid salary to Aided Institutions (₹ 269.84 crore) and to Atomic Energy Education Society (AEES) (₹ 21.10 crore) for payment of revised allowances and arrears due to implementation of 7th Central Pay Commission. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	इन मदों के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (1) मुख्य निर्माण कार्य (i) विकिरण और आइसोटोप परियोजनाएं (₹ 0.79 करोड़ रु.), (ii) ईंधन फैब्रिकेशन परियोजनाएं (₹ 6.31 करोड़) और (iii) फास्ट रिएक्टर फ्यूल साइकिल फैसिलिटी (एफआरएफसीएफ) (₹ 61.80 करोड़) और (2) भारी जल योजना परियोजनाओं के लिए मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.11 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure towards (1) Major Work for (i) Radiation & Isotopes Projects (₹ 0.79 crore), (ii) Fuel Fabrication Projects (₹ 6.31 crore) and (iii) Fast Reactor Fuel Cycle Facility (FRFCF) (₹ 61.80 crore) and (2) Machinery and Equipments (₹ 0.11 crore) for Heavy Water Plan Projects Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	निम्नलिखित मुख्य निर्माण कार्य के लिए व्यय पूरा करने हेतु (i) बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान और विकास (₹ 64.34 करोड़) (ii) लेजर हेतु उन्नत प्रौद्योगिकी (₹ 2.71 करोड़) (iii) फास्ट रिएक्टर विज्ञान और प्रौद्योगिकी अनुसंधान (₹ 14.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	For meeting expenditure towards Major works for (i) Research and Development in Basic Science and Engineering (₹ 64.34 crore) (ii) Advance Technology for laser (₹ 2.71 crore) (iii) Research for Fast Reactor Science & Technology (₹ 14.20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	सीएए-रूसी क्रेडिट के निर्देश के अनुसार केएनएनपीपी-3 और 4 के लिए ऋण संबंधी अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए (₹ 550 करोड़ रु.)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों और अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(d)	Meeting additional requirement for loan towards KKNPP-3&4 as per direction of CAAA-Russian Credit (₹ 550 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant and savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 5

आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष) मंत्रालय

MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 6 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 5 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये)

(See page 6 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 5 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 8 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1425.35	1425.35
पूंजी	Capital	...	3.30	3.30
जोड़	Total	...	1428.65	1428.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	101.16	101.16
पूंजी	Capital	...	28.00	28.00
जोड़	Total	...	129.16	129.16
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	493.50	493.50
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	493.50	493.50
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2051.31	2051.31
राजस्व	Revenue	...	2020.01	2020.01
पूंजी	Capital	...	31.30	31.30

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>		<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	13.82	(का)	13.82
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	86.00	(खब)	86.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	390.68	(गक)	390.68
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	3.00	(घद)	3.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	493.50		493.50

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	(-)10.82		(-)10.82
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	(-)86.00		(-)86.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)390.68		(-)390.68
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)3.00		(-)3.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)490.50		(-)490.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) (क) (i) (1) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (₹ 5.44 करोड़), (2) केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹ 2.90 करोड़), (3) मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान (₹ 2.32 करोड़) और (4) राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 6.50 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (ii) (1) अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, नई दिल्ली (₹ 9.77 करोड़), (2) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर (₹ 3.36 करोड़), राष्ट्रीय आयुष मिशन (₹ 3.50 करोड़), स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान, (iii) (1) आयुर्वेद, सिद्ध एवं यूनानी (एएसयू) औषध-विज्ञान समितियां तथा भारतीय औषधी औषध-विज्ञान आयोग (पीसीआईएम) का सुदृढीकरण (₹ 0.75 करोड़), (2) केंद्रीय होम्योपैथी परिषद् (₹ 0.21 करोड़) (3) राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर (₹ 2 करोड़), (4) केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् (₹ 5 करोड़), (5)</p> | <p>(a) (i) Grants-in-aid-General under the Schemes:- (1) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 5.44 crore), (2) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 2.90 crore), (3) Morarji Desai National Institute of Yoga (₹ 2.32 crore) & (4) National AYUSH Mission (₹ 6.50 crore), (ii) Grants for creation of Capital Assets under the Schemes:- (1) All India Institute of Ayurveda, New Delhi (₹ 9.77 crore), (2) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 3.36 crore) & National AYUSH Mission (₹ 3.50 crore), (iii) Grants-in-aid-Salary under the Schemes:- (1) Pharmacopoeia Committees of Ayurveda, Siddha and Unani (ASU) and strengthening of Pharmacopoeia Commission of Indian Medicine(PCIM) (₹ 0.75</p> |
|---|--|

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद् (₹ 6.85 करोड़), (6) राष्ट्रीय यूनानी औषधी संस्थान, बंगलौर (₹ 0.21 करोड़), (7) राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, चेन्नई (₹ 1.69 करोड़) तथा (8) केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद् चेन्नई (₹ 2.19 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (iv) राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत व्यावसायिक सेवाएं (₹ 0.82 करोड़) और (v) राष्ट्रीय निवेश निधि में अन्तर खाता अंतरण (₹ 490.50 करोड़)।

अनुदान के पूंजी खंड में उपलब्ध ₹ 3 करोड़ की बचतों और राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) ₹ 10.82 करोड़ की समतुल्य वसूलियों तथा अनुदान के उसी खंड में शेष बचतों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, ₹ 13.82 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान प्रार्थनीय है।

- (ख) (ख) (i) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत : (1) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 36.00 करोड़) और (2) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 50.00 करोड़)। (b)

एनआईएफ में उपलब्ध ₹ 86 करोड़ की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए इसमें नकद व्यय नहीं होगा;

- (ग) (ग) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत (1) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 181.68 करोड़) और (2) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 209.00 करोड़)। (c)

एनआईएफ में उपलब्ध ₹ 390.68 करोड़ की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (घ) (घ) राष्ट्रीय आयुष मिशन स्कीम के अंतर्गत : (1) सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.50 करोड़) और (2) पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 1.50 करोड़)। (d)

एनआईएफ में उपलब्ध ₹ 3 करोड़ की समतुल्य वसूलियों को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

crore), (2) Central Council for Homoeopathy (₹ 0.21 crore), (3) National Institute of Ayurveda, Jaipur (₹ 2 crore), (4) Central Council for Research in Ayurvedic Sciences (₹ 5 crore), (5) Central Council for Research in Homoeopathy (₹ 6.85 crore), (6) National Institute of Unani Medicine, Bangalore (₹ 0.21 crore), (7) National Institute of Siddha, Chennai (₹ 1.69 crore) & (8) Central Council for Research in Siddha, Chennai (₹ 2.19 crore), (iv) Professional Services under National AYUSH Mission (₹ 0.82 crore) and (v) Inter Account Transfer to "National Investment Fund (NIF)" (₹ 490.50 crore)

Taking into account of saving of ₹ 3 crore available in the Capital Section of the Grant and ₹ 10.82 crore matched with the recoveries from National Investment Fund (NIF) and rest of the savings available in same section of Grant Technical supplementary of ₹ 13.82 crore is sought.

(i) Under scheme National AYUSH Mission: (1) Grant-in-Aid General (₹ 36.00 crore) and (2) Grant for creation of Capital Assets (₹ 50.00 crore).

Taking into account the matching recoveries of ₹ 86 crore available in NIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

Under scheme National AYUSH Mission: (1) Grant-in-Aid General (₹ 181.68 crore) and (2) Grant for creation of Capital Assets (₹ 209.00 crore).

Taking into account the matching recovery of ₹ 390.68 crore available in NIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

Under scheme of National AYUSH Mission: (1) Grant-in-Aid General (₹ 1.50 crore) and (2) Grant for creation of Capital Assets (₹ 1.50 crore).

Taking into account the matching recovery of 3 crore available in NIF, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 6

रसायन और पेट्रोसायन विभाग

DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 7 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 6 देखिये)
(See page 7 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 6 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	273.39	273.39
पूंजी	Capital	...	24.61	24.61
जोड़	Total	...	298.00	298.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	360.26	360.26
जोड़	Total	...	360.27	360.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	658.28	658.28
राजस्व	Revenue	...	273.41	273.41
पूंजी	Capital	...	384.87	384.87
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'असम गैस क्रैकर परियोजना' स्कीम के लिए व्यय (₹ 15.41 करोड़)

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Expenditure for the scheme 'Assam Gas Cracker Project' (AGCP) (₹ 15.41 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 8

भेषज विभाग

DEPARTMENT OF PHARMACEUTICALS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 9 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)
(See page 9 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 11 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	247.68	247.68
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
जोड़	Total	...	247.74	247.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	18.35	18.35
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	18.35	18.35
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	266.11	266.11
राजस्व	Revenue	...	266.05	266.05
पूंजी	Capital	...	0.06	0.06
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	(का) 0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(खb) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

The supplementary Grants are required for:

(क)	राष्ट्रीय भेषजीय शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, गुवाहाटी में विभाग की स्थापना (₹ 1.00 करोड़) और औजारों की खरीद एवं निर्माण क्रियाकलापों के लिए (₹ 12.15 करोड़)।	(a)	Establishment of Department at National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER), Guwahati (₹ 1.00 Crore) and for acquiring of instruments and construction activities (₹ 12.15 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	एनआईपीआईआर मोहाली के लिए उपस्कर की खरीद (₹ 14 करोड़) और एनआईपीआईआर अहमदाबाद ((₹ 5 करोड़) तथा एनआईपीआईआर-मोहाली को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.58 करोड़)।	(b)	Procurement of equipments for NIPER Mohali (₹ 14 crore) & NIPER Ahmedabad (₹ 5 crore) & Grant in Aid General to NIPER- Mohali (₹ 0.58 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 9

नागर विमानन मंत्रालय

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 10 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 8 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये)

(See page 10 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 8 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 12 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	781.34	781.34
पूंजी	Capital	...	1920.70	1920.70
जोड़	Total	...	2702.04	2702.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	85.24	85.24
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	85.25	85.25
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	2.00	2.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2.00	2.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2789.29	2789.29
राजस्व	Revenue	...	868.58	868.58
पूंजी	Capital	...	1920.71	1920.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3053-नागर विमानन	3053-Civil Aviation	...	2.00	2.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

संविदागत उड़ान प्रचालन निरीक्षकों की परिलब्धियों के भुगतान के लिए
(₹ 2 करोड़) व्यावसायिक सेवाओं के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना।

अनुदानों के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय
में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

providing additional funds under Professional Services for payment of emoluments of contractual Flight Operations inspectors (₹ 2 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 10

कोयला मंत्रालय

MINISTRY OF COAL

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 11 देखिये)

(See page 11 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	745.10	745.10
पूंजी	Capital	...	700.00	700.00
जोड़	Total	...	1445.10	1445.10
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1445.11	1445.11
राजस्व	Revenue	...	745.11	745.11
पूंजी	Capital	...	700.00	700.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2803-कोयला और लिग्नाइट	2803-Coal and Lignite	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

'कोयला तथा कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए भुगतान' योजना के अंतर्गत, कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास की एक उप-योजना, (₹ 5.65 करोड़) के लिए आदिवासी क्षेत्र उप योजना के तहत सब्सिडी पर व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure on subsidies under Tribal Area Sub-Plan under the Scheme "Payment against collection of Cess (Excise Duty) on Coal and Coke", a sub-scheme of "Conservation, Safety and Infrastructure Development in Coal Mines" (₹ 5.65 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 11

वाणिज्य विभाग

DEPARTMENT OF COMMERCE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 12 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 9 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये)

(See page 12 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 9 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 14 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.06	4314.55	4314.61
पूंजी	Capital	...	151.22	151.22
जोड़	Total	0.06	4465.77	4465.83
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1117.52	1117.52
पूंजी	Capital	...	60.39	60.39
जोड़	Total	...	1177.91	1177.91
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	20.27	20.27
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	20.27	20.27
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.06	5663.95	5664.01
राजस्व	Revenue	0.06	5452.34	5452.40
पूंजी	Capital	...	211.61	211.61
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2407-पौधरोपण	2407-Plantations	...	0.01 (क)a	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)b	0.01
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	3453-Foreign Trade and Export Promotion	...	20.25 (ग)c	20.25
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	20.27	20.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	₹ 30.00 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 3.50 करोड़) सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत ₹ 8.50 करोड़, सब्सिडी के अंतर्गत ₹ 14.50 करोड़, चाय बोर्ड के अंतर्गत वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए चाय अधिनियम के विनियामक उपबंधों को क्रियान्वित करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत ₹ 3.50 करोड़)।	(a)	(i)	Meeting additional requirement of ₹ 30.00 cr. (₹ 3.50 cr. under Grants-in-Aid Salary + ₹ 8.50 cr. under Subsidies + ₹ 14.50 cr. under Grants-in-Aid General for Research & Development+ ₹ 3.50 cr. under Grants-in-Aid General for implementation of regulatory provision of Tea Act) under Tea Board to meet the committed liabilities.
	(ii)	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना ₹ 44.94 करोड़) सहायता अनुदान वेतन के तहत (₹ 15.00 करोड़ और ₹ 9.44 करोड़ उपकर संग्रहण के लिए भुगतान हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत ₹ 12.00 करोड़। सब्सिडी के अंतर्गत ₹ 8.50 करोड़ अन्य व्यय के लिए) सामान्य सहायता अनुदान वेतन के तहत काफी बोर्ड के अंतर्गत वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए।		(ii)	Meeting additional requirement of ₹ 44.94 cr. (₹ 15.00 cr. under Grants-in-Aid Salary + ₹ 9.44 cr. under Grants-in-Aid General for payment against collection of cess + ₹ 12.00 cr. under Subsidies + ₹ 8.50 cr. under Grants-in-Aid General for Other Expenditure) under Coffee Board to meet the committed liabilities.
	(iii)	अतिरिक्त आवश्यकता ₹ 39.63 करोड़ पूरी करना (₹ 32.52 करोड़, सहायता अनुदान वेतन के अंतर्गत ₹ 7.11 करोड़ उपकर के संग्रहण हेतु भुगतान के लिए सामान्य सहायता अनुदान के अंतर्गत, वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए रबर बोर्ड के अंतर्गत।		(iii)	Meeting additional requirement of ₹ 39.63 cr. (₹ 32.52 cr. under Grants-in-Aid Salary + ₹ 7.11 cr. under Grants-in-Aid General for payment against collection of cess) under Rubber Board to meet the committed liabilities.
	(iv)	अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना ₹ 5.42 करोड़ वचनबद्ध देनदारियों को पूरा करने के लिए मसाला बोर्ड के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन के तहत। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		(iv)	Meeting additional requirement of ₹ 5.42 cr. under Grants-in-Aid Salary under Spices Board to meet the committed liabilities. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		लंबित सब्सिडी दावों के लिए रबर उत्पादकों और अन्य को प्रयोजन शीर्ष सहायता में सब्सिडी के लिए रबर बोर्ड के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना ₹ 2.00 करोड़। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)		Meeting additional requirement of ₹ 2.00 cr. under Rubber Board towards object head subsidies in assistance to Rubber growers and others for pending subsidy claims. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i)	₹ 3.25 करोड़ अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के लिए अन्य प्रशासनिक व्यय ₹ 12.33 करोड़ विश्व व्यापार संगठन केन्द्र के अंतर्गत	(c)	(i)	Meeting additional requirement of ₹ 3.25 cr. under International Conference towards Other Administrative Expenses and

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मौजूदा वर्ष में तीन केन्द्रों में क्रियाकलापों के लिए व्यय पूरा करने हेतु अन्य प्रभागों के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (ii) अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना ₹ 10.00 करोड़ नेटवर्किंग केन्द्र फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान के अंतर्गत, कम्प्यूटर नेटवर्किंग केन्द्र, नेटवर्किंग केन्द्र के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान ₹ 9.75 करोड़ बाजार सुलभता पहल के अंतर्गत। निर्यातकों को हवाई भाड़ा सहायता के लिए सामान्य सहायता अनुदान के तहत पंजीकरण प्रभागों को प्रतिपूर्ति और ₹ 0.50 करोड़, कम्बोडिया, लाओस, म्यांमार और वियेतनाम देशों के लिए परियोजना विकास निधि हेतु ऐक्जिम बैंक को प्रतिपूर्ति हेतु सामान्य सहायता अनुदान के तहत।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान ₹ 20.25 करोड़ मांगा जाता है।

₹ 12.33 cr. under Centre for WTO towards Other Charges to meet the expenditure for the activity within three centres in the current year. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token Supplementary is sought.

- (iii) Meeting additional requirement of ₹ 10.00 cr. under Networking Centre Footwear Design and Development Institute (FDDI), Computer Networking Centre (CNC) towards Grant for Creation of Capital Assets for the Networking Centre (CNC), ₹ 9.75 cr. under Market Access Initiative (MAI) under Grants-in-Aid General to support airfare to exporters, reimbursement of registration charges and ₹ 0.50 cr. towards Project Development Fund for Cambodia, Laos, Myanmar & Vietnam Countries under Grants-in-Aid General for reimbursement to Exim Bank.

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary (₹ 20.25 cr.) is sought,

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 12 औद्योगिक नीति तथा संवर्धन विभाग

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL POLICY AND PROMOTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 13 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 10 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये)

(See page 13 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 10 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 16 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3599.19	3599.19
पूंजी	Capital	...	9.68	9.68
जोड़	Total	...	3608.87	3608.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2000.04	2000.04
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2000.05	2000.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	525.55	525.55
जोड़	Total	...	525.56	525.56
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6134.48	6134.48
राजस्व	Revenue	...	5599.24	5599.24
पूंजी	Capital	...	535.24	535.24
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01 (क)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	30.55 (ख)	30.55
4875-अन्य उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4875-Capital Outlay on Other Industries	...	495.00 (ग)	495.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	525.55	525.55
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	525.56	525.56

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

(क)	भोपाल, कुरुक्षेत्र और विजयवाड़ा में 3 नए एनआईडी के निर्माण कार्य के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान "प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत स्वायत्त संस्थाओं को परियोजना आधारित सहायता के अंतर्गत ₹ 100 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए।	(a)	Meeting additional requirement of ₹ 100 crore under Project Based Support to Autonomous Institutions under the object head "Grants for creation of Capital Assets" for construction work of 3 new National Institute of Design (NID) at Bhopal, Kurukshetra and Vijaywada.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	"बौद्धिक संपदा कार्यालय का आधुनिकीकरण और सुदृढीकरण" स्कीम के अंतर्गत भूमि की खरीद हेतु व्यय पूरा करना (₹ 30.55 करोड़)।	(b)	Meeting expenditure (₹ 30.55 crore) for purchase of land under the scheme "Modernization and Strengthening of Intellectual Property Office".
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	प्रदर्शनी-सह-सम्मेलन केन्द्र द्वारका में निवेश (₹ 495.00 करोड़) इक्विटी के रूप में।	(c)	Investment into the "Exhibition-Cum-Convention Centre (ECC) Dwarka" (₹ 495.00 crore) as equity.
	अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध समतुल्य बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of equivalent amount of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 13

डाक विभाग

DEPARTMENT OF POSTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 14 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 14 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 18 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	25057.61	25058.21
पूंजी	Capital	...	495.00	495.00
जोड़	Total	0.60	25552.61	25553.21
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	3.01	204.00	207.01
पूंजी	Capital	...	216.00	216.00
जोड़	Total	3.01	420.00	423.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	5.77	2041.43	2047.20
पूंजी	Capital	...	108.15	108.15
जोड़	Total	5.77	2149.58	2155.35
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	9.38	28122.19	28131.57
राजस्व	Revenue	9.38	27303.04	27312.42
पूंजी	Capital	...	819.15	819.15
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	6.49 (का)	6.49
3201-डाक सेवाएं	3201-Postal Services	5.77 (खb)	2034.94 (गc)	2040.71
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	5.77	2041.43	2047.20
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	11.14 (घd)	11.14
5201-डाक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5201-Capital Outlay on Postal Services	...	97.01 (डेe)	97.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	108.15	108.15
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	5.77	2149.58	2155.35

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

- (क) आईटी शामिल करना और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण के तहत नेटवर्क एकीकरण के लिए ₹ 6.49 करोड़ का व्यय पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ख) न्यायालयी निर्णयों के चलते ₹ 5.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ग) पेंशन संबंधी प्रभारों के लिए ₹ 1993.28 करोड़ अतिरिक्त व्यय पूरा करना और आईटी शामिल करना और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण के तहत नेटवर्क एकीकरण के लिए ₹ 41.66 करोड़ का व्यय पूरा करना। अतिरिक्त प्राप्तियों को देखते हुए, इसमें ₹ 1837.24 करोड़ का नकद व्यय होगा।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (घ) आईटी शामिल करना और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण के तहत नेटवर्क एकीकरण के लिए ₹ 11.14 करोड़ का व्यय पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।
- (ड) आईटी शामिल करना और डाक प्रचालन के आधुनिकीकरण के तहत नेटवर्क एकीकरण के लिए ₹ 97.01 करोड़ का व्यय पूरा करना।
उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

- (a) meeting additional expenditure of ₹ 6.49 crore towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) meeting additional expenditure of ₹ 5.77 crore arising out of court Judgements.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (c) meeting additional expenditure of ₹ 1993.28 crore towards pensionary charges and ₹ 41.66 crore towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations. Taking into account additional receipts, it will entail ₹ 1837.24 crore as cash outgo .
The above expenditure will entail a net cash outgo;
- (d) meeting additional expenditure of ₹ 11.14 crore towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (e) meeting additional fund of ₹ 97.01 crore towards Network Integration under IT Induction and Modernisation of Postal Operations.
The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 14

दूरसंचार विभाग

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 15 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये)
(See page 15 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 19 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	35192.65	35192.65
पूंजी	Capital	...	3386.00	3386.00
जोड़	Total	...	38578.65	38578.65
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	35.00	35.00
जोड़	Total	...	35.02	35.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	1574.54	1574.54
जोड़	Total	...	1574.54	1574.54
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	40188.21	40188.21
राजस्व	Revenue	...	35192.67	35192.67
पूंजी	Capital	...	4995.54	4995.54

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
4552-पूर्वांतर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	55.00	(क) 55.00	55.00
4859-दूरसंचार और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	4859-Capital Outlay on Telecommunication and Electronic Industries	...	137.00	(ख) 137.00	137.00
5275-अन्य संचार सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	5275-Capital Outlay on Other Communication Services	...	1331.54	(ग) 1331.54	1331.54
7275-अन्य संचार सेवाओं के लिए ऋण	7275-Loans for Other Communication Services	...	51.00	(घ) 51.00	51.00
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	1574.54		1574.54

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल फाइबर केबल आधारित नेटवर्क के लिए ₹ 55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय के लिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 55 crore towards Optical Fibre Cable based network for Defence Services. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	कंपनी की वित्तीय पुनर्संरचना के भाग के रूप में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लि. में इक्विटी लगाने के लिए ₹ 137 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय के लिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 137 crore towards equity Infusion in Indian Telephone Industries Limited as part of financial restructuring of the company. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	में निवेश हेमिस्फियर प्रापर्टीज लि. के लिए (i) ₹ 700 करोड़ और (ii) रक्षा सेवाओं के लिए ऑप्टिकल केबल आधारित नेटवर्क के लिए ₹ 700 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए शेष धनराशि के लिए पूरक अनुदान मांगा जाता है। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय के लिए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	meeting additional expenditure of (i) ₹ 700 crore towards investment in Hemisphere Properties Limited and (ii) ₹ 700 crore towards Optical Fibre Cable based network for Defence Services . After taking into account the saving available within the same section of the grant, supplementary for the balance amount is sought. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(घ)	हेमिस्फियर प्रापर्टीज लि. को ऋण मुहैया कराने के लिए ₹ 51 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्ण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 51 crore for providing loans to Hemisphere Properties Limited. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 16
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

DEPARTMENT OF FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 17 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 12 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 21-22 देखिये)

(See page 17 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 12 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 21-22 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	150952.64	150952.64
पूंजी	Capital	...	50523.05	50523.05
जोड़	Total	...	201475.69	201475.69
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	3539.10	3539.12
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	0.02	3539.12	3539.14
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	205014.83	205014.85
राजस्व	Revenue	0.02	154491.75	154491.77
पूंजी	Capital	...	50523.08	50523.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2408-खाद्य भंडारण और भाण्डागारण	2408-Food Storage and Warehousing	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	भारतीय, खाद्य निगम और अन्य को देय चीनी सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करना (₹ 100 करोड़)।	(a)	(i)	providing additional subsidy under the scheme of Sugar Subsidy payable to FCI & others (₹ 100 crore).
	(ii)	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अधीन खाद्यानों की विकेन्द्रीकृत खरीद के लिए राज्यों को अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करना (₹ 7800 करोड़)।		(ii)	providing additional subsidy to States for decentralized procurement of foodgrains under National Food Security Act, 2013 (₹ 7800 crore).
	(iii)	शर्करा विकास निधि को अंतरण (₹ 317.52 करोड़)।		(iii)	transfer to Sugar Development Fund (₹ 317.52 crore).
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)		बागसी स्थित विद्युत सह-उत्पादन परियोजना के लिए शर्करा मिलों को ऋण जारी करना (₹ 13 करोड़) व्यय शर्करा विकास निधि से पूरा किया जाएगा।	(b)		release of loans to Sugar Mills for Bagasse based Co-generation of Power Project (₹ 13 crore). The expenditure will be met from Sugar Development Fund.
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 17

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 19 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 13 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 23 देखिये)

(See page 19 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 13 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 23 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	478.54	478.54
पूंजी	Capital	...	29.50	29.50
जोड़	Total	...	508.04	508.04
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	80.80	80.80
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	80.80	80.80
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	588.85	588.85
राजस्व	Revenue	...	559.35	559.35
पूंजी	Capital	...	29.50	29.50
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	3475-Other General Economic Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

भारतीय कारपोरेट विधिक सेवा (आईसीएलएस) (₹ 0.02 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Indian Corporate Law Service (ICLS) (₹ 0.02 crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 18

संस्कृति मंत्रालय

MINISTRY OF CULTURE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 20 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 14 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये)

(See page 20 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 14 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 24 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2661.79	2661.79
पूंजी	Capital	...	76.68	76.68
जोड़	Total	...	2738.47	2738.47
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2738.56	2738.56
राजस्व	Revenue	...	2661.86	2661.86
पूंजी	Capital	...	76.70	76.70
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2205-कला और संस्कृति	2205-Art and Culture	...	0.01 (क)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) अकादमियों को सहायता (₹ 8.14 करोड़) (सामान्य घटक- ₹ 7.49 करोड़ एवं जनजातीय उप योजना घटक- ₹ 0.65 करोड़), (2) संग्रहालयों को सहायता- (₹ 5.97 करोड़) सामान्य घटक - ₹ 5.67 करोड़ एवं जनजातीय उपयोजना ₹ 0.30 करोड़, (3) पुस्तकालय को सहायता (₹ 16.56 करोड़) सामान्य घटक- ₹ 15.56 करोड़ तथा जनजातीय उप योजना ₹ 1.00 करोड़ और (4) बौद्ध तिब्बती संस्थान एवं संस्मारक (₹ 0.65 करोड़) स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान और (ii). अकादमियों को सहायता (₹ 1.30 करोड़) स्कीम के वेतन सहायता अनुदान।	(a)	(i). Grants-in-aid General under the schemes (1) Support to Akademies (₹ 8.14 crore) [General Comp - ₹ 7.49 crore & Tribal Sub Plan Comp - ₹ 0.65 crore], (2) Support to Museums (₹ 5.97 crore) [General Comp - ₹ 5.67 crore & Tribal Sub Plan ₹ 0.30 crore], (3) Support to Libraries (₹ 16.56 crore) [General Comp - ₹ 15.56 crore & Tribal Sub Plan ₹ 1.00 crore] and (4) Buddhist Tibetan Institution and Memorials (₹ 0.65 crore) and (ii). Grant in aid Salaries under the scheme (i) Support to Akademies (₹ 1.30 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) निम्नलिखित के अंतर्गत सहायता अनुदान सामान्य उपलब्ध कराने हेतु (1) अकादमियों को सहायता (₹ 1.15 करोड़) तथा (2) अनुदानकर्ता निकाय- बुद्धिस्ट तिब्बती संस्थाएं तथा स्मारक (₹ 0.45 करोड़)।	(b)	(i) Grants-in-aid General under the schemes (1) Support to Akademies (₹ 1.15 crore) and (2) Grantee Bodies-Buddhist Tibetan Institutions and Memorials (₹ 0.45 crore).
	अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान अपेक्षित है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 19

रक्षा मंत्रालय (विविध)

MINISTRY OF DEFENCE (MISC.)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 21 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 16 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये)

(See page 21 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 16 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 25 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	27743.95	27744.71
पूंजी	Capital	5488.69	5523.69
जोड़	Total	33232.64	33268.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	36.82	36.82
पूंजी	Capital	500.00	500.00
जोड़	Total	536.82	536.82
इस समय आवश्यक रकम का	Supplementary Estimate of the amount now		
पूरक अनुमान:	required:		
राजस्व	Revenue	578.69	579.61
पूंजी	Capital	0.04	0.04
जोड़	Total	578.73	579.65
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	34348.19	34384.87
राजस्व	Revenue	28359.46	28361.14
पूंजी	Capital	5988.73	6023.73

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	0.87 (का)	0.01 (खb) 0.88
2037-सीमा शुल्क	2037-Customs	0.05 (गc)	0.01 (घd) 0.06
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	578.67 (डेe) 578.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.92	578.69
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4047-अन्य राजकोषीय सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4047-Capital Outlay on Other Fiscal Services	...	0.01 (चf) 0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (छg) 0.01
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	0.01 (झh) 0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	0.01 (ञja) 0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.04
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	0.92	578.73

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)58.00	(-)58.00
-------------------------------------	--	-----	----------	----------

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क) अदालती/केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के निर्णयों के फलस्वरूप रक्षा लेखा विभाग के 0.87 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए।	(a) meeting additional expenditure of ₹ 0.87 crore of Defence Accounts Department arising out of court judgement/Central Administrative Tribunal award.
---	---

अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ख)	सीमा सड़क संगठन के वेतन के अंतर्गत 200.20 करोड़ रुपए की आवश्यकता और रक्षा लेखा विभाग के हॉस्टल सब्सिडी के लिए 0.07 करोड़ रुपए, रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान को अनुदान सहायता के रूप में 2.07 करोड़ रुपए, रक्षा संपदा संगठन के अंतर्गत कैन्टोमेंट बोर्डों में स्वच्छता कार्य योजना के लिए 5 करोड़ रुपए और सचिवालय की स्थापना के लिए 141.47 करोड़ रुपए की अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 141.47 crore for establishment of Secretariat, ₹ 5 crore for Swachhta Action Plan in Cantonment boards under Defence Estate Organisation, ₹ 2.07 crore as grants-in-aid to Institute of Defence Studies and Analyses, ₹ 0.07 crore for hostel subsidy of Defence Accounts Department and ₹ 200.20 crore for requirement under salary of Border Roads Organisation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अदालती आदेशों के अंतर्गत 0.01 करोड़ रुपए और पंजाब एवं हरियाणा न्यायालय के फैसले को कार्यान्वित करने के लिए वेतन के बकाया के भुगतान के लिए 0.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण के मद्देनजर उपर्युक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 0.04 crore towards payment arrears of salary in satisfaction of judgement of Punjab and Haryana Court and ₹ 0.01 crore under court orders. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(घ)	लघु कार्यों के अंतर्गत 263.60 करोड़ रुपए, पेशेवर सेवाओं (15 करोड़ रुपए), कार्यालय व्यय (2.15 करोड़ रुपए) और तट रक्षक संगठन के स्थापना संबंधी अन्य व्यय से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(d)	meeting additional requirement under Minor Works (₹ 263.60 crore), Professional Services (₹ 15 crore), Office Expenses (₹ 2.15 crore) and other establishment related expenditure of Coast Guard Organisation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	भूतपूर्व सेनाकर्मों अंशदान स्वास्थ्य योजना के लिए 1,005.36 करोड़ रुपए की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। अनुदान के पूंजी खंड के अंतर्गत 58 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वसूलियों और पूंजी खंड के तहत बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए 578.67 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(e)	meeting additional requirement of ₹ 1,005.36 crore for Ex-servicemen contributory Health Scheme. Taking into account the additional recoveries of ₹ 58 crore under capital side and surrender of savings under Capital Section of the Grant, a technical supplementary of ₹ 578.67 crore is sought;
(च)	तट रक्षक संगठन के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(f)	meeting additional expenditure of ₹ 100 crore towards land acquisition for Coast Guard Organisation. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	रक्षा लेखा विभाग के आवासन प्रयोजन के लिए 2 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(g)	meeting additional expenditure of ₹ 2 crore for housing purposes of Defence Accounts Department. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा सड़क के निर्माण के लिए 234.64 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वायय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(h)	meeting additional expenditure of ₹ 234.64 crore for construction of Border Roads in North Eastern Region. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ज)	केन्द्रीय सड़क निधि में अंतरण के लिए 38 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(i)	meeting additional expenditure of ₹ 38 crore towards transfers to Central Road Fund. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 20

रक्षा सेवा (राजस्व)

DEFENCE SERVICES (REVENUE)

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 23 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 17 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये)

(See page 23 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 17 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 26 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	107.34	195309.04	195416.38
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	107.34	195309.04	195416.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2954.67	2954.67
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	2954.67	2954.67
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107.34	198263.75	198371.09
राजस्व	Revenue	107.34	198263.75	198371.09
पूंजी	Capital	...	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted		जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION				
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD				
2076-रक्षा सेवाएं-थल सेना	2076-Defence Services - Army	...	0.01	(का)	0.01
2077-रक्षा सेवाएं-नौ सेना	2077-Defence Services - Navy	...	0.01	(खब)	0.01
2078-रक्षा सेवाएं-वायु सेना	2078-Defence Services - Air Force	...	0.01	(गक)	0.01
2080-रक्षा सेवाएं- अनुसंधान और विकास	2080-Defence Services - Research and Development	...	0.01	(घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.04		0.04

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

The supplementary Grants are required for:

(क)	परिवहन, एनसीसी और भंडार और अन्य व्यय के अंतर्गत ₹ 119.55 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure of ₹ 119.55 crore under transportation, NCC, Stores and other expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	परिवहन, मरम्मत, भंडार, संयुक्त स्टाफ एवं अन्य व्यय के लिए ₹ 581.60 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure of ₹ 581.60 crore for transportation, repairs & refits, stores, Joint Staff and Other expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भंडार और निर्माण तथा अन्य व्यय के लिए ₹ 825.72 का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 825.72 for stores and works and other expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	अनुसंधान एवं विकास, भंडार निर्माण और अन्य व्यय के लिए ₹ 617.33 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	meeting additional expenditure of ₹ 617.33 crore for research and development, stores, Works and other expenditure. Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 21

रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय

CAPITAL OUTLAY ON DEFENCE SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 25 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 18 देखिये)
(See page 25 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 18 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	148.06	86339.95	86488.01
जोड़	Total	148.06	86339.95	86488.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	80.00	...	80.00
जोड़	Total	80.00	...	80.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	113.31	0.01	113.32
जोड़	Total	113.31	0.01	113.32
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	341.37	86339.96	86681.33
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	341.37	86339.96	86681.33
II. इस पूरक अनुदान/विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grant/Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4076-रक्षा सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4076-Capital Outlay on Defence Services	113.31 (क a)	0.01 (ख b)	113.32

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

(क)	थल सेना, नौ सेना के अंतर्गत भूमि, वायु सेना के तहत निर्माण कार्य और विशेष परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करना। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	meeting additional expenditure for Land under Army, Navy, Works under Air Force. Taking into account the savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	वायुयान (₹260 करोड़), अन्य उपकरण (₹1274.26 करोड़), राष्ट्रीय कैडेट कोर (₹1 करोड़), सेना के लिए निर्माण कार्य (₹100 करोड़), (ii) अन्य उपकरण (₹1000 करोड़), निर्माण कार्य (₹293 करोड़), नौसेना के लिए डाक्यार्ड (₹714.43 करोड़) (iii) वायु सेना के लिए भूमि (₹28.09 करोड़), वायुयान (₹5300.32 करोड़), विशेष परियोजना (₹299.82 करोड़), तथा (iv) आयुध फैक्टरियों के लिए निर्माण (₹15 करोड़) के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के स्वीकृत भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान वांछित है।	(b)	Meeting additional expenditure under (i) air craft (₹260 crore), other equipment (₹1274.26 crore), National Cadet Corps (1 crore), works (₹100 crore) for Army (ii) other equipment (₹1000 crore), works (₹295 crore), naval dockyard (₹714.43 crore) for Navy, (iii) land (₹28.09 crore), air craft (₹5300.32 crore), special project (₹299.82 crore) for Air Force, and (iv) works (₹15 crore) for Ordnance Factories. Taking into account the savings available in the voted section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 22

रक्षा पेंशन

DEFENCE PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	2.69	85737.31	85740.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	2.69	85737.31	85740.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	9260.23	9260.23
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	9260.23	9260.23
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	2.69	94997.54	95000.23
राजस्व	Revenue	2.69	94997.54	95000.23
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	...	9260.23	9260.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

रक्षा मंत्रालय के पेंशन संबंधी प्रभागों के लिए ₹ 9260.23 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करना।

अनुदान के प्रभारित भाग में Rs 0.23 करोड़ की बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त में ₹ 9,260 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure of ₹ 9260.23 crore for pensionary charges of Ministry of Defence.

Taking into account the surrender of savings of ₹ 0.23 crore in the charged section of the Grant, the above will entail ₹ 9,260 crore as cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 23

पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 27 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 19 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)

(See page 27 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 19 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 27 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2084.45	2084.45
पूंजी	Capital	...	708.00	708.00
जोड़	Total	...	2792.45	2792.45
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	65.03	65.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	65.03	65.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	134.00	134.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	134.00	134.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2991.48	2991.48
राजस्व	Revenue	...	2283.48	2283.48
पूंजी	Capital	...	708.00	708.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	134.00	134.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

- (i) (i) पूर्वोत्तर परिषद - विशेष विकास परियोजना स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान - (₹ 104.00 करोड़) और (ii) उत्तर पूर्वी सड़क क्षेत्र विकास स्कीम के लिए विदेशी सहायताप्राप्त परियोजना- (₹ 30.00 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

- (i) providing Grants for creation of capital assets under (i) schemes of North East Council- Special Development Projects (₹ 104 crore) and (ii) Externally Aided Projects for North East Road Sector Development Scheme (₹ 30 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 24

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

MINISTRY OF DRINKING WATER AND SANITATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 28 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 28 देखिये)

(See page 28 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 28 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	32333.06	32333.06
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	32333.06	32333.06
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.40	0.40
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.40	0.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	4000.00	4000.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	4000.00	4000.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	36333.46	36333.46
राजस्व	Revenue	...	36333.46	36333.46
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	449.00 (का)	449.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	3551.00 (खब)	3551.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	4000.00	4000.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | |
|---|--|
| <p>(क) इन मदों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) स्कीम के अंतर्गत आर्सेनिक और फ्लोराइड से ग्रस्त बस्तियों के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन (₹ 100.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत (₹ 349 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।</p> | <p>(a) providing 'Grants-in-aid General (i) for the National Water Quality Submission for arsenic and Fluoride habitations under the scheme National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (₹ 100 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin)(₹ 349 crore) for North Eastern Region states.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p> |
| <p>(ख) इन मदों के लिए सामान्य सहायता अनुदान (i) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) स्कीम के अंतर्गत आर्सेनिक और फ्लोराइड से ग्रस्त बस्तियों के लिए राष्ट्रीय जल गुणवत्ता सब-मिशन (₹ 900.00 करोड़) और (ii) पूर्वोत्तर राज्यों से इतर अन्य राज्यों के लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण स्कीम के अंतर्गत (₹ 2651 करोड़)।</p> <p>उपर्युक्त व्यय में नकद खर्च होगा।</p> | <p>(b) providing 'Grants-in-aid General (i) for the National Water Quality Submission for arsenic and Fluoride habitations under the scheme National Rural Drinking Water Programme (NRDWP) (₹ 900 crore) and (ii) under the scheme Swachh Bharat Mission (Gramin)(₹ 2651 crore) for states other than North Eastern Region states.</p> <p>The above expenditure will entail a cash outgo;</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 25

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 29 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

I. मूल अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

पूरक अनुदान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:

राजस्व

पूँजी

जोड़

जोड़ (मूल और पूरक)

राजस्व

पूँजी

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

Total

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
------------------	------------------	---------------

राजस्व भाग

मुख्य शीर्ष

3403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान

3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

3455-मौसम विज्ञान

जोड़ (राजस्व भाग)

पूँजी भाग

मुख्य शीर्ष

5403-समुद्र विज्ञान अनुसंधान पर पूँजी परिव्यय

5455-मौसम विज्ञान पर पूँजी परिव्यय

जोड़ (पूँजी भाग)

जोड़ (पूरक)

REVENUE SECTION

MAJOR HEAD

3403-Oceanographic Research

3425-Other Scientific Research

3455-Meteorology

Total (Revenue Section)

CAPITAL SECTION

MAJOR HEAD

5403-Capital Outlay on Oceanographic Research

5455-Capital Outlay on Meteorology

Total (Capital Section)

Total (Supplementary)

...	0.01	(क) 0.01
...	0.01	(ख) 0.01
...	0.01	(ग) 0.01
...	0.03	0.03

...	0.01	(घ) 0.01
...	0.01	(ङ) 0.01
...	0.02	0.02
...	0.05	0.05

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

The supplementary Grants are required for:

- | | | | |
|-----|---|-----|---|
| (क) | भुगतान अनुसूची के अनुसार दो तटीय अनुसंधान पोतों की खरीद के लिए विक्रेता को दूसरी किस्त के भुगतान के लिए "महासागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, प्रेक्षणों संसाधन, माडलिंग एवं विज्ञान (ओ-स्टार्म्स) योजना के अंतर्गत पूँजी आस्तियों के सृजन के लिए अनुदान मुहैया कराना (₹ 16 करोड़)। | (a) | providing Grant for Creation of Capital Assets (₹ 16 crore) under the scheme "Ocean Services, Technology, Observations, Resources, Modelling and Science (O-STORMS)" for making payment of 2nd Instalment to the vendor towards the acquisition of two coastal research vessels as per the payment schedule. |
| | अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ख) | (i) पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में आर एण्ड डी के भुगतान के लिए अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीच आउट) योजना, भूकंप विज्ञान एवं समुद्र में से औषधों पर बाहरी निधियन (₹ 5.50 करोड़) की सामान्य अनुदान सहायता। (ii) हैदराबाद में अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र की इमारत के निर्माण के लिए संविदागत भुगतान हेतु अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण आउटरीच (रीचआउट) योजना के अंतर्गत आस्तियों के सृजन के लिए अतिरिक्त अनुदान (₹ 4 करोड़)। | (b) | providing additional (i) Grants in Aid General (₹ 5.50 crore) under the scheme Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) for payment towards R&D in Earth System Science, extra mural funding on Seismicity and Drugs from sea and (ii) Grants for Creation of Capital Assets (₹ 4 crore) under the scheme "Research, Education and Training Outreach (REACHOUT) for making contractual payment towards construction of building for International Training Centre at Hyderabad. |
| | अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |
| (ग) | एकीकृत सीस्मिक और जीपीएस नेटवर्क (आईएसजीएन) वीएसएटी संपर्कता एनसीआईएसएस के लिए आर एण्ड डी सहायता और जियोकोनोलोजी सुविधा की सहायता के लिए इनकोइस (आईएनसीओआईएस) को भुगतान के लिए सीस्मालिजकल एवं जियो साइंसेज़ योजना के अंतर्गत सामान्य अनुदान सहायता मुहैया कराना (₹ 14.96 करोड़)। | (c) | providing Grant in Aid General (₹ 14.96 crore) under the scheme Seismological and Geosciences (SAGE) for Payment to INCOIS for Integrated Seismic and GPS Network (ISGN) VSAT connectivity, R&D support for NCESS and support to Geochronology Facility. |
| | अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है। | | Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. |

(घ)	सागर संपदा बोर्ड पर अप्रैल 2018 में ड्राई डॉक से पहले वैज्ञानिक उपस्कर के तत्काल खरीद के लिए महासागर सेवाएं, प्रौद्योगिकी, परीक्षण संसाधन, माडलिंग और विज्ञान (ओ-स्टॉर्म्स) योजना के अंतर्गत मशीनरी एवं उपस्कर प्रयोजन शीर्ष के तहत अतिरिक्त निधियां प्रदान करना (₹ 2 करोड़)।	(d)	providing additional funds under the object head 'Machinery and Equipment' under the scheme Ocean Services, Technology, Observations, Resources, Modelling and Science (O-STORMS) (₹ 2 crore) for urgent procurement of scientific equipment on board Sagar Sampada before dry dock scheduled in April, 2018.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	सीस्मोलॉजिकल प्रयोगशाला के नवीकरण के भुगतान के लिए "सीस्मोलॉजिकल एवं जियोसाइंसेज (सेज) योजना के अंतर्गत प्रमुख निर्माण कार्य शीर्ष के अंतर्गत अतिरिक्त निधियां उपलब्ध कराना (₹ 0.50 करोड़)।	(e)	providing additional funds under the object head Major Works under the scheme "Seismological and Geosciences (SAGE) (₹ 0.50 crore) for payment towards renovation of Seismological Observatory.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 26

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 30 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 20 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 29 देखिये)

(See page 30 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 20 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 29 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	3690.00	3690.00
पूंजी	...	349.00	349.00
जोड़	...	4039.00	4039.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	100.01	100.01
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	100.02	100.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	36.67	9.56	46.23
पूंजी	...	...	...
जोड़	36.67	9.56	46.23
जोड़ (मूल और पूरक)	36.67	4148.58	4185.25
राजस्व	36.67	3799.57	3836.24
पूंजी	...	349.01	349.01

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	8.50	(क) 8.50
2852-उद्योग	...	1.06	(ख) 1.06
3453-विदेशी व्यापार और निर्यात संवर्द्धन	36.67	...	(ग) 36.67
जोड़ (राजस्व भाग)	36.67	9.56	46.23

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2852-उद्योग	2852-Industries	...	(-)1.06

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के संबंध में वेतन और अन्य स्थापना संबंधी अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए (₹ 8.50 करोड़)।	(a)	meeting the additional expenditure towards salary and other establishment related expenditure in respect of National Informatics Centre (₹ 8.50 crore) .
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 8.50 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings of ₹ 8.50 crore available in the Capital Section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.
(ख)	इन मदों के लिए अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु (i) अनुसूचित जाति के घटक के लिए इलेक्ट्रॉनिक अभिशासन के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 5.06 करोड़) और अनुसूचित जनजाति के घटक के लिए (₹ 16.95 करोड़)। (ii) भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान (₹ 80.00 करोड़) (iii) महिलाओं की सुरक्षा के सहायता पैनिक स्पीच आधारित सुरक्षा उपकरण का फील्ड परीक्षण और विकास परियोजना (₹ 1.06 करोड़)।	(b)	meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-Aid General in respect of "Electronic Governance" ₹ 5.06 crore for Scheduled Caste Component and ₹ 16.95 crore for Scheduled Tribe Component (ii) Grants-in-Aid General in respect of "Unique Identification Authority of India" (₹ 80.00 crore) (iii) Grants-in-Aid General in respect of "Project Development and Field Testing of Panic Switch Based Safety Device for Aiding Women's Safety" (₹ 1.06 crore).
	निर्भया निधि से ₹ 1.06 करोड़ की वसूली और अनुदान के इसी भाग में समान बचतों को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।		Taking into account the recoveries of ₹ 1.06 crore from Nirbhaya Fund and matching savings in the same section of the grant, this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार विदेश व्यापार और निर्यात संवर्धन के संबंध में अन्य प्रभारों के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 36.67 करोड़)। अनुदान के भारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(c)	meeting the additional expenditure towards other charges in respect of 'Foreign Trade and Export Promotion' as per the orders of the Hon'ble Supreme Court (₹ 36.67 crore). Taking into account the surrender of savings available in the Voted Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
-----	---	-----	--

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 27

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 31 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 21 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये)

(See page 31 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 21 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 30 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4002.69	4002.69
पूंजी	Capital	...	40.03	40.03
जोड़	Total	...	4042.72	4042.72
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	372.06	372.06
पूंजी	Capital	0.67	0.01	0.68
जोड़	Total	0.67	372.07	372.74
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.67	4414.82	4415.49
राजस्व	Revenue	...	4374.78	4374.78
पूंजी	Capital	0.67	40.04	40.71
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारत</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2406-वानिकी और वन्य जीवन	2406-Forestry and Wild Life	...	0.01	(का) 0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	0.01	(खब) 0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01	(गक) 0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The Supplementary Grants are required for:

(क)	वन्य प्राणी वास के एकीकृत विकास के लिए सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 9 करोड़) और (ii) पशु कल्याण बोर्ड (₹ 1.99 करोड़)।	(a)	Providing Grants-in-aid-General to (i) Integrated Development of Wildlife Habitats (₹ 9 crore) and (ii) Animal Welfare Board (₹ 1.99 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	सामान्य सहायता अनुदान देना (i) नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (₹ 0.35 करोड़) (ii) कोरल और मंग्रोव का संरक्षण (₹ 1.25 करोड़) (iii) पर्यावरण सूचना प्रणाली (₹ 0.61 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय अनुकूलन निधि (₹ 13.50 करोड़)।	(b)	Providing Grants-in-aid-General to (i) National Green Tribunal (₹ 0.35 crore) (ii) conservation of Corals and Mangroves (₹ 1.25 crore) (iii) Environmental Information Systems (₹ 0.61 crore) and (iv) National Adaption Fund (₹ 13.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	जैव-विविधता संरक्षण को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने (₹ 15 करोड़) (ईएपी)।	(c)	Providing Grants-in-aid-General (₹ 15 crore) to Biodiversity Conservation (EAP).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 29

आर्थिक कार्य विभाग

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 33 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 22 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये)

(See page 33 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 22 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 33 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	4302.79	4302.79
पूंजी	...	11153.05	11153.05
जोड़	...	15455.84	15455.84
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	134.48	134.48
पूंजी	...	100.04	100.04
जोड़	...	234.52	234.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूंजी	...	0.02	0.02
जोड़	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	...	15690.42	15690.42
राजस्व	...	4437.31	4437.31
पूंजी	...	11253.11	11253.11

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2047-अन्य राजकोषीय सेवाएं	...	0.01 (का)	0.01
2075-विविध सामान्य सेवाएं	...	0.01 (खब)	0.01
2250-अन्य सामाजिक सेवाएं	...	0.01 (गक)	0.01
3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.04	0.04
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
5466-अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में निवेश	...	0.01 (डे)	0.01
7605-विदेशी सरकारों को अग्रिम	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	स्थापना संबंधी व्यय (₹ 0.60 करोड़)।	(a)	Establishment related expenditure (₹ 0.60 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	सरकारी खाते में जमा दावा नहीं की गई प्रतिभूतियों हेतु भुगतान (₹ 0.01 करोड़)।	(b)	payment for unclaimed securities credited to Government Accounts (₹ 0.01 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि में अन्तरण (₹ 435.57 करोड़)।	(c)	Transfer to Senior Citizen Welfare Fund (₹ 435.57 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i) अवसंरचना विकास-व्यावहार्य अन्तराल निधियन के लिए ₹ 50.59 करोड़ सहायता, (ii) स्वर्ण मुद्राकरण योजना 2015 हेतु दलाली भुगतान के लिए ₹ 34.50 करोड़, (iii) टीकाकरण और प्रतिरक्षण वैश्विक गठबंधन को अंशदान हेतु ₹ 13.39 करोड़ और (iv) स्वर्ण आरक्षित निधि में अंतरण के लिए ₹ 58.32 करोड़।	(d)	(i) ₹ 50.59 crore towards Assistance for Infrastructure Development-Viability Gap Funding, (ii) ₹ 34.50 crore for commission payment for Gold Monetization scheme 2015, (iii) ₹ 13.39 crore for Contribution to Global Alliance for Vaccination and Immunization (GAVI) and (iv) ₹ 58.32 crore for transfer to Gold Reserve Fund.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ड)	निर्माण और विकास के लिए यूरोपीय बैंक को 1.79 मिलियन यूरो का अभिदान (₹ 14.32 करोड़) और (ii) अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष में अंतरण (14वें जीआरक्यू लागू होने के परिणामस्वरूप (भारत का कोटा बढ़ने से एसडीआर की खरीद) (₹ 22 करोड़)।	(e)	(i) subscription of 1.79 million Euro to European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) (₹ 14.32 crore) and (ii) subscription to IMF (SDR purchase against India's quota increase) consequent to the effectiveness of the 14th GRQ (₹ 22 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	अफ्रीकी विकास बैंक (एएफडीबी) को ब्रिज लोन के भुगतान के लिए (₹ 67 करोड़)।	(f)	payment of Bridge Loan to African Development Bank (AfDB) (₹ 67 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 31

वित्तीय सेवा विभाग

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 36 और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की तीसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 1 देखिये)

(See page 36 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 35 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 1 of the Third Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

			(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	2731.99	2731.99	
पूंजी	Capital	16886.02	16886.02	
जोड़	Total	19618.01	19618.01	
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.04	0.04	
पूंजी	Capital	80292.00	80292.00	
जोड़	Total	80292.04	80292.04	
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	0.02	0.02	
पूंजी	Capital	7832.01	7832.01	
जोड़	Total	7832.03	7832.03	
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	107742.08	107742.08	
राजस्व	Revenue	2732.05	2732.05	
पूंजी	Capital	105010.03	105010.03	

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total	
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	0.01	(क) 0.01	
2416-कृषि वित्तीय संस्थान	2416-Agricultural Financial Institutions	0.01	(ख) 0.01	
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	0.02	0.02	
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4885-उद्योगों और खनिजों पर अन्य	4885-Other Capital Outlay on Industries and Minerals	0.01	(ग) 0.01	
पूंजी परिव्यय				
5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	5465-Investments in General Financial and Trading Institutions	7832.00	(घ) 7832.00	
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	7832.01	7832.01	
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	7832.03	7832.03	

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5465-सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश

5465-Investments in General Financial and Trading Institutions

(-)7832.00

(-)7832.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- (क) (i) स्वावलंबन स्कीम के अंतर्गत राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान (₹ 8.50 करोड़); (ii) अभिदाताओं को सरकार का सह-अंशदान (₹ 13 करोड़) और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत प्रचार अभियान के लिए सहायता अनुदान (₹ 2 करोड़)।

- (a) (i) Government's co-contribution to subscribers of the National Pension System (NPS) under Swavalamban scheme (₹ 8.50 crore); (ii) Government co-contribution to the subscribers (₹ 13 crore) and Grant-in-aid for promotional campaign under Atal Pension Yojana (₹ 2 crore).

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

- (ख) आधार समर्थित भुगतान प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड की वित्तीय समावेशन विधि के अंतर्गत डिजी धन मेला और लकी ग्राहक योजना के लिए अंशदान (₹ 176.51 करोड़)।

- (b) contribution towards Digi Dhan Mela and Lucky Grahak Yojana under financial inclusion fund of NABARD to promote AADHAR enable payment systems (₹ 176.51 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (आईएफसीआई) को इक्विटी सहायता (₹ 100 करोड़)।	(c)	Equity support to Industrial Finance Corporation of India (IFCI) (₹ 100 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	राष्ट्रीय निवेश निधि को अंतरण (₹ 7832 करोड़)।	(d)	transfer to National Investment Fund (₹ 7832 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध सामान्य वसूलियों को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। इसलिए ₹ 7832 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the matching recoveries available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo. Hence, Technical Supplementary of ₹ 7832 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 33

राजस्व विभाग

DEPARTMENT OF REVENUE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 39 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 24 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 37 देखिये)

(See page 39 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 24 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 37 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	834.83	834.85
पूंजी	Capital	...	2.43	2.43
जोड़	Total	0.02	837.26	837.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	43.70	43.70
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	43.70	43.70
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	123215.57	123215.57
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	123215.57	123215.57
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	124096.53	124096.55
राजस्व	Revenue	0.02	124094.10	124094.12
पूंजी	Capital	...	2.43	2.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	120215.58	(क) 120215.58
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	2999.99	(ख) 2999.99
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	123215.57	123215.57

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	(-)59000.00	(-)59000.00
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	...	(-)1500.00	(-)1500.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)60500.00	(-)60500.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) राज्य सरकारों को सीएसटी क्षतिपूर्ति जारी करना (₹ 1384.59 करोड़) (ii) जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण (₹ 59831 करोड़) (iii) जीएसटी लागू होने पर राजस्व हानि के लिए राज्य सरकारों को क्षतिपूर्ति जारी करना (₹ 58999.99 करोड़)।	(a)	(i) release of CST compensations to State Governments (₹ 1384.59 crore), (ii) transfer of GST compensation cess to GST Compensation fund (₹ 59831 crore), (iii) release of compensation to state governments for revenue loss on roll out of GST (₹ 58999.99 crore).
	जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि (₹ 59000 करोड़) से समतुल्य वसूलियों को देखते हुए इसमें ₹ 61215.58 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account matching recoveries from GST Compensation Fund (₹ 59000 crore) . This will entail net cash outgo of ₹ 61215.58 crore.
(ख)	(i) जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति उपकर का अंतरण (₹ 1500 करोड़) (ii) जीएसटी लागू करने के कारण राजस्व हानि की वजह से विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों की सरकार को क्षतिपूर्ति जारी करना (₹ 1499.99 करोड़)।	(b)	(i) transfer to GST Compensation Cess to GST Compensation Fund (₹ 1500 crore), (ii) release of compensation to Government of Union Territories with legislature on account of revenue loss due to roll out of GST (₹ 1499.99 crore).
	जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि (₹ 1500 करोड़) से समतुल्य वसूलियों को देखते हुए इसमें ₹ 1499.99 करोड़ का नकद व्यय होगा।		Taking into account matching recoveries from GST Compensation Fund (₹ 1500 crore). This will entail net cash outgo of ₹ 1499.99 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 34

प्रत्यक्ष कर

DIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 40 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 25 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये)

(See page 40 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 25 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 38 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	5881.85	5881.85
पूंजी	Capital	...	228.79	228.79
जोड़	Total	...	6110.64	6110.64
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.03	0.03
जोड़	Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	305.09	305.09
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	305.09	305.09
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6415.76	6415.76
राजस्व	Revenue	...	6186.94	6186.94
पूंजी	Capital	...	228.82	228.82
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2020-आय और व्यय पर करों का संग्रहण	2020-Collection of Taxes on Income and Expenditure	...	305.09	305.09

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

वेतन (₹ 50 करोड़) और अन्य स्थापना संबंधी व्यय (₹ 255.09 करोड़)।

उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

additional expenditure towards Salaries (₹ 50 crore) and other establishment related expenditure (₹ 255.09 crore).

The above expenditure will entail a cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 35

अप्रत्यक्ष कर

INDIRECT TAXES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 41 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 26 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये)

(See page 41 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 26 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 39 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.50	5861.44	5861.94
पूंजी	Capital	...	228.07	228.07
जोड़	Total	0.50	6089.51	6090.01
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1596.92	1596.92
पूंजी	Capital	...	163.57	163.57
जोड़	Total	...	1760.49	1760.49
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.50	7850.02	7850.52
राजस्व	Revenue	0.50	7458.37	7458.87
पूंजी	Capital	...	391.65	391.65

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2042-केंद्रीय वस्तु और सेवा कर एवं एकीकृत वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	2042-Collection Charges under Central Goods and Services Tax and Integrated Goods and Services Tax	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	केंद्रीय माल एवं सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभारों के लिए संशोधित लेखाकरण प्रक्रिया और एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹ 4520.83 करोड़)।	(a)	amended accounting procedure for collection charges under Central Goods and Services Tax (CGST) and Integrated Goods and Services Tax (IGST) (₹ 4520.83 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) अलवर में भूमि अधिग्रहण के लिए ₹ 15.07 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता, (ii) गुवाहाटी में तैयार निर्मित कार्यालय की खरीद के लिए ₹ 9.12 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता। (iii) नेल्लोर, विशाखापत्तनम में भूमि के अधिग्रहण के लिए आवश्यक ₹ 4.20 करोड़ (iv) आरटीआई, नेशनल एकेडमी ऑफ कस्टम्स, अप्रत्यक्ष करों और नारकोटिक्स, बेंगलुरु के निर्माण के लिए ₹ 0.51 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता।	(b)	(i) Additional requirement of ₹ 15.07 crore for acquisition of land at Alwar, (ii) Additional requirement of ₹ 9.12 crore for purchase of ready built office at Guwahati, (iii) ₹ 4.20 crore required for acquisition of land at Nellore, Visakhapatnam and (iv) Additional requirement of ₹ 0.51 crore for construction of Regional Training Institute, National Academy of Customs, Indirect Taxes and Narcotics, Bengaluru.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 37 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ब्याज अदायगियां

INTEREST PAYMENTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 43 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	538078.39	...	538078.39
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	538078.39	...	538078.39
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	...	...
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	5721.90	...	5721.90
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	5721.90	...	5721.90
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	543800.29	...	543800.29
राजस्व	Revenue	543800.29	...	543800.29
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2049-ब्याज भुगतान	2049-Interest Payments	5721.90	...	5721.90

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त आवश्यकता मुख्यतः बाजार ऋणों के ब्याज भुगतान, नकद प्रबंधन बिलों पर छूट 14/91/182 दिवसीय राजकोषीय बिलों, कर्ज प्रबंधन, स्वर्ण मोदीकरण स्कीम, अर्थोपाय अभियानों, बाजार स्थिरीकरण स्कीम, गैर-सरकारी भविष्य निधि की अन्य विशेष जमाराशियों और अन्य देनदारियों पर ब्याज (₹ 10364.03 करोड़) के कारण है।

विनियोजन करने से उपलब्ध हुई समतुल्य बचतों का उपयोग करने के पश्चात उपर्युक्त व्यय के लिए (₹ 5721.90 करोड़) के निवल नकद व्यय करने की आवश्यकता होगी।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional requirement is mainly on account of Interest payment of Market Loans, Discount on Cash Management Bills, 14 / 91 / 182 days T Bills, Management of Debt, Gold Monetization Scheme, Ways and Means Advances, Market Stabilization Scheme, Special Deposits of Non Government Provident Fund, Other Special Deposits and Interest on Other Obligations (₹ 10364.03 crore)

Taking into account, after utilizing the matching savings available within the Appropriation. Hence, The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 5721.90 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

संख्या NO. 38 (विनियोग)(APPROPRIATION)

ऋण की वापसी अदायगी

REPAYMENT OF DEBT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 44 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 27 देखिये)
(See page 44 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 27 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. विनियोग:	I. ORIGINAL APPROPRIATION:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	5085304.76	...	5085304.76
जोड़	Total	5085304.76	...	5085304.76
पूरक विनियोग:	SUPPLEMENTARY APPROPRIATION::			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	0.01	...	0.01
जोड़	Total	0.01	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	694966.17	...	694966.17
जोड़	Total	694966.17	...	694966.17
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5780270.94	...	5780270.94
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	5780270.94	...	5780270.94
II. इस पूरक विनियोग का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Appropriation will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6001-केन्द्र सरकार का आन्तरिक ऋण	6001-Internal Debt of Central Government	694966.17	...	694966.17

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

अतिरिक्त आवश्यकता मुख्यतः 14/91/182 दिवसीय राजकोषीय बिलों की पुनर्अदायगी स्विचिंग, अर्थात्पाय अग्रिमों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को जारी प्रतिभूतियों (₹ 694966.17 करोड़) के कारण हुई।

विनियोजन में से ही उपलब्ध बचतों के उपयोग को ध्यान में रखते हुए, ₹ 694966.17 करोड़ का पूरक अनुदान वांछित है। इस प्रकार, चूंकि प्राप्तियों से व्यय की पूर्ति हो जाएगी, इसमें कोई नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant/Appropriation is required for:

additional requirement is mainly on account of repayment of 14 / 91 / 182 days T Bills, Switching, Ways and Means Advances and Securities issued to International Financial Institutions (₹ 694966.17 crore).

Taking into account after utilization of available savings within the Appropriation, supplementary for the amount of ₹ 694966.17 crore is sought. Hence, this will not entail any cash outgo as expenditure will be matched by receipts.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 42
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 48 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 30 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये)

(See page 48 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 30 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 43 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	47033.65	47033.65
पूंजी	Capital	3508.81	3508.81
जोड़	Total	50542.46	50542.46
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	6687.52	6687.52
पूंजी	Capital	403.92	403.92
जोड़	Total	7091.44	7091.44
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	27594.44	27594.44
पूंजी	Capital	2257.70	2257.70
जोड़	Total	29852.14	29852.14
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	87486.04	87486.04
राजस्व	Revenue	81315.61	81315.61
पूंजी	Capital	6170.43	6170.43

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2071-पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	2071-Pensions and other Retirement Benefits	200.00	200.00
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	6697.07	6697.07
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	1558.25	1558.25
2552-पूर्वात्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	1679.70	1679.70
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	15065.65	15065.65
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	225.55	225.55
3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	2168.22	2168.22
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	27594.44	27594.44
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	2214.80	2214.80
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	10.00	10.00
4552-पूर्वात्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	32.90	32.90
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	2257.70	2257.70
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	29852.14	29852.14

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	(-)6697.07	(-)6697.07
2211-परिवार कल्याण	2211-Family Welfare	(-)1558.25	(-)1558.25
2552-पूर्वात्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	(-)1679.70	(-)1679.70
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	(-)15065.65	(-)15065.65
3602-संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	3602-Grants-in-aid to Union Territory Governments	(-)225.55	(-)225.55

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

3606-सहायता सामग्री और उपस्कर	3606-Aid Materials and Equipment	...	(-)2168.22	(-)2168.22
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	(-)27394.44	(-)27394.44
पूँजी भाग	CAPITAL SECTION			
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूँजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	(-)2204.80	(-)2204.80
4216-आवास पर पूँजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	(-)10.00	(-)10.00
4552-पूर्वात्तर क्षेत्रों पर पूँजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	(-)32.90	(-)32.90
जोड़ (पूँजी भाग)	Total (Capital Section)	...	(-)2247.70	(-)2247.70
	Total (Supplementary)	...	-29642.14	-29642.14

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं:

- (क) सीजीएचएस पेंशनरों के अस्पताल में उपचार के लिए सीजीएचएस पैनलबद्ध अस्पतालों के चिकित्सा बिलों का निपटारा करने के लिए (₹ 200 करोड़)।
उपर्युक्त व्यय में अतिरिक्त व्यय होगा।
- (ख) (i) निम्नलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान - (क) नशा मुक्ति केंद्र, एम्स, नई दिल्ली (₹ 1.40 करोड़) (ख) इण्डियन रेडक्रॉस सोसाइटी (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 0.04 करोड़), (ग) सेंट जॉन एम्बुलेंस (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 0.04 करोड़), (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 620 करोड़), (ङ.) अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर, (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 26.84 करोड़), (च) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चण्डीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 75 करोड़), (छ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 200.63 करोड़), (ज) वल्लभभाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 25 करोड़), (झ) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्था, कोलकाता (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 3.45 करोड़), (ञ) सेवाग्राम में कस्तूरबा हेल्थ सोसायटी, वर्धा को मेडिकल कॉलेज के लिए अनुदान (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 22.50 करोड़), (ट) लालाराम स्वरूप टीबी और संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 18 करोड़), (ठ) नई दिल्ली टीबी केंद्र (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 0.40 करोड़), (ड) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुनूर (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 18 करोड़), (ढ) राष्ट्रीय जैविक संस्थान, नोएडा (उत्तर प्रदेश), (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 23 करोड़), (ण) एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 220 करोड़), (त) संक्रामक बिमारियों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹ 5.35 करोड़), (थ) बिना विधान सभा वाले केन्द्र शासित प्रदेशों को संक्रामक बिमारियों के लिए फ्लेक्सिबल पूल (₹ 0.28 करोड़) और (द) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (पायलट) - वधियों के लिए कार्यक्रम (₹ 1.19 करोड़) (ii) निम्नलिखित के अंतर्गत सहायता अनुदान वेतन - (क) निम्नलिखित नशा मुक्ति केन्द्रों में (i) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (₹ 4.60 करोड़), (ii) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ (₹ 2 करोड़) और (iii) राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु (₹ 2 करोड़) (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 1411 करोड़), (ग) अखिल भारतीय वाक् एवं श्रवण संस्थान, मैसूर (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 28.92 करोड़) (घ) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 920 करोड़) (ङ) जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 450 करोड़) (च) वल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 27.90 करोड़) (छ) चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकाता (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 25 करोड़) (ज) सेवा ग्राम में मेडिकल कॉलेज के लिए कस्तूरबा स्वास्थ्य सोसाइटी, वर्धा को अनुदान (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 41.35 करोड़) (झ) लाला राम स्वरूप क्षय रोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 58 करोड़) (ञ) नई दिल्ली क्षयरोग केंद्र (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 4.51 करोड़) (प) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुनूर (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 17 करोड़ रूप) (फ) राष्ट्रीय जीव विज्ञानीय संस्थान, नोएडा (उ.प्र.) (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 11.90 करोड़) (ब) एम्स के प्रकार से सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 347.10 करोड़) (iii) निम्नलिखित के अंतर्गत पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 936 करोड़) (ख) अखिल भारतीय वाक् एवं

The supplementary Grants are required for:

- (a) For settlement of Medical Bills of CGHS empanelled hospitals towards hospitalisation of CGHS Pensioners (₹ 200 crore)
The above expenditure will entail a cash outgo;
- (b) (i) Grants in aid General under - (a) Drugs Deaddiction Centres at All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 1.40 crore), (b) Indian Red Cross Society (National Investment Fund) (₹ 0.40 crore), (c) St. John Ambulance (National Investment Fund) (₹ 0.04 crore), (d) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (National Investment Fund) (₹ 620 crore), (e) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (National Investment Fund) (₹ 26.84 crore), (f) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (National Investment Fund) (₹ 75 crore), (g) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry (National Investment Fund) (₹ 200.63 crore), (h) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi (National Investment Fund) (₹ 25 crore), (i) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (National Investment Fund) (₹ 3.45 crore), (j) Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (National Investment Fund) (₹ 22.50 crore), (k) Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (National Investment Fund) (₹ 18 crore) (l) New Delhi T.B. Centre (National Investment Fund) (₹ 0.40 Crore), (m) Pasteur Institute of India, Coonoor (National Investment Fund) (₹ 18 crore), (n) National Institute of Biologicals, NOIDA (UP) (National Investment Fund) (₹ 23 crore), (o) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (Support from National Investment Fund) (₹ 220 crore), (p) Flexible Pool for Communicable Diseases (₹ 5.35 crore), (q) Flexible Pool for Communicable Diseases-UTs without legislature (₹ 0.28 crore) and (r) Other Health Schemes (pilot)-Deafness Programme (₹ 1.19 crore). (ii) Grants-in-aid Salaries under - (a) Drugs Deaddiction Centres at (i) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (₹ 4.60 crore), (ii) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (₹ 2 crore) and (iii) National Institute of Mental Health & Neuro-Sciences, Bengaluru (₹ 2 crore). (b) All India Institute of Medical Sciences, New Delhi (National Investment Fund) (₹ 1411 crore), (c) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (National Investment Fund) (₹ 28.92 crore), (d) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (National Investment Fund) (₹ 920 crore), (e) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry (National Investment Fund) (₹ 450 crore), (f) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi (National Investment Fund) (₹ 27.90 crore), (g) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (National Investment Fund) (₹ 25 crore), (h) Grants to Kasturba Health Society, Wardha for Medical College at Sewagram (National Investment Fund) (₹ 41.35 crore), (i) Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (National Investment Fund) (₹ 58 crore) (j) New Delhi T.B. Centre (National Investment Fund) (₹ 4.51 crore), (k) Pasteur Institute of India, Coonoor (National Investment Fund) (₹ 17 crore), (l) National Institute of Biologicals, NOIDA (UP) (National Investment Fund) (₹ 11.90 crore) and (m) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (National Investment Fund) (₹ 347.10 crore) (iii) Grants for creation of Capital Assets under - (a) All India

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

श्रव्य संस्थान, मैसूर (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 41.86 करोड़) (ग) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़ (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 210 करोड़) (घ) जवाहर लाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान, पुदुचेरी (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 384 करोड़) (ङ) बल्लभ भाई पटेल चेस्ट संस्थान, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 9.48 करोड़) (च) चितरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान, कोलकता (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 92.81 करोड़) (छ) लाला राम स्वरूप क्षयरोग एवं संबद्ध रोग संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 4.20 करोड़) (ज) भारतीय पाश्चर संस्थान, कुनूर (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 38.50 करोड़) (झ) राष्ट्रीय जीवविज्ञानीय संस्थान, नौएडा (उत्तर प्रदेश) (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 6.42 करोड़) (ञ) एम्स की तरह सुपर-स्पेशियलिटी अस्पताल सह शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 314 करोड़) और (ट) अन्य स्वास्थ्य योजनाएं (पायलट) - वधिरता कार्यक्रम (₹ 0.17 करोड़) (iv) निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों के संबंध में आपूर्ति सामग्रियों के अधिप्रापण, आईईसी कार्यक्रमों, जनशक्ति/सेवाओं की आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण देने, सर्वेक्षण संचालन तथा संस्थापना से संबंधित अन्य व्यय (जैसे बिजली एवं जल प्रभार, आरआरटी, एफटीई आदि) पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए (क) एम्स प्रकृति के सुपर-स्पेशियलिटी अस्पतालों एवं अध्ययन संस्थाओं की स्थापना तथा राज्य सरकारी अस्पतालों को उन्नत करना (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 46.20 करोड़)। (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 2.52 करोड़) (ग) नेमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 14.19 करोड़) (घ) नेमी रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)- बिना विधानवाले संघ राज्य क्षेत्रों में व्यय-(₹ 0.95 करोड़) (v) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतर-खाता अंतरण (₹ 26073.82 करोड़)

राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 6697.07 करोड़ की समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (ग) (i) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (क) सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के अंतर्गत एफपी कार्यक्रम में गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करना (₹ 0.09 करोड़) (ख) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 23.55 करोड़) (ग) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 16 करोड़) (घ) नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (डीबीएस) (राष्ट्रीय निवेश निधि) - बिना विधान सभा वाले संघ शासित राज्यों में व्यय - ₹ 0.92 करोड़) (ङ.) नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सीबल पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम (ईपीए) (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 5.68 करोड़) और जनसंख्या अनुसंधान केन्द्र (₹ 4.70 करोड़) ii) सहायता अनुदान वेतन (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 27.7 करोड़) (ख) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 22.75 करोड़) (iii) पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु अनुदान : क) अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली (राष्ट्रीय निवेश निधि से प्राप्त सहायता) (₹ 9.05 करोड़) ख) अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्थान, मुंबई (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 3 करोड़) (iv) निम्न योजनाओं/कार्यक्रमों/संस्थानों/संगठनों से संबंधित आईईसी गतिविधियों, जनशक्ति/सेवाओं की आउटसोर्सिंग, प्रशिक्षण प्रदान करने, सर्वेक्षण करने तथा स्थापना संबंधी अन्य व्यय (जैसे बिजली तथा पानी का प्रबंधन, आरआरटी, एफटीई, आदि) की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए: क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सी पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि) (बिना विधानसभा के संघ शासित राज्य) (₹ 5.71 करोड़) ख) नियमित प्रतिरक्षण कार्यक्रम सहित आरसीएच फ्लेक्सी पूल, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता विकार नियंत्रण कार्यक्रम, आदि) (डीबीएस)

Institute of Medical Sciences, New Delhi (National Investment Fund) (₹ 936 crore), (b) All India Institute of Speech & Hearing, Mysore (National Investment Fund) (41.86 crore), (c) Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh (National Investment Fund)(₹ 210 crore), (d) Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education and Research, Puducherry (National Investment Fund)(₹ 384 crore), (e) Vallabh Bhai Patel Chest Institute, Delhi University, Delhi (National Investment Fund)(₹ 9.48 crore) , (f) Chittaranjan National Cancer Institute, Kolkata (National Investment Fund)(₹ 92.81 crore), (g) Lala Ram Sarup Institute of TB & Allied Diseases, New Delhi (National Investment Fund)(₹ 4.20 crore), (h) Pasteur Institute of India, Coonoor (National Investment Fund)(₹ 38.50 crore), (i) National Institute of Biologicals, NOIDA (UP)(National Investment Fund)(₹ 6.42 crore), (j) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (National Investment Fund)(₹ 314 crore) and (h) Other Health Schemes (Pilot)-Deafness Programme (₹ 0.17 crore). (iv) For meeting additional expenditure on procurement of supplies, IEC activities, outsourcing of manpower/services, imparting of training, conducting of surveys, and other establishment related expenditure (like electricity & water tariffs, RRT, FTE, etc.) in respect of the following schemes / programmes /Institutions /Organisations:- (a) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals(Support from National Investment Fund) (₹ 46.20 crore), (b) Rashtriya Swasthya Bima Yojana (National Investment Fund)(₹ 2.52 crore), (c) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.) (Support from National Investment Fund) (₹ 14.19 crore) and (d) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.) (Support from National Investment Fund) - Expenditure in UTs without legislature - ₹ 0.95 crore) and (v) Inter Account Transfer to "National Investment Fund (NIF)" (₹ 26073.82 crore)

Taking into account, matching recovery of ₹ 6697.07 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.

- (i) Grants-in-aid General under - (a) Involvement of NGOs in FP Programme under Public-Private Partnership (PPP) (₹ 0.09 crore), (b) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (Support from National Investment Fund)(₹ 23.55 crore), (c) International Institute for Population Sciences, Mumbai (National Investment Fund)(₹ 16 crore), (d) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(DBS)(National Investment Fund) - Expenditure in UTs without legislature - ₹ 0.92 crore), (e) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(EAP)(National Investment Fund) (₹ 5.68 crore) and (f) Population Research Centres (₹ 4.70 crore) (ii) Grants-in-aid Salaries under- (a) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (National Investment Fund)(₹ 27.70 crore) and (b) International Institute for Population Sciences, Mumbai (National Investment Fund)(₹ 22.75 crore) (iii) Grants for Creation of Capital Assets under- (a) National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi (Support from National Investment Fund)(₹ 9.05 crore) and (b) International Institute for Population Sciences, Mumbai (National Investment Fund)(₹ 3 crore) (iv) For meeting additional expenditure on procurement of supplies, IEC activities, outsourcing of manpower/services, imparting of training, conducting of surveys, and other establishment related expenditure (like electricity & water tariffs, RRT, FTE, etc.) in respect of the following schemes / programmes /Institutions /Organisations:- (a) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund) (UTs without legislature)(₹ 5.71 crore), (b) RCH Flexible Pool including Routine

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(राष्ट्रीय निवेश फंड) संघ शासित राज्यों में व्यय - ₹ 15.91 करोड़)
(ग) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (ईएपी) (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) (₹ 0.27 करोड़)। (घ) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम और पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के लिए आपूर्ति और सामग्री की खरीद (राष्ट्रीय निवेश निधि (₹ 1400 करोड़) और (ड.) एनआरएचएम (राष्ट्रीय निवेश निधि) के तहत स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाना - विधान के बिना यूटीएस में व्यय - ₹ 27.71 करोड़)।

अनुदान में उपलब्ध ₹ 1558.25 करोड़ (एनआईएफ में ₹ 158.25 करोड़) के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (घ) (i) निम्नलिखित के तहत सामान्य सहायता अनुदान (क) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 23.94 करोड़ जिसमें सामान्य ₹ 5.00 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 1.50 करोड़ और अनुसूचित जनजाति - ₹ 17.44 करोड़ शामिल हैं)। (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 16.84 करोड़) जिसमें सामान्य - ₹ 10.58 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 1.41 करोड़ और अनुसूचित जनजाति - ₹ 4.85 करोड़ शामिल हैं)। (ग) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (डीबीएस) (राष्ट्रीय निवेश निधि) - ₹ 574.87 करोड़ जिसमें सामान्य - ₹ 378.84 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 124.23 करोड़, अनुसूचित जनजाति - ₹ 71.80 करोड़ शामिल हैं), (घ) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच लचीले पूल (ईएपी) (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 126.04 करोड़), (ड) एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 813.07 करोड़-सामान्य - ₹ 553.19 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 151.86 करोड़, अनुसूचित जनजाति - ₹ 108.02 करोड़) और (च) राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (₹ 26 करोड़ जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- सामान्य - ₹ 19.92 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 3.95 करोड़, व अनुसूचित जनजाति - ₹ 2.13 करोड़) (ii) निम्नलिखित के तहत पूंजीगत संपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 2.08 करोड़ जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- सामान्य-1.31 करोड़ ₹., अनुसूचित जाति- ₹ 0.17 करोड़ व अनुसूचित जनजाति- ₹ 0.60 करोड़) और (ख) एनआरएचएम के तहत स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 122.86 करोड़-सामान्य - ₹ 58.80 करोड़, अनुसूचित जाति - ₹ 57.85 करोड़, अनुसूचित जनजाति - ₹ 6.21 करोड़)।

राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 1679.70 करोड़ के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

- (ड) (i) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (क) नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी संबंधी विकृति नियंत्रण कार्यक्रम, आदि (डीबीएस) (राष्ट्रीय निवेश निधि) - ₹ 4712.06 करोड़ जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं- सामान्य- ₹ 3266.68 करोड़, अनुसूचित जाति- ₹ 965.32 करोड़, अनुसूचित जनजाति- ₹ 480.06 करोड़) (ख) नेमी प्रतिरक्षण कार्यक्रम, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन कमी संबंधी विकृति नियंत्रण कार्यक्रम, आदि (ईएपी) सहित आरसीएच फ्लैक्सी पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 2012.18 करोड़) (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 425 करोड़, जिसमें सामान्य वर्ग के लिए-300.78 करोड़ ₹., अनुसूचित जातियों के लिए-87.06 करोड़ और अनुसूचित जनजातियों के लिए- ₹ 37.16 करोड़ शामिल हैं) (घ) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि)(ईएपी) (₹ 430.25 करोड़) (ड) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि)(डीबीएस) (₹ 69.12 करोड़ जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए-55.82 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए ₹ 13.30 करोड़ शामिल हैं) (च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 6599.21 करोड़ - जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 4540.97 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 1348.42 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए-709.82 करोड़ ₹.) (छ) राज्य औषध विनियामक प्रणाली का सुदृढीकरण (₹ 356.64 करोड़ जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 273.19 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 54.21 करोड़ अनुसूचित जनजातियों के लिए- ₹ 29.24 करोड़ शामिल हैं) (ii) पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान निम्नलिखित के अंतर्गत अनुदान (क) राष्ट्रीय

Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(DBS)(National Investment Fund) - Expenditure in UTs - ₹ 15.91 crore), (c) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(EAP)(National Investment Fund) (₹ 0.27 crore), (d) Procurement of Supplies & Materials for Routine Immunization Programme and Pulse Polio Immunization Programme (National Investment Fund) (₹ 1400 crore) and (e) Health System Strengthening under NRHM (National Investment Fund) - Expenditure in UTs without legislature - ₹ 27.71 crore) .

Taking into account, matching recovery of ₹ 1558.25 crore (₹ 158.25 crore in NIF) available in the Grant, this will not entail any additional cash outgo

- (i) Grants-in-aid General under- (a) Rashtriya Swasthya Bima Yojana (National Investment Fund)(₹ 23.94 crore which includes - General ₹ 5 crore crore, Scheduled Castes - ₹ 1.50 crore and Scheduled Tribes - ₹ 17.44 crore), (b) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(₹ 16.84 crore which includes General - ₹ 10.58 crore, Scheduled Castes - ₹ 1.41 crore and Scheduled Tribes - ₹ 4.85 crore), (c) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(DBS)(National Investment Fund) - ₹ 574.87 crore which includes - General - ₹ 378.84 crore, Scheduled Castes - ₹ 124.23 crore, Scheduled Tribes - ₹ 71.80 crore), (d) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(EAP)(National Investment Fund) (₹ 126.04 crore), (e) Health System Strengthening under NRHM(National Investment Fund) (₹ 813.07 crore - General - ₹ 553.19 crore, Scheduled Castes ₹ 151.86 crore), Scheduled Tribes - ₹ 108.02 crore) and (f) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 26 crore which includes General - ₹ 19.92 crore, Scheduled Castes - ₹ 3.95 crore and Scheduled Tribes - ₹ 2.13 crore) (ii) Grants for Creation of Capital Assets under- (a) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(₹ 2.08 crore which includes General - ₹ 1.31 crore, Scheduled Castes 0.17 crore and Scheduled Tribes - ₹ 0.60 crore) and (b) Health System Strengthening under NRHM(National Investment Fund) ₹ 122.86 crore - General - ₹ 58.80 crore, Scheduled Castes - ₹ 57.85 crore, Scheduled Tribes - ₹ 6.21 crore)

Taking into account, matching recovery of ₹ 1679.70 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.

- (i) Grants-in-aid General under- (a) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(DBS)(National Investment Fund) - ₹ 4712.06 crore which includes - General - ₹ 3266.68 crore, Scheduled Castes - ₹ 965.32 crore, Scheduled Tribes - ₹ 480.06 crore), (b) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(EAP)(National Investment Fund) (₹ 2012.18 crore), (c) Rashtriya Swasthya Bima Yojana (National Investment Fund) (₹ 425 crore which includes - General ₹ 300.78 Crore crore, Scheduled Castes - ₹ 87.06 crore and Scheduled Tribes - ₹ 37.16 crore), (d) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(EAP) (₹ 430.25 crore) , (e) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(DBS) (₹ 69.12 crore which includes Scheduled Castes - Ra.55.82 crore and Scheduled Tribes 13.30 crore) (f) Health System Strengthening under NRHM (National Investment Fund) ₹ 6599.21 crore- General - ₹ 4540.97 crore, Scheduled Castes - ₹ 1348.42 crore, Scheduled Tribes - ₹ 709.82 crore) and (g) Strengthening of State Drug Regulatory System (₹ 356.64 crore which includes General - ₹ 273.19 crore, Scheduled Castes - ₹ 54.21 crore and Scheduled Tribes - ₹ 29.24 crore) (ii) Grants

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि)(ईएसी) (₹ 52.83 करोड़) (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)(डीबीएस) (₹ 8.54 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 6.89 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए- ₹ 1.65 करोड़) और (ग) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि) ₹ 756.46 करोड़- जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 484.28 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 164.07 करोड़, अनुसूचित जनजातियों के लिए- ₹ 108.11 करोड़)। राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 15065.65 करोड़ के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	for Creation of Capital Assets under:- (a) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(EAP) (₹ 52.83 crore), (b) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(DBS) (₹ 8.54 crore which includes Scheduled Castes - ₹ 6.89 Crore and Scheduled Tribes- 1.65 crore) and (c) Health System Strengthening under NRHM (National Investment Fund) ₹ 756.46 crore - General - ₹ 484.28 Crore, Scheduled Castes - ₹ 164.07 crore, Scheduled Tribes - ₹ 108.11 crore). Taking into account, matching recovery of ₹ 15065.65 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.
(च)	(i) निम्नलिखित के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (क) आघात केंद्रों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और आघात देखभाल (₹ 5.00 करोड़) (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)(ईएसी) (₹ 52.80 करोड़) (ग) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)(डीबीएस)(₹ 6.55 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए) (घ) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताविकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (डीबीएस)(राष्ट्रीय निवेश निधि) - ₹ 57.95 करोड़ जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 42.92 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 15.03 करोड़. (ङ.) नियमित टीकाकरण कार्यक्रम, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय आयोडीन अल्पताविकार नियंत्रण कार्यक्रम आदि सहित आरसीएच फ्लैक्सीबल पूल (ईएपी)(राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 24.05 करोड़) और (च) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि) ₹ 68.71 करोड़ - जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 58.73 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 9.98 करोड़. (ii) निम्नलिखित के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (क) आघात केंद्रों के क्षमता निर्माण हेतु सहायता-चोट और आघात देखभाल (₹ 2.50 करोड़) (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता)(ईएसी)(₹ 6.52 करोड़) (ग) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लैक्सीबल पूल (राष्ट्रीय निवेश निधि)(डीबीएस) (₹ 0.81 करोड़ अनुसूचित जातियों के लिए) और (घ) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढीकरण (राष्ट्रीय निवेश निधि से सहायता) ₹ 8.16 करोड़ - जिसमें सामान्य वर्ग के लिए- ₹ 7.08 करोड़, अनुसूचित जातियों के लिए- ₹ 1.08 करोड़ शामिल हैं)। राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में उपलब्ध 225.55 करोड़ रुपए के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(f) (i) Grants-in-aid General under- (a) Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 5 crore), (b) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(EAP) (₹ 52.80 crore), (c) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(DBS) (₹ 6.55 crore for Scheduled Castes), (d) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.) (DBS)(National Investment Fund) - ₹ 57.95 crore which includes - General - ₹ 42.92 crore, Scheduled Castes - ₹ 15.03 crore), (e) RCH Flexible Pool including Routine Immunisation Programme, Pulse Polio Immunisation Programme, National Iodine Deficiency Disorders Control Programme, etc.)(EAP)(National Investment Fund) (₹ 24.05 crore) and (f) Health System Strengthening under NRHM (National Investment Fund) (₹ 68.71 crore - General - ₹ 58.73 crore, Scheduled Castes - ₹ 9.98 crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets under- (a) Assistance for Capacity Building for Trauma Centres - Injury & Trauma Care (₹ 2.50 crore), (b) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(EAP) (₹ 6.52 crore), (c) National Urban Health Mission Flexible Pool (National Investment Fund)(DBS) (₹ 0.81 crore for Scheduled Castes) and (d) Health System Strengthening under NRHM(National Investment Fund) ₹ 8.16 crore - General - ₹ 7.08 crore, Scheduled Castes - ₹ 1.08 crore). Taking into account, matching recovery of ₹ 225.55 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.
(छ)	राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन (₹ 2168.22 करोड़) के सुदृढीकरण के लिए सामग्री सहायता। अनुदान में उपलब्ध 2168.22 करोड़ रुपए के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(g) Material Assistance for Strengthening of National Immunization Programme and Polio Eradication (₹ 2168.22 crore). Taking into account, matching recovery of ₹ 2168.22 crore available in the Grant, this will not entail any additional cash outgo
(झ)	निम्नलिखित के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय करने के लिए (क) 3.0 टेस्ला एमआरआई मशीन (₹ 13.90 करोड़) की खरीद के लिए मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती एस.के. अस्पताल, नई दिल्ली, (ख) लेडी रीडिंग हेल्थ स्कूल, नई दिल्ली (₹ 0.46 करोड़) - मोटर वाहन ₹ 0.15 करोड़ और प्रमुख कार्य के लिए - ₹ 0.31 करोड़ (ग) राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (वायरल लोड परीक्षण मशीन की खरीद के लिए मशीनरी और उपकरण के अंतर्गत ₹ 10.00 करोड़) (घ) एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि के सहयोग से) (₹ 2204.80 करोड़ जिसमें मशीनरी और उपकरण के लिए ₹ 890 करोड़ और प्रमुख कार्य के लिए ₹ 1314.80 करोड़ शामिल हैं)। राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 2204.80 करोड़ के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(h) (a) Lady Harding Medical College & Smt. S. K. Hospital, New Delhi under Machinery & Equipment for procurement of 3.0 Tesla MRI Machine (₹ 13.90 crore), (b) Lady Reading Health School, New Delhi (₹ 0.46 crore) - Motor Vehicle - ₹ 0.15 crore and for Major Works - (₹ 0.31 crore), (c) National AIDS Control Organisation (₹ 10 crore under Machinery & Equipment for procurement of Viral Load Testing Machine) and (d) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (Support from National Investment Fund) (₹ 2204.80 crore which includes ₹ 890 crore for Machinery & Equipment and ₹ 1314.80 crore for Major Works). Taking into account, matching recovery of ₹ 2204.80 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.
(ञ)	एम्स टाइप सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों का उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि) (प्रमुख कार्य के लिए ₹ 10)। राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 10.00 करोड़ के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(i) Establishment of AIIMS Type Super-Speciality Hospitals-cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (National Investment Fund) (₹ 10 crore) for Major Works. Taking into account, matching recovery of ₹ 10 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.
(ट)	एम्स जैसे सुपर-स्पेशलिटी अस्पताल-सह-शिक्षण संस्थानों की स्थापना और राज्य सरकार के अस्पतालों के उन्नयन (राष्ट्रीय निवेश निधि) (₹ 32.90 करोड़ जिसमें मशीनरी और उपकरण के लिए ₹ 12.90 करोड़ और प्रमुख कार्य के लिए ₹ 20 करोड़ शामिल हैं)। राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध ₹ 32.90 करोड़ के समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।	(j) Establishment of AIIMS Type Super-Specialty Hospitals -cum-Teaching Institutions and upgrading of State Govt. Hospitals (National Investment Fund) (₹ 32.90 crore which includes ₹ 12.90 crore for Machinery and Equipment and ₹ 20 crore for Major Works). Taking into account, matching recovery of ₹ 32.90 crore available in National Investment Fund (NIF), this will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 43

स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF HEALTH RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 49 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये)

(See page 49 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 46 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1500.00	1500.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1500.00	1500.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	243.39	243.39
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	243.39	243.39
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	1413.60	1413.60
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	1413.60	1413.60
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3156.99	3156.99
राजस्व	Revenue	...	3156.99	3156.99
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	1413.60	1413.60
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वस्तुओं को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य	2210-Medical and Public Health	...	(-)1413.60	(-)1413.60

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹. 653.60 करोड़); (ii) आईसीएमआर हेतु पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹. 290 करोड़) (iii) आईसीएमआर के लिए वेतन सहायता अनुदान (₹.470 करोड़) तथा (iv) राष्ट्रीय निवेश निधि में अंतर खाता अंतरण (₹ 1413.60 करोड़)।

राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) में उपलब्ध (₹ 1413.60 करोड़) की समतुल्य वसूली को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

(i) Grant-in-aid General for Indian Council of Medical Research (ICMR) (₹ 653.60 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets for ICMR (₹ 290 crore), (iii) Grant-in-aid Salaries for ICMR (₹ 470 crore) and (iv) Inter Account Transfer to "National Investment Fund (NIF)" (₹ 1413.60 crore)

Taking into account the matching recovery of (₹ 1413.60 crore) available in the National Investment Fund (NIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 44

भारी उद्योग विभाग

DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 50 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 47 देखिये)
(See page 50 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 47 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	984.99	984.99
पूंजी	Capital	...	1615.01	1615.01
जोड़	Total	...	2600.00	2600.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	2600.03	2600.03
राजस्व	Revenue	...	985.01	985.01
पूंजी	Capital	...	1615.02	1615.02
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2852-उद्योग	2852-Industries	...	0.01	(का) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
6860-उपभोक्ता उद्योगों के लिए ऋण	6860-Loans for Consumer Industries	...	0.01	(खब) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

ये पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित हैं :

- (क) (i) (i) भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों के तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण की स्कीम (फेम-इंडिया) के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के रूप में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता (₹ 135.00 करोड़) को पूरा करने के लिए।
- (ii) (ii) नई और जारी अनुसंधान एवं विकास परियोजनाओं अनुदान के रूप में के वित्तपोषण के लिए आटोमोबाइल और संबद्ध उद्योग विकास परिषद् के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता (4.18 करोड़ रु) को पूरा करने के लिए।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।
- (ख) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लि. (एचपीसी) के कर्मिकों के वेतन मजदूरी आदि के लिए (₹ 40 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करना।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grants are required for:

- (a) (i) meeting an additional requirement (₹ 135.00 crore) as Grants for creation of Capital Assets for Scheme for Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid and) Electric Vehicle in India - (FAME - India).
- (ii) meeting an additional requirement (₹ 4.18 crore) as Grants-in-aid General for Development Council for Automobile and Allied Industries for funding of new and ongoing Research & Development Projects.
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
- (b) meeting additional requirement (₹ 40 crore) for salary/wages etc. of the employees of Hindustan Paper Corporation Ltd. (HPC).
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 46

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 52 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 31 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 48 देखिये)

(See page 52 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 31 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 48 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	0.03	4777.00	4777.03
पूंजी	...	322.97	322.97
जोड़	0.03	5099.97	5100.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	4.05	4.05
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	4.05	4.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	31.07	31.07
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	31.07	31.07
जोड़ (मूल और पूरक)	0.03	5135.09	5135.12
राजस्व	0.03	4812.12	4812.15
पूंजी	...	322.97	322.97

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	...	5.00 (क)	5.00
2245-प्राकृतिक आपदा राहत	...	26.07 (ख)	26.07
जोड़ (राजस्व भाग)	...	31.07	31.07

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	वेतन, एमटी, डीटीए, किराया, कर अन्य प्रशासनिक व्यय लघु निर्माण कार्य, व्यावसायिक सेवाएं और आईटी कार्यालयी व्यय (5.00 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Salaries, MT, DTA, Rent, tax other administrative Expenses, Minor works Professional Service & IT-office Expenses (₹ 5.00 Core) Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया बल के लिए वेतन, चिकित्सा उपचार और डीटीए खर्च हेतु व्यय (26.07 करोड़ रुपये)। अनुदान के राजस्व/पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	Expenditure for Salaries, Medical Treatment & DTA Expenses for National Disaster Response Force (NDRF) ₹ 26.07 Core. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue/Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 48

पुलिस POLICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 55 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 33 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये)
(See page 55 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 33 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 50 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	8.34	67536.60	67544.94
पूंजी	6.72	11171.64	11178.36
जोड़	15.06	78708.24	78723.30
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	4292.87	4292.87
पूंजी	...	0.02	0.02
जोड़	...	4292.89	4292.89
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	583.30	583.30
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	583.31	583.31
जोड़ (मूल और पूरक)	15.06	83584.44	83599.50
राजस्व	8.34	72412.77	72421.11
पूंजी	6.72	11171.67	11178.39

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2055-पुलिस	...	539.83 (का)	539.83
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	43.47 (खब)	43.47
जोड़ (राजस्व भाग)	...	583.30	583.30
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4055-पुलिस पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	583.31	583.31

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(क) (क) निम्नलिखित के लिए व्यय पूरा करने के लिए 1. वेतन: ₹ 147 करोड़ 2) घरेलू यात्रा व्यय: ₹ 97.56 करोड़, 3) विदेश यात्रा व्यय: ₹ 3.51 करोड़, 4) लघु निर्माण कार्य: ₹ 30.16 करोड़, 5) अन्य प्रभार (V): ₹ 37.06 करोड़, 6) शस्त्र एवं गोला-बारूद: ₹ 53.87 करोड़, 7) व्यावसायिक सेवाएं: ₹ 3.74 करोड़, 8) पीओएल: ₹ 4.51 करोड़, 9) प्रकाशन: ₹ 1.44 करोड़, 10. विज्ञापन एवं प्रचार: ₹ 0.10 करोड़, 11) अन्य प्रशासनिक व्यय: ₹ 0.85 करोड़, 12) कार्यालय व्यय: ₹ 44.74 करोड़, आईटी(ओई): ₹ 28.05 करोड़, 13. पुरस्कार: ₹ 0.50 करोड़, 14) कपड़े और टैटो: ₹ 31 करोड़, 15) अनुसंधान: ₹ 109 करोड़, सीमा जांच चौकी: ₹ 20 करोड़, क्रिप्टोग्राफिक दस्तावेजों का उत्पादन: ₹ 18.88 करोड़, अन्य सरकारी/विभागों को प्रदत्त प्रभार: ₹ 50 करोड़।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी;

(ख) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान के व्यय को पूरा करने के लिए:- 1. बटालियनों की तैनाती, 2. इण्डियन रिजर्व बटालियन/स्पेशल इण्डियन रिजर्व बटालियन (₹ 43.47 करोड़) ।
अनुदान पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय के लिए किसी अतिरिक्त नकद व्यय की आवश्यकता नहीं होगी;

(ग) निम्नलिखित का व्यय पूरा करने के लिए: (क) कार्यालय भवन: (₹ 400 करोड़) (ख) आवासीय भवन: (₹ 480 करोड़), (ग) मोटर वाहन: (₹ 6.50 करोड़) (घ) मशीन एवं उपकरण (₹ 90 करोड़) ।
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grants are required for:

(a) meeting expenditure for: 1) Salaries: ₹ 147 crores 2) Domestic Travel Expenses: ₹ 97.56 crores 3) Foreign Travel Expenses: ₹ 3.51 crores 4) Minor Works : ₹ 30.16 crores 5) Other Charges (V): ₹ 37.06 crores 6) Arms & Ammunition: ₹ 53.87 crores 7) Professional services: ₹ 3.74 crores 8) POL: ₹ 4.51 crores 9) Publication: ₹ 1.44 crores 10) Advertising & Publicity: ₹ 0.10 crores 11) Other Administrative Expenses: ₹ 0.85 crores 12) Office Expenses: ₹ 44.74 crores; IT(OE): ₹ 28.05 crores 13) Rewards: ₹ 0.50 crores 14) Clothing & Tentage: ₹ 31 crores 15) Research: ₹ 109 crores; Border Check Post ₹ 20 crores, Welfare Grants 30 crores, Production of Cryptographic documents ₹ 18.88 crores, Charges paid to other Govt./ Depts. ₹ 50 crores

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(b) meeting expenditure for Grants in aid for creation of capital assets:- 1. Deployment of Battalions , 2. India Reserve Battalion/Special India Reserve Battalion . (₹ 43.47 crores)

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

(c) meeting expenditure for a) Office Building: (₹ 400 crores) b) Residential Building: (₹ 480 crore) c) Motor Vehicles: (₹ 6.50 crores) d) Machinery & Equipment's (₹ 90 crores)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

**मांग संख्या DEMAND NO 49
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
ANDAMAN AND NICOBAR ISLANDS**

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 56 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 34 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 52 देखिये)

(See page 56 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 34 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 52 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	0.01	3736.68	3736.69
पूंजी	...	526.59	526.59
जोड़	0.01	4263.27	4263.28
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	100.00	100.00
पूंजी	...	416.03	416.03
जोड़	...	516.03	516.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	54.18	54.18
पूंजी	...	0.10	0.10
जोड़	...	54.28	54.28
जोड़ (मूल और पूरक)	0.01	4833.58	4833.59
राजस्व	0.01	3890.86	3890.87
पूंजी	...	942.72	942.72

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	...	0.01 (का)	0.01
2040-बिक्री व्यापार आदि पर कर	...	0.01 (खb)	0.01
2044-संघ राज्य वस्तु और सेवा कर के अंतर्गत संग्रहण प्रभार	...	0.01 (गc)	0.01
2202-सामान्य शिक्षा	...	0.01 (घd)	0.01
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	...	0.01 (ङe)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	0.01 (चf)	0.01
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	...	0.01 (छg)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	...	0.01 (झh)	0.01
3054-सड़क और पुल	...	0.01 (ञi)	0.01
3225-दूरसंचार सेवाएं	...	54.09 (टj)	54.09
जोड़ (राजस्व भाग)	...	54.18	54.18
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (ठk)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (डl)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (ढm)	0.01
4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (णn)	0.01
4403-पशुपालन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (तo)	0.01
4406-वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (थp)	0.01
4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (दq)	0.01
4851-ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (धr)	0.01
5051-बंदरगाह और प्रकाश गृहों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (न्s)	0.01
5052-नौवहन पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (पt)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	0.10	0.10
जोड़ (पूरक)	...	54.28	54.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क) 'प्रशिक्षण के व्यय' (₹ 0.08 करोड़) को पूरा करने और सोवटेक के संबंध में सामान्य सहायता अनुदान के तहत व्यय (₹ 4.45 करोड़) को पूरा करने के लिए।

(a) opening of new object head viz. 'Professional Services' for meeting the expenditure on training (₹ 0.08 crore) and for meeting the expenditure towards Grant-in-Aid - General in respect of SOVTECH (₹ 4.45 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	मूल्य संवर्द्धन कर (वैट) के संग्रहण के तहत कर विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.02 करोड़)।	(b)	meeting the establishment expenditure of Tax Department towards collection of Value Added Tax (VAT) (₹ 0.02 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	केन्द्र शासित प्रदेश के वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) के संग्रहण के तहत कर विभाग के स्थापना व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.19 करोड़)।	(c)	meeting the establishment expenditure of Tax Department towards collection of Union Territory Goods and Services Tax (UTGST) (₹ 1.19 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	निजी विद्यालयों को सहायता के तहत जीआईए-वेतन (₹ 0.74 करोड़) और जिला परिषद के संबंध में जीआईए-वेतन के व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।	(d)	meeting expenditure for GIA-Salaries towards assistance to private schools (₹ 0.74 crore) and for GIA-Salaries in respect of Zilla Parishad (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	जल निकासी और स्वच्छता के लिए जल आपूर्ति एवं स्वच्छता के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को जीआईए जारी करना (₹ 1.00 करोड़)।	(e)	release of GiA to Gram Panchayats under water supply and sanitation for sewerage and sanitation (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	जीआईए-वेतन के अंतर्गत सामाजिक कल्याण परामर्श बोर्ड (एसडब्ल्यूएबी) से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.75 करोड़)।	(f)	meeting expenditure in respect of Social Welfare Advisory Board (SWAB) under GIA-Salaries (₹ 0.75 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(छ)	मजदूरी से संबंधित व्यय को पूरा करने के लिए नई वस्तु शीर्ष अर्थात् 'मजदूरी' खोलने (₹ 0.55 करोड़), पंचायत समितियों के लिए जीआईए-वेतन के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए (₹ 0.73 करोड़) और जिला परिषदों (₹ 2.00 करोड़) और ग्राम पंचायतों (₹ 2.00 करोड़) के लिए जीआईए सामान्य के अंतर्गत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए।	(g)	opening of new object head for viz. 'wages' for meeting expenditure related to wages (₹ 0.55 crore), for meeting requirement under GIA- Salaries for Panchayat Samities (₹ 0.73 crore) and for meeting requirement under GIA- General for Zilla Parishads (₹ 2.00 crore) and for Gram Panchayats (₹ 2.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(झ)	लघु उद्योग के अंतर्गत लाभार्थियों को सब्सिडी देने हेतु व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 1.05 करोड़)।	(h)	meeting expenditure for providing subsidies to beneficiaries under small scale industries (₹ 1.05 crore) .
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ञ)	पोर्ट ब्लेयर निगम परिषद के संबंध में सड़क क्षेत्र (₹ 2.00 करोड़) और जिला परिषदों (₹ 6.00 करोड़) के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान जारी करने के लिए।	(i)	release of Grants for creation of capital assets under road sector in respect of Port Blair Municipal Council (₹ 2.00 crore) and for Zilla Parishads (₹ 6.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ट)	सैटेलाइट ट्रांसपोंडर्स किराए पर लेने के लिए अतिरिक्त राशि अपेक्षित है (₹ 56.95 करोड़)। अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए ₹ 13.56 करोड़ की तकनीकी अनुपूरक और ₹ 40.53 करोड़ की नगद अनुपूरक की मांग की जाती है।	(j)	additional amount is required for hiring of satellite transponders (₹ 56.95 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a Technical Supplementary of ₹ 13.56 crore and Cash Supplementary of ₹ 40.53 crore is sought.
	उपर्युक्त व्यय के लिए कुल ₹ 40.53 करोड़ का नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a net cash outgo of ₹ 40.53 crore.
(ठ)	पोलिटेक्निक के उपयोग के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद (₹ 0.40 करोड़)।	(k)	purchase of machinery and equipment for use of polytechnic (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	जिला अस्पतालों के उपयोग के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद (₹ 4.00 करोड़)।	(l)	purchase of machinery and equipment for use of district hospitals (₹ 4.00 crore) .
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ढ)	सीपीडब्ल्यूडी के संबंध में न्यायालय संबंधी मामलों और मध्यस्थता मामलों को संभालने के लिए मध्यस्थता पंचायतों, विधि और यात्रा संबंधी खर्चों के तहत अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि (₹ 5.57 करोड़) अपेक्षित है।	(m)	additional amount is required for meeting the additional expenditure towards Arbitration Awards, legal and travel expenses to attend court cases and Arbitration cases in respect of CPWD (₹ 5.57 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	आपदा प्रबंधन के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद (₹ 2.00 करोड़) और कार्यालय-सह-गोदाम भवन के निर्माण के लिए (₹ 0.54 करोड़)।	(n)	purchase of machinery and equipment for disaster management (₹ 2.00 crore) and for construction of office-cum-Godown building (₹ 0.54 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(त)	पशुचिकित्सा भवन का निर्माण (₹ 0.50 करोड़)।	(o)	construction of Veterinary building (₹ 0.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(थ)	वनों के विकास के लिए मशीन की खरीद के लिए (₹ 0.02 करोड़), चाथम आरा मील के लिए (₹ 0.20 करोड़) और इको-टूरिज्म के लिए भवन का निर्माण (₹ 0.90 करोड़) और वनजीव के लिए (₹ 2.75 करोड़)।	(p)	purchase of machinery for Development of Forests (₹ 0.02 crore), for Chatham Saw Mill (₹ 0.20 crore) and construction of building for Eco-Tourism (₹ 0.90 crore) and for wildlife (₹ 2.75 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(द)	विद्युत संयंत्र के लिए मशीन एवं उपकरण की खरीद (₹ 1.00 करोड़), प्रसारण एवं वितरण के लिए (₹ 0.06 करोड़), सूचना प्रौद्योगिकी के लिए (₹ 0.03 करोड़)।	(q)	purchase of machinery and equipment for power plant (₹ 1.00 crore), for Transmission and Distribution (₹ 0.06 crore), for information technology (₹ 0.03 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ध)	भवन का निर्माण (₹ 0.30 करोड़)।	(r)	construction of building (₹ 0.30 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(न)	(ध) जेट्टी का निर्माण (₹ 1.68 करोड़)।	(s)	construction of jetties (₹ 1.68 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(प)	मशीन एवं उपकरण का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।	(t)	purchase of machinery and equipments (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 50

चंडीगढ़

CHANDIGARH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 60 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये)
(See page 60 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 53 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	35.05	3802.35	3837.40
पूंजी	Capital	142.15	332.85	475.00
जोड़	Total	177.20	4135.20	4312.40
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	62.77	62.77
पूंजी	Capital	317.58	0.07	317.65
जोड़	Total	317.58	62.84	380.42
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.04	0.04
जोड़	Total	...	0.06	0.06
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	494.78	4198.10	4692.88
राजस्व	Revenue	35.05	3865.14	3900.19
पूंजी	Capital	459.73	332.96	792.69
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2014-न्याय प्रशासन	2014-Administration of Justice	...	0.01 (का)	0.01
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (गक)	0.01
4210-चिकित्सा और जन स्वास्थ्य पर पूंजी परिव्यय	4210-Capital Outlay on Medical and Public Health	...	0.01 (घद)	0.01
4216-आवास पर पूंजी परिव्यय	4216-Capital Outlay on Housing	...	0.01 (डे)	0.01
4405-मत्स्य पालन पर पूंजी परिव्यय	4405-Capital Outlay on Fisheries	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.04	0.04
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.06	0.06

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(a)	राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ में नियोजित न्यायाधीश और कर्मचारियों के वेतन का भुगतान (₹ 0.60 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(a)	payment of salary to the Judge and staff deployed in the State Legal Services Authority, UT, Chandigarh (₹ 0.60 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)		परिवहन बसों के लिए पीओएल का व्यय पूरा करना (₹ 10.00 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)		meeting expenditure of POL to the Transport Buses (₹ 10.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)		सेक्टर 10 में न्यायाधीशों के लिए 5 मकानों के निर्माण, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय के विभिन्न निर्माण कार्य की देनदारियों का निपटान (₹ 1.73 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)		clearing the liability of construction of 5 nos. Houses in Sector 10 for judges and various works of High Court & District Court, Chandigarh (₹ 1.73 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	(i)	सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल-32 में नए एक मंजिला आपातकालीन ब्लॉक का निर्माण और सेक्टर 18 में टाइप-II मकानों का निर्माण (₹ 2.00 करोड़), (ii) सरकारी बहु विशेषता अस्पताल-16 में प्रशासनिक ब्लॉक पूरा करना सेक्टर 48 में 100 बिस्तर वाले अस्पताल का निर्माण (₹ 10.82 करोड़), और (iii) विभिन्न सेक्टरों में विभिन्न होम्योपैथी/आयुर्वेदिक दवा खाना का उभयन (₹ 0.17 करोड़)।	(d)	(i)	construction of new single story emergency block in Govt. Medical College and Hospital -32 and construction of Houses Type-II Sector 48 (₹ 2.00 crore), (ii) completion of Administrative Block in Govt. Multi Specialty Hospital-16, construction of 100 bedded hospital in Sector 48 (₹ 10.82 crore) and (iii) up gradation of various Homoeopathic /Ayurvedic Dispensaries in various sectors (₹ 0.17 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ड)	धनास गांव में मल-जल संशोधन संयंत्र के बिजली बिल का भुगतान (₹ 0.15 करोड़)।	(e)	payment of electricity bill of Sewerage Treatment Plant at village Dhanas (₹ 0.15 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(च)	सुखना झील में गार्डन ऑफ सायलेंस के साथ जुड़े मछली तालाब की दीवार का निर्माण (₹ 0.40 करोड़)।	(f)	construction of boundary wall for fish pond adjoining to the garden of silence at Sukhna lake (₹ 0.40 crore).
	अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 51

दादरा और नगर हवेली

DADRA AND NAGAR HAVELI

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 63 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 35 देखिये)
(See page 63 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 35 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	686.45	686.46
पूंजी	Capital	...	389.16	389.16
जोड़	Total	0.01	1075.61	1075.62
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	8.40	8.40
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	8.40	8.40
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	66.40	66.40
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	66.40	66.40
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.01	1150.41	1150.42
राजस्व	Revenue	0.01	761.25	761.26
पूंजी	Capital	...	389.16	389.16

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2215-जलापूर्ति और स्वच्छता	2215-Water Supply and Sanitation	...	60.00 (का)	60.00
2702-लघु सिंचाई	2702-Minor Irrigation	...	5.00 (खb)	5.00
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01 (गc)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (घd)	0.01
3054-सड़क और पुल	3054-Roads and Bridges	...	1.38 (डेe)	1.38
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	66.40	66.40

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	सात गांवों अर्थात् रखोली, दापडा, किलावनी, रांधा, खानवेल, रुढाना, अंबोली, सुरंगी और खेरडी पटेलड में समेकित जल प्रबंधन योजना के कार्यान्वयन के लिए पंचायत को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 60.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	release of Grant in Aid for creation of Capital Assets to Panchayat for implementation of Integrated Water Management Plan in Seven Villages i.e Rakholi, Dapada, Kilavni, Randha, Khanvel, Rudhana, Amboli, Surangi and Kherdi Patelad (₹ 60.00 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section of the grant, a Technical Supplementary is sought.
(ख)	उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। क्षेत्र के विभिन्न गांवों में तटबंधों के निर्माण के लिए पंचायत को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	The above expenditure will not entail any additional cash outgo; release of Grant in Aid for creation of Capital Assets to Panchayat for Construction of Check Dams in Various villages in the Territory (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section of the grant, a Technical Supplementary is sought.
(ग)	उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा। ऊर्जा के दक्ष उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य ऊर्जा संरक्षण निधि (एसईसीएफ) के गठन हेतु अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 2.00 करोड़)।	(c)	The above expenditure will not entail any additional cash outgo; meeting additional requirement for constitution of State Energy Conservation Fund (SECF) for promotion of efficient use of energy (₹ 2.00 crore).
(घ)	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है। निवेश संवर्धन स्कीम-2015 के अंतर्गत ब्याज सब्सिडी जारी करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 2.00 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(d)	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought. meeting additional requirement for release of interest subsidy under investment Promotion Scheme-2015 (₹ 2.00 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	(ङ) विभिन्न गांवों में वर्षा जल की निकासी और छोटे पुलों के निर्माण, गांवों की सड़कों पर एस्फाल्ट की परत चढ़ाने और उन्हें चौड़ा करने के लिए पंचायत को पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए सहायता अनुदान जारी करना (₹ 5.00 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए (₹ 1.38 करोड़) का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है। (₹ 3.62 करोड़) की शेष राशि अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों से पूरी की जाएगी।	(e)	release of Grant in Aid for creation of Capital Assets to Panchayat for asphaltting and widening of village roads, construction of storm water drainage and minor bridges in various villages (₹ 5.00 crore). Taking into account the savings available in the Capital Section of the grant, a Technical Supplementary of ₹ 1.38 crore is sought. The remaining amount of ₹ 3.62 crore will be met from the savings available in the same section of the grant.
	उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।		The above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 52

दमन और दीव

DAMAN AND DIU

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 66 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 36 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)

(See page 66 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 36 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 55 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	0.02	1288.09	1288.11
पूंजी	...	296.95	296.95
जोड़	0.02	1585.04	1585.06
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.04	0.04
पूंजी	...	20.02	20.02
जोड़	...	20.06	20.06
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूंजी	...	28.39	28.39
जोड़	...	28.41	28.41
जोड़ (मूल और पूरक)	0.02	1633.51	1633.53
राजस्व	0.02	1288.15	1288.17
पूंजी	...	345.36	345.36

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2217-शहरी विकास	...	0.01 (क) (क)	0.01
2405-मत्स्य पालन	...	0.01 (ख) (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति पर पूंजी परिव्यय	...	28.37 (ग) (ग)	28.37
4215-जलापूर्ति और स्वच्छता पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घ) (घ)	0.01
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (ङ) (ङ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	...	28.39	28.39
जोड़ (पूरक)	...	28.41	28.41

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The Supplementary Grants are required for:

(क)	दमन और दीव में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए संघ राज्य क्षेत्र स्कीम लागू करने हेतु संघ राज्य क्षेत्र के हिस्से के भुगतान के लिए सहायता अनुदान के तहत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 1.00 करोड़)।	(a)	meeting the additional requirement under Grant-in-aid to pay UT share to carry out UT scheme for Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) in Daman and Diu (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	दमन और दीव में नाव मालिकों को "सुरक्षा और संचार उपस्कर" संबंधी यूटी स्कीम लागू करने के लिए सब्सिडियों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने हेतु (₹ 1.00 करोड़)।	(b)	meeting the additional requirement under Subsidies to carry out UT Scheme "Safety and Communication Equipment" to boat owners in Daman and Diu (₹ 1.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	दीव में शिक्षा केन्द्र के विकास और दमन में इंजीनियरिंग भवन के निर्माण हेतु मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत कार्य करने के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 28.37 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(c)	Meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for development of education hub at Diu and construction of engineering building at Daman (₹ 28.37 crore). Taking into account the saving available in the Revenue Section of the Grant, a Technical Supplementary is sought.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।		The above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(घ)	दमन और दीव में सड़कों के सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य करने हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 5.00 करोड़)।	(d)	Meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for beautification of Roads in Daman and Diu (₹ 5.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ङ)	दमन और दीव में जलापूर्ति के लिए निर्माण कार्य करने हेतु प्रमुख निर्माण कार्यों के अंतर्गत अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करने के लिए (₹ 3.00 करोड़)।	(e)	Meeting the additional requirement under Major Works to carry out works for Water Supply scheme in Daman and Diu (₹ 3.00 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 53

लक्षद्वीप

LAKSHADWEEP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 69 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये)
(See page 69 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 57 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1083.26	1083.26
पूंजी	Capital	...	165.65	165.65
जोड़	Total	...	1248.91	1248.91
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	0.11	0.11
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1249.04	1249.04
राजस्व	Revenue	...	1083.28	1083.28
पूंजी	Capital	...	165.76	165.76
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (का)	0.01
4235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण पर पूंजी परिव्यय	4235-Capital Outlay on Social Security and Welfare	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 4.50 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	meeting additional expenditure under object head Major Works towards land compensation payment (₹ 4.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	भूमि क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए प्रयोजन शीर्ष मुख्य निर्माण कार्य के अंतर्गत अतिरिक्त व्यय पूरा करना (₹ 1.95 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	meeting additional expenditure under object head Major Works towards land compensation payment (₹ 1.95 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 56

आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय

MINISTRY OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 74 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये)

(See page 74 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 59 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)	
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	6406.00
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	6406.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	...	0.01
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	...	2850.00
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	...	2850.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	9256.01
राजस्व	Revenue	...	9256.01
पूंजी	Capital	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2216-आवास	2216-Housing	...	400.00 (क) 400.00
2552-पूर्वात्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	20.00 (ख) 20.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	2430.00 (ग) 2430.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	2850.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए क्रेडिट सहबद्ध सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) (₹ 400 करोड़) (ii) ईडब्ल्यूएस/एलआईजी के लिए सीएलएसएस हेतु सब्सिडियां (₹ 400 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान संख्या 97-शहरी विकास मंत्रालय से ₹ 400 करोड़ के तकनीकी अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(a)	(i) Credit Linked Subsidy Scheme (CLSS) for EWS/LIG (₹ 400 Crore). (ii) Subsidies for CLSS for EWS/LIG (₹ 400 Crore). Taking into account savings available within the same Section of the Grant and after taking into account the technical surrender of ₹ 400 Crore from Demand No. 97 -Ministry of Urban Development, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	(i) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.46 करोड़), (ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन की विगत देनदारियों की योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹ 20 करोड़)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान सं. 97-शहरी विकास मंत्रालय से ₹ 20 करोड़ के तकनीकी अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(b)	(i) GIA General for Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission (DAY-NULM) Scheme. (₹ 0.46 Crore). (ii) Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Past Liabilities of DAY- NULM Scheme. (₹ 20 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the same section of Grant and after taking into account technical surrender of ₹ 20 crore from Grant Number 97 - Ministry of Urban Development, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	(i) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (₹ 1900 करोड़), (ii) पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (अनुसूचित जाति घटक) (₹ 200 करोड़) और (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) स्कीम के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (अनुसूचित जनजाति घटक) (₹ 100 करोड़), (iv) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन स्कीम के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 230 करोड़)। अनुदान संख्या 97-शहरी विकास मंत्रालय से ₹ 2430 करोड़ की बचतों के तकनीकी अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(c)	(i) Grants for creation of Capital Assets (₹ 1900 Cr.), (ii) Grants for creation of Capital Assets (SC component) (₹ 200 Cr) and (iii) Grants for creation of Capital Assets (ST Component) (₹ 100 Cr), for the scheme of Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban) (iv) Grants in aid General of Deendayal Antyodaya Yojana-National Urban Livelihoods Mission Scheme (DAY-NULM) (₹ 230 Crore). Taking into account the technical surrender savings of ₹ 2430 crore from Demand No. 97 -Ministry of Urban Development, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 57

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग

DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 75 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 38 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)

(See page 75 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 38 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 60 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	67459.05	67459.05
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	67459.05	67459.05
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	650.07	650.07
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	650.07	650.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	6828.59	6828.59
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	6828.59	6828.59
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	74937.71	74937.71
राजस्व	Revenue	74937.71	74937.71
पूंजी	Capital	...	...

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	6828.58 (का)	6828.58
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	6828.59	6828.59

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	(-)6709.58	(-)6709.58
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	(-)119.00	(-)119.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	(-)6828.58	(-)6828.58

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	केंद्रीय विद्यालय संगठन को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 398.40 करोड़) और नवोदय विद्यालय समिति (₹ 588.50 करोड़)।	(a)	(i)	Grants-in-Aid General to Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) (₹ 398.40 crore) and Navodaya Vidyalaya Samiti (NVS) (₹ 588.50 crore)
	(ii)	पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान केवीएस को (₹ 480.80 करोड़) और एनवीएस (₹ 320.09 करोड़)।		(ii)	Grants for Creation of Capital Assets to KVS (₹ 480.80 crore) and NVS (₹ 320.09 crore)
	(iii)	केवीएस को सहायता अनुदान वेतन (₹ 3602.33 करोड़) और एनवीएस (₹ 1319.46 करोड़)।		(iii)	Grants-in-Aid Salary to KVS (₹ 3602.33 crore) and NVS (₹ 1319.46 crore)
	(iv)	"राष्ट्रीय निवेश निधि" में अन्तर खाता अंतरण (₹ 6828.58 करोड़)।		(iv)	Inter Account Transfer to "National Investment Fund (NIF)" (₹ 6828.58 crore)
		राष्ट्रीय निवेश निधि में उपलब्ध समतुल्य वसूली (₹ 6828.58 करोड़) को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।			Taking into account the matching recovery of (₹ 6828.58 crore) available in National Investment Fund (NIF), the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ख)	(i)	केवीएस को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.60 करोड़)।	(b)	(i)	Grants-in-Aid General to KVS (₹ 2.60 crore)
	(ii)	केवीएस को पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान (₹ 90.20 करोड़)।		(ii)	Grants for Creation of Capital Assets to KVS (₹ 90.20 crore)
	(iii)	केवीएस को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 26.20 करोड़)।		(iii)	Grants-in-Aid Salary to KVS (₹ 26.20 crore)
		अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।			Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 58

उच्चतर शिक्षा विभाग

DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 76 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 39 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 62 देखिये)

(See page 76 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 39 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 62 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:		
राजस्व	Revenue	33079.70	33079.70
पूंजी	Capital	250.00	250.00
जोड़	Total	33329.70	33329.70
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:		
राजस्व	Revenue	1532.79	1532.79
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	1532.79	1532.79
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:		
राजस्व	Revenue	6403.53	6403.53
पूंजी	Capital	...	...
जोड़	Total	6403.53	6403.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	41266.02	41266.02
राजस्व	Revenue	41016.02	41016.02
पूंजी	Capital	250.00	250.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD		
2202-सामान्य शिक्षा	2202-General Education	0.01 (क)	0.01
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	6403.50 (ख)	6403.50
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	0.01 (ग)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	6403.53	6403.53

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

राजस्व भाग	REVENUE SECTION		
2203-तकनीकी शिक्षा	2203-Technical Education	(-)6403.50	(-)6403.50

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	ब्याज सब्सिडी और गारंटी निधि के लिए अंशदान [₹ 1829 करोड़], राष्ट्रीय पुस्तक न्यास [₹ 6 करोड़], वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी) [₹ 2 करोड़] स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान।	(a)	(i)	Grants-in-aid General under the schemes - Interest subsidy and contribution for guarantee fund [₹ 1829.00 Crore], National Book Trust [₹ 6.00 Crore] & Commission for Scientific and Technical terminology (CSTT) [₹ 2.00 Crore]
	(ii)	"कॉलेज और विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति" [₹. 25.00 करोड़] स्कीम के अंतर्गत छात्रवृत्तियां / वजीफे। अनुदान के उसी भाग में बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा गया है।		(ii)	Scholarships/Stipends under the scheme "Scholarship for College and University Students" [₹ 25.00 Crore] Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	निम्नलिखित स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए:- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीआर) [₹ 10.00 करोड़], भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (आईआईएसईआर) के लिए समर्थन [₹ 70.00 करोड़], आईआईएम, आंध्र प्रदेश [₹ 2.00 करोड़], एसएलआईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता [₹ 3.00 करोड़], (इलाहाबाद, ग्वालियर, जबलपुर और कांचीपुरम) के सूचना प्रौद्योगिकी भारतीय संस्थानों के लिए सहायता [₹ 10.00 करोड़] और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता -राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) [₹ 1069.50 करोड़]।	(b)	(i)	Grants-in-aid General for meeting additional requirement under the following schemes:- National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs) [₹ 10.00 Crore], Support to Indian Institute (s) of Science Education & Research (IISER) [₹ 70.00 Crore], IIM, Andhra Pradesh [₹ 2.00 Crore], Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFT & CIT Kokrajhar [₹ 3.00 Crore], Support to Indian Institute(s) of Information Technology (Allahabad, Gwalior, Jabalpur and Kanchipuram) [₹ 10.00 Crore] & Support to Indian Institutes of Technology- National Investment Fund (NIF) [₹ 1069.50 Crore]

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ii)	इन स्कीमों के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान :- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) [₹ 14.00 करोड़], एसएलआईईटी, एनईआरआईटीएटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों को सहायता [₹ 2 करोड़] और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता -राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) [₹ 4155.00 करोड़]	(ii)	Grants for creation of capital assets under the schemes:- National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs) [₹ 14.00 Crore], Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT & CIT Kokrajhar [₹ 2.00 Crore] & Support to Indian Institutes of Technology-National Investment Fund (NIF) [₹ 4155.00 Crore]
(iii)	इन स्कीमों के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान:- राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान (एनआईटीटीटीआर) [₹. 27.00 करोड़], आईआईएम, आंध्र प्रदेश (₹.2.00 करोड़), एसएलआईईटी, एनईआरआईएसटी, एनआईएफएफटी और सीआईटी कोकराझार सहित अन्य संस्थानों के लिए सहायता [₹. 3.00 करोड़], भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता -राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) [₹. 1179.00 करोड़]	(iii)	Grants-in-aid Salaries under the schemes:- National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs) [₹ 27.00 Crore], IIM, Andhra Pradesh [₹ 2.00 Crore], Assistance to Other Institutes including SLIET, NERIST, NIFFT & CIT Kokrajhar [₹ 3.00 Crore] & Support to Indian Institutes of Technology-National Investment Fund (NIF) [₹ 1179.00 Crore]
(iv)	इन स्कीमों के अंतर्गत अंतर लेखा अंतरण : भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को सहायता -राष्ट्रीय निवेश निधि (एनआईएफ) [₹ 6403.50 करोड़]	(iv)	Inter Account Transfer under the schemes: Support to Indian Institutes of Technology-National Investment Fund (NIF) [₹ 6403.50 Crore]
	एनआईएफ निधि में ₹ . 6403.50 करोड़ की उपलब्ध, समान वसूली को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त निवल व्यय शामिल नहीं होगा। इसलिए, यह ₹ 6403.50 करोड़ का तकनीकी अनुपूरक होगा।		
(ग)	(i)	(c)	(i)
	(i)		(i)
	(ii)	(ii)	(ii)
	(iii)	(iii)	(iii)
चूंकि अनुदान के इसी भाग में समान बचतें उपलब्ध हैं, एक सांकेतिक अनुपूरक की मांग की जाती है।			
(घ)	(i)	(d)	(i)
	(i)		(i)
अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक अनुदान मांगा गया है।			

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 59

सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 77 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 40 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये)

(See page 77 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 40 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 64 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4379.90	4379.90
पूंजी	Capital	...	29.10	29.10
जोड़	Total	...	4409.00	4409.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.05	0.05
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4409.07	4409.07
राजस्व	Revenue	...	4379.96	4379.96
पूंजी	Capital	...	29.11	29.11
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2220-सूचना और प्रचार	2220-Information and Publicity	...	0.01	(क) 0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4220-सूचना और प्रचार पर पूंजी परिव्यय	4220-Capital Outlay on Information and Publicity	...	0.01	(ख) 0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | |
|--|---|
| <p>(क) (i) चिल्ड्रेंस फिल्म सोसायटी, भारत को 'वेतन सहायता अनुदान' (₹ 0.26 करोड़); (ii) 'भारतीय जनसंचार संस्थान के नए क्षेत्रीय केन्द्र का उद्घाटन' स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.1 करोड़); (iii) सत्यजीत रे फिल्म और टेलिविजन संस्थान को सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.56 करोड़) तथा (iv) 'भारतीय सिनेमा का संवर्धन' स्कीम के तहत 'राष्ट्रीय/अंतराष्ट्रीय बाल फिल्म समारोह' घटक के लिए सामान्य सहायता अनुदान (₹ 1.10 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(a) (i) 'Grants-in-aid Salaries' to Children's Film Society, India (₹ 0.26 crore); (ii) Grants-in-aid General under the scheme 'Opening of new regional centre's of Indian Institute of Mass Communication (₹ 0.1 crore) (iii) Grants-in-aid General for the scheme 'Infrastructure Development in SRFTI (₹ 0.56 crore) and (iv) Grants-in-aid General for the component 'National/International Children's Film Festival' under the scheme 'Promotion of Indian Cinema'(₹ 1.10 crore)</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) (i) फिल्मस डिवीजन के लिए उपस्करों की अधिप्राप्ति स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर (₹ 0.10 करोड़); (ii) गतिमान छायाचित्रों (फिल्मस डिवीजन) के संग्रहालय की स्थापना योजना के तहत बड़े निर्माण कार्य (₹ 2.92 करोड़); तथा (iii) जयकर बंगले और डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना सहित भारतीय राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार (एनएफएआई) की अवसंरचना का उन्नयन स्कीम के तहत बड़े निर्माण कार्य (₹ 1.00 करोड़)।</p> <p>अनुदान के उसी खंड में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(b) (i) Machinery & Equipment under the scheme Acquisition of Equipments for Films Division (₹ 0.10 crore); (ii) Major Works under the scheme Setting up of Museum of Moving Images(Films Division)(₹ 2.92 crore); and (iii) Major Works under the scheme up gradation of Infrastructure of National Film Archive of India (NFAI) including Jayakar Bungalow and setting up of digital library(₹ 1.00 crore).</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 60

श्रम और रोजगार मंत्रालय

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 78 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)

(See page 78 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7355.53	7355.53
पूंजी	Capital	...	22.85	22.85
जोड़	Total	...	7378.38	7378.38
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	19.01	19.01
जोड़	Total	...	19.03	19.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	7397.42	7397.42
राजस्व	Revenue	...	7355.56	7355.56
पूंजी	Capital	...	41.86	41.86
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

"राष्ट्रीय श्रम संस्थान" योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के रूप में (₹ 2.50 करोड़) की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी खंड में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting an additional requirement (₹ 2.50 crore) as Grants-in-aid General under the scheme 'National Labour Institute'.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 61

विधि और न्याय

LAW AND JUSTICE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 79 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये)
(See page 79 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 67 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	3072.39	3072.39
पूंजी	Capital	...	1071.27	1071.27
जोड़	Total	...	4143.66	4143.66
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	46.26	46.26
जोड़	Total	...	46.27	46.27
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	413.47	413.47
जोड़	Total	...	413.47	413.47
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4603.40	4603.40
राजस्व	Revenue	...	3072.40	3072.40
पूंजी	Capital	...	1531.00	1531.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4070-अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूंजी परिव्यय	4070-Capital Outlay on Other Administrative Services	...	413.47	413.47

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

मशीनरी व उपकरण शीर्ष के अधीन अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों और वोटर वेरीफाइबल पेपर आडिट ट्रेल के सप्लायर को भुगतान करने के लिए (₹ 413.47 करोड़)।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting the additional requirement under Machinery & Equipment to make payment to the supplier of Electronic Voting Machines and Voter Verifiable Paper Audit Trails (₹ 413.47 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 64

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 82 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 42 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 70 देखिये)

(See page 82 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 42 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 70 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6471.36	6471.36
पूंजी	Capital	...	10.60	10.60
जोड़	Total	...	6481.96	6481.96
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.04	0.04
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.04	0.04
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	6482.01	6482.01
राजस्व	Revenue	...	6471.41	6471.41
पूंजी	Capital	...	10.60	10.60
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

केवीआईसी पेंशनभोगियों के पेंशन पर व्यय पूरा करने के लिए "सामान्य सहायता अनुदान" प्रयोजन शीर्ष के अंतर्गत खादी अनुदान के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरी करना (₹ 6.51 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

Meeting additional requirement (₹ 6.51 crore) towards Khadi Grant under Object Head "Grants-in-Aid General" for meeting the expenditure on pension of KVIC pensioners.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 65

खान मंत्रालय

MINISTRY OF MINES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 83 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये)
(See page 83 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 65 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.10	1054.55	1054.65
पूंजी	Capital	...	158.84	158.84
जोड़	Total	0.10	1213.39	1213.49
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	47.00	47.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	47.00	47.00
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	200.00	200.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	200.00	200.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.10	1460.39	1460.49
राजस्व	Revenue	0.10	1301.55	1301.65
पूंजी	Capital	...	158.84	158.84
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	200.00	200.00
टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है !				
Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.				
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
2853-अलौह खनन और धातुकर्म उद्योग	2853-Non-Ferrous Mining and Metallurgical Industries	...	(-)100.00	(-)100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण निधि को अंतरण (₹ 100 करोड़) और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास के तहत अन्वेषण क्रियाकलाप स्कीम के अंतर्गत कार्यालयी खर्च के लिए (₹ 100 करोड़) व्यय पूरा करना।

चूंकि ₹ 100 करोड़ की वसूली राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास निधि में उपलब्ध है, इसमें ₹ 100 करोड़ का नकद व्यय होगा।

The supplementary Grant is required for:

Transfer to National Mineral Exploration Fund (₹ 100 crore) and meeting expenditure (₹ 100 crore) towards Office Expenses under the scheme Exploration Activities under National Mineral Exploration Trust (NMET).

Since recoveries of ₹ 100 crore is available in National Mineral Exploration Trust Fund, this would entail a cash outgo of ₹ 100 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 66

अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय

MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 84 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 43 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 72-73 देखिये)

(See page 84 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 43 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 72-73 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4025.48	4025.48
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00
जोड़	Total	...	4195.48	4195.48
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.03	0.03
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4195.58	4195.58
राजस्व	Revenue	...	4025.58	4025.58
पूंजी	Capital	...	170.00	170.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	0.01 (क)	0.01
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.01 (ख)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.03	0.03

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	सचिवालय सामाजिक सेवाएं-स्वच्छता कार्यवाई योजना हेतु कार्यालय खर्च पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।	(a)	meeting expenditure towards –Secretariat Social Services-Swachhta Action Plan for Office Expenses (₹ 0.10 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	"अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति" स्कीम हेतु छात्रवृत्ति के भुगतान पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 210 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।	(b)	meeting expenditure towards the scheme "Pre Matric Scholarship for Minority Students" for payment of Scholarship (₹ 210 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) विज्ञापन एवं प्रचार के लिए स्वच्छता कार्यवाई योजना के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए मीडिया अभियान (₹ 0.30 करोड़) तथा (ii) अनुसंधान अध्ययन, स्कीमों की निगरानी और मूल्यांकन, स्वच्छता कार्यवाई योजना - अन्य प्रशासनिक खर्च पर हुए व्यय को पूरा करने के लिए (₹ 0.20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान प्रार्थित है।	(c)	meeting expenditure towards (i) Media Campaign for Minorities under Swachhta Action Plan for Advertising & Publicity (₹ 0.30 crore) and (ii) Research Studies, Monitoring & Evaluation of Schemes, Swachhta Action Plan – Other Admn. Expenditure (₹ 0.20 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 67

नवीन तथा नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 85 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 74 देखिये)

(See page 85 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 74 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	10724.54	10724.54
पूंजी	Capital	...	90.00	90.00
जोड़	Total	...	10814.54	10814.54
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	10814.56	10814.56
राजस्व	Revenue	...	10724.56	10724.56
पूंजी	Capital	...	90.00	90.00
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grant is required for:

- (i) जल विद्युत इंटरैक्टिव के अंतर्गत अतिरिक्त परियोजना दावों के संवितरण के लिए सब्सिडी प्रदान करना (₹ 11 करोड़)।
- (ii) सौर पंपिंग कार्यक्रम, स्ट्रीट लाइट, हाउसलाइट और अटल ज्योति योजना के लिए सौर ऊर्जा (आफ ग्रिड) के तहत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹ 90 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

- (i) providing Subsidy under the head Hydro Power (Grid Interactive) for disbursement of additional Project claims (₹ 11 crore);
- (ii) providing Grants for Creation of Capital Assets under the scheme Solar Power (Off-Grid) for solar pumping Programme, Streetlights, Houselights and Atal Jyoti Yojana (₹ 90 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 68

पंचायती राज मंत्रालय

MINISTRY OF PANCHAYATI RAJ

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 86 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 75 देखिये)
(See page 86 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 75 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	790.79	790.79
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	790.79	790.79
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	790.81	790.81
राजस्व	Revenue	...	790.81	790.81
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2515-Other Rural Development Programmes	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

ई पंचायत पर मिशन मोड परियोजना स्कीम के तहत अन्य प्रभारों हेतु आवंटन देना (₹ 12.60 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

providing allocation for Other Charges under the Scheme of Mission Mode Project on E-Panchayat (₹ 12.60 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 69

संसदीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 87 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 76 देखिये)
(See page 87 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 76 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	17.88	17.88
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	17.88	17.88
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.50	0.50
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.50	0.50
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	18.39	18.39
राजस्व	Revenue	...	18.39	18.39
पूंजी	Capital	...	...	...
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2052-सचिवालय-सामान्य सेवाएं	2052-Secretariat-General Services	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

स्वच्छता कार्य योजना शीर्ष के अंतर्गत व्यय पूरा करने के लिए (₹ 0.10 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक पूरक मांगा जाता है।

The supplementary Grant is required for:

meeting expenditure under the head Swachhta Action Plan (SAP) (₹ 0.10 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 70

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 88 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 44 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 77 देखिये)

(See page 88 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 44 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 77 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4.49	1266.60	1271.09
पूंजी	Capital	2.00	149.91	151.91
जोड़	Total	6.49	1416.51	1423.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	196.72	196.72
पूंजी	Capital	...	0.09	0.09
जोड़	Total	...	196.81	196.81
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	16.22	7.31	23.53
जोड़	Total	16.22	7.31	23.53
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	22.71	1620.63	1643.34
राजस्व	Revenue	4.49	1463.32	1467.81
पूंजी	Capital	18.22	157.31	175.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:				
		<i>भारित</i> <i>Charged</i>	<i>स्वीकृत</i> <i>Voted</i>	<i>जोड़</i> <i>Total</i>
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	7.31 (का)	7.31
7601-राज्य सरकारों को ऋण और अग्रिम	7601-Loans and Advances to State Governments	16.22 (खब)	...	16.22
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	16.22	7.31	23.53

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	(क) राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम को भुगतान, संशोधित लागत के अनुसार सीआईसी मुख्यालय के निर्माण के लिए। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(a)	Payment to National Buildings Construction Corporation (NBCC) towards construction of CIC Headquarters as per revised cost. Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	(ख) अखिल भारत सेवा अधिकारियों को आवास निर्माण अग्रिम अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।	(b)	House Building Advance (HBA) to All India Service Officers . Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 72

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 90 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 46 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 80 देखिये)

(See page 90 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 46 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 80 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	25310.37	25310.37
पूंजी	Capital	...	3847.20	3847.20
जोड़	Total	...	29157.57	29157.57
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	7003.02	7003.02
पूंजी	Capital	...	300.00	300.00
जोड़	Total	...	7303.02	7303.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	400.00	400.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	400.00	400.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	36860.59	36860.59
राजस्व	Revenue	...	32713.39	32713.39
पूंजी	Capital	...	4147.20	4147.20
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		<i>भारित Charged</i>	<i>स्वीकृत Voted</i>	<i>जोड़ Total</i>
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2802-पेट्रोलियम	2802-Petroleum	...	400.00	400.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

फूलपुर-धामरा-हल्दिया पाइपलाइन परियोजना स्कीम के तहत पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए (400.00 करोड़ रुपये)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

Providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme Phulpur-Dhamra-Haldia Pipeline Project (₹ 400.00 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 74

विद्युत मंत्रालय

MINISTRY OF POWER

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 92 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 82 देखिये)
(See page 92 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 82 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	11102.46	11102.46
पूंजी	Capital	...	3708.40	3708.40
जोड़	Total	...	14810.86	14810.86
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2995.55	2995.55
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	2995.56	2995.56
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	160.00	160.00
जोड़	Total	...	160.02	160.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	17966.44	17966.44
राजस्व	Revenue	...	14098.03	14098.03
पूंजी	Capital	...	3868.41	3868.41
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3451-सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	3451-Secretariat-Economic Services	...	0.01 (का)	0.01
2801-विद्युत	2801-Power	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4552-पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजी परिव्यय	4552-Capital Outlay on North Eastern Areas	...	160.00 (गक)	160.00
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	160.02	160.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(क) स्वच्छता कार्य योजना के अंतर्गत आबंटन के प्रावधान हेतु (₹ 0.87 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	providing allocation under Swachhata Action Plan (₹ 0.87 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(ख) सौभाग्य के लिए सामान्य सहायता अनुदान के प्रावधान हेतु: (i) दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) स्कीम के अंतर्गत (₹ 38.75 करोड़) और (ii) समेकित विद्युत विकास योजना (आईपीडीएस) (₹ 2.25 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	providing 'Grants-in-Aid General' for Saubhagya (i) under the scheme 'Deen Dayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojna' (DDUGJY) (₹ 38.75 crore) and (ii) Integrated Power Development Scheme (IPDS) (₹ 2.25 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(ग) नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन (नीपको) को अतिरिक्त इक्विटी देने के लिए (₹ 200.00 करोड़)। अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध ₹ 160 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में ₹ 40 करोड़ की बचत का उपयोग करने के बाद उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(c)	providing additional equity to North Eastern Electric Power Corporation (NEEPCO) (₹ 200.00 crore). Taking into account the surrender of saving of savings of ₹ 160 crore available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings of ₹ 40 crore within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 80

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 98 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 49 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 86 देखिये)

(See page 98 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 49 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 86 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	158.23	236461.18	236619.41
पूंजी	Capital	38.01	194303.45	194341.46
जोड़	Total	196.24	430764.63	430960.87
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	...	...
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	250.70	418.30	669.00
पूंजी	Capital	613.71	0.01	613.72
जोड़	Total	864.41	418.31	1282.72
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1060.65	431182.96	432243.61
राजस्व	Revenue	408.93	236879.48	237288.41
पूंजी	Capital	651.72	194303.48	194955.20

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3001-भारतीय रेलवे-नीति निर्माण, दिशा-निर्देश, अनुसंधान एवं अन्य विविध संगठन	3001-Indian Railways - Policy Formulation, Direction, Research and Other Miscellaneous Organisations	2.93 (का)	...	2.93
3002-भारतीय रेलवे-वाणिज्य लाइन-कार्यगत व्यय	3002-Indian Railways - Commercial Lines - Working Expenses	247.76 (खब)	0.01 (गक)	247.77
3003-भारतीय रेलवे-सीमावर्ती लाइन-कार्यगत व्यय	3003-Indian Railways - Strategic Lines - Working Expenses	0.01 (घद)	300.62 (डे)	300.63
3075-अन्य परिवहन सेवाएं	3075-Other Transport Services	...	117.67 (चफ)	117.67
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	250.70	418.30	669.00
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	613.71 (छग)	0.01 (झह)	613.72
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	864.41	418.31	1282.72

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग

CAPITAL SECTION

5002-भारतीय रेलवे वाणिज्य लाइन पर पूंजी परिव्यय	5002-Capital Outlay on Indian Railways - Commercial Lines	...	(-)100.00	(-)100.00
---	---	-----	-----------	-----------

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	न्यायालयी डिक्रियों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।	(a)	meeting additional expenditure arising out of court decrees. The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in voted section of the grant.;
(ख)	कोर्ट डिक्रिरियों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।	(b)	meeting additional expenditure arising out of court decrees. The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in voted section of the grant.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(ग)	भत्तों पर केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कर्मचारी लागत, उच्चतर मरम्मत और अनुरक्षण, सुरक्षा संबंधी व्यय, नयी पेंशन स्कीम और पेंशनीय प्रभारों के लिए ₹ 31.91 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने लिए।	(c)	meeting additional expenditure of ₹ 31.91 crore towards staff cost on implementation of recommendations of 7th Central Pay Commission on allowances, higher repairs and maintenance, safety related expenditure, New Pension scheme and pensionary charges.
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के इसी भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।		The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in same section of the grant.
(घ)	कोर्ट डिक्रियों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(d)	meeting additional expenditure arising out of court decrees.
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।		The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in voted section of the grant.
(ङ)	भत्तों पर 7वाँ केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन पर कर्मचारी लागत, उच्चतर मरम्मत और अनुरक्षण, सुरक्षा संबंधी व्यय, नयी पेंशन स्कीम और पेंशनीय प्रभारों के लिए ₹ 1598.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय पूरा करने के लिए। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर शेष धनराशि के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(e)	meeting additional expenditure of ₹ 1598.88 crore towards staff cost on implementation of recommendations of 7th Central Pay Commission on allowances, higher repairs and maintenance, safety related expenditure, New Pension scheme and pensionary charges. Taking into account the savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount is sought.
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के पूंजीगत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।		The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in capital section of the grant.
(च)	सामरिक लाइनों के परिचालन पर घाटों की प्रतिपूर्ति मुहैया कराने के लिए (₹ 1733.80 करोड़) और भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (₹ 80 करोड़) को ई-टिकटिंग की परिचालन लागत की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर शेष धनराशि के लिए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(f)	meeting additional expenditure towards providing reimbursement of losses on operation of strategic lines (₹ 1733.80 crore) and reimbursement of operational cost on e-ticketing to Indian Railway catering and Tourism Corporation (₹ 80 crore). Taking into account the savings available in the same section of the grant, supplementary for the balance amount is sought.
	अनुदान के पूंजीगत भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(छ)	कोर्ट डिक्रियों के कारण अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।	(g)	meeting additional expenditure arising out of court decrees.
	उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय नहीं होगा क्योंकि अनुदान के स्वीकृत भाग में समतुल्य बचतें उपलब्ध हैं।		The above expenditure will not entail cash outgo as equivalent savings are available in capital voted section of the grant.
(झ)	महिलाओं की सुरक्षा के लिए रेलवे स्टेशनों पर क्लोज़्ड सर्किट कैमरा लगाने पर अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए इस व्यय की वसूली निर्भया निधि में उपलब्ध शेष धनराशि से की जाएगी।	(h)	meeting additional expenditure on installation of closed circuit cameras at Railway Stations towards women safety. This expenditure will be recovered from the balances available in the Nirbhaya Fund.
	निर्भया निधि से वसूली गई अतिरिक्त धनराशि (₹ 100 करोड़) को ध्यान में रखते हुए, इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account additional recoveries (₹ 100 crore) from Nirbhaya Fund, this will not entail cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 81

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 100 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 50 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 90 देखिये)

(See page 100 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 50 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 90 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	19903.48	19903.48
पूंजी	Capital	10.00	100455.66	100465.66
जोड़	Total	10.00	120359.14	120369.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.03	0.03
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	0.05	0.05
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	2529.27	2529.27
जोड़	Total	...	2529.28	2529.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	10.00	122888.47	122898.47
राजस्व	Revenue	...	19903.52	19903.52
पूंजी	Capital	10.00	102984.95	102994.95

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3055-सड़क परिवहन	3055-Road Transport	...	0.01 (का)	0.01
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	2529.27 (खब)	2529.27
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	2529.28	2529.28

टिप्पणी: अतिरिक्त आवश्यकताओं के ऊपर दिए गए अनुमानों में नीचे दर्शाई गयी वसूलियों को शामिल नहीं किया गया है जिन्हें व्यय में से घटाकर समायोजित किया जाता है।

Note: The above estimates of additional requirements do not take into account the recoveries shown below, which are adjusted in reduction of expenditure.

पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
5054-सड़क और पुलों पर पूंजी परिव्यय	5054-Capital Outlay on Roads and Bridges	...	(-)2529.27	(-)2529.27

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i)	असंगठित क्षेत्र के चालकों के लिए पुनर्शुच्य प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास योजना के तहत पूंजीगत परिसंपत्ति सृजन के लिए अनुदान प्रदान करना - (₹ 7 करोड़)।	(a)	(i)	providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Refresher Training of Drivers in unorganised sector and Human Resource Development (₹ 7 crore).
	(ii)	कंप्यूटर प्रणाली और राष्ट्रीय डेटा बेस योजना के तहत अन्य प्रभार के लिए अतिरिक्त निधि प्रदान करना है (₹ 5 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को देखते हुए, सांकेतिक अनुपूरक अनुदान की मांग की जाती है।		(ii)	providing additional funds under Other Charges under the scheme of Computer System and National Data Base (₹ 5 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i)	राष्ट्रीय निवेश निधि (₹ 5265 करोड़) में निधियों का अंतर खाता अंतरण।	(b)	(i)	inter-account transfer of funds to National Investment Fund (₹ 5265 crore).
	(ii)	पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय (₹ 4670 करोड़), सीमा सड़क विकास बोर्ड के मुख्य निर्माण कार्य (₹ 185 करोड़), सड़क स्कंध के अंतर्गत मुख्य निर्माण		(ii)	meeting expenditure under Major Works for Special Accelerated Road Development Programme for North East Areas (₹ 4670 crore), Major Works for Border Road Development Board (₹ 185

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

कार्य (₹ 400 करोड़) , अन्य प्रशासनिक व्यय (₹ 10 करोड़) । राष्ट्रीय निवेश कोष से वसूली द्वारा मिलान किया गया है।

- (iii) जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी बाह्य सहायता योजनाओं (₹ 50 करोड़) के तहत मुख्य निर्माण कार्य पर अतिरिक्त व्यय पूरा करना है।

अनुदान के राजस्व भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए, और अनुदान के उसी खंड के भीतर बचत का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

crore), Major Works under Roads Wing (₹ 400 crore), Other Administrative Expenses (₹ 10 crore). The expenditure is matched by recoveries from National Investment Fund.

- (iii) meeting additional expenditure on Major Works under the Japan International Cooperation Agency Externally Aided Schemes (₹ 50 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Revenue Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 84

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 103 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 53 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 92 देखिये)

(See page 103 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 53 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 92 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.02	4821.76	4821.78
पूंजी	Capital	...	15.59	15.59
जोड़	Total	0.02	4837.35	4837.37
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	5.00	5.00
जोड़	Total	...	5.02	5.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	0.02	4842.38	4842.40
राजस्व	Revenue	0.02	4821.79	4821.81
पूंजी	Capital	...	20.59	20.59
	II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
	II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:			
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

(i) भारतीय सर्वेक्षण के तहत मानचित्र प्रकाशन कार्यालय के लिए 'सहायता अनुदान सामान्य' में अतिरिक्त व्यय (₹ 0.01 करोड़) के लिए (ii) नवपरिवर्तन प्रौद्योगिकी विकास और नियोजन के लिए पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 16.45 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत के उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional expenditure towards (i) Grants-in-aid General (₹ 0.01 crore) for Map Publication Offices under Survey of India and (ii) 'Grants for Creation of Capital Assets' (₹ 16.45 crore) for Innovation, Technology Development and Deployment.

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 86

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग

DEPARTMENT OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 105 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 55 देखिये)
(See page 105 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 55 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4439.25	4439.25
पूंजी	Capital	...	6.75	6.75
जोड़	Total	...	4446.00	4446.00
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	185.35	185.35
पूंजी	Capital	...	0.02	0.02
जोड़	Total	...	185.37	185.37
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4631.38	4631.38
राजस्व	Revenue	...	4624.61	4624.61
पूंजी	Capital	...	6.77	6.77
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा: II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	3425-Other Scientific Research	...	185.35 (का)	185.35
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूंजी परिव्यय	4059-Capital Outlay on Public Works	...	0.01 (खब)	0.01
5425-अन्य वैज्ञानिक और पर्यावरण अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5425-Capital Outlay on Other Scientific and Environmental Research	...	0.01 (गक)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	0.02	0.02
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	185.37	185.37

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) सी एस आई आर के राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 194.21 करोड़) वेतन प्रदान करने के लिए (₹ 190.00 करोड़) (iii) औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास के अंतर्गत प्रौद्योगिकी विकास और प्रसार के लिए जान तक पहुंच से संबंधित योजनाएं (ए2के+) के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए (₹ 0.25 करोड़) अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण (₹ 1.65 करोड़) को देखते हुए और अनुदान के उसी भाग में बचतों का उपयोग करने के बाद (₹ 199.11 करोड़) उपर्युक्त व्यय में (₹ 183.70 करोड़) का नकद खर्च होगा।	(a)	Providing (i) Grant-in-aid General (₹ 194.21 crore) and Grant-in-aid Salaries (₹ 190 crore) towards National Laboratories of CSIR and (ii) Grant-in-aid General for the scheme Access to Knowledge for Technology Development & Dissemination (A2K+) under Industrial Research & Development (IR&D) (₹ 0.25 crore). Taking into account the surrender of savings (₹ 1.65 crore) available in the Capital Section of the Grant, and after utilising the savings (₹ 199.11) within the same section of the Grant, the above expenditure will entail a cash outgo of ₹ 183.70 crore.
(ख)	डी एस आई आर भवन एवं अवसंरचना के वृहत निर्माण कार्य के (₹ 0.50 करोड़) तहत व्यय पूरा करना। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(b)	Meeting expenditure under Major Works for DSIR Building & Infrastructure (₹ 0.50 crore). Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	ए पी सी टी टी (संयुक्त राष्ट्र निकाय) के विशेष निर्माण कार्य भवन के लिए मुख्य निर्माण कार्य के तहत व्यय पूरा करना (₹ 0.85 करोड़)। अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की जाती है।	(c)	Meeting the expenditure under Major Works for Special Construction Work/Building for APCCTT (UN Body) (₹ 0.85 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 87

नौवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SHIPPING

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 106 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 56 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 94 देखिये)

(See page 106 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 56 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 94 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1668.84	1668.84
पूंजी	...	440.66	440.66
जोड़	...	2109.50	2109.50
I. ORIGINAL GRANT:			
Revenue	...	1668.84	1668.84
Capital	...	440.66	440.66
Total	...	2109.50	2109.50
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.03	0.03
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	0.03	0.03
SUPPLEMENTARY GRANT:			
Revenue	...	0.03	0.03
Capital	...	...	...
Total	...	0.03	0.03
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	7.22	7.22
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	7.23	7.23
जोड़ (मूल और पूरक)	...	2116.76	2116.76
राजस्व	...	1676.09	1676.09
पूंजी	...	440.67	440.67
Total (Original plus Supplementary)	...	2116.76	2116.76
Revenue	...	1676.09	1676.09
Capital	...	440.67	440.67
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2852-उद्योग	...	0.01 (क)	0.01
3051-बंदरगाह और प्रकाश स्तंभ	...	7.20 (ख)	7.20
3056-अंतर्देशीय जल परिवहन	...	0.01 (ग)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	7.22	7.22
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
6858-अभियांत्रिक उद्योगों के लिए ऋण	...	0.01 (घ)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	7.23	7.23
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2852-Industries	...	0.01 (क)	0.01
3051-Ports and Light Houses	...	7.20 (ख)	7.20
3056-Inland Water Transport	...	0.01 (ग)	0.01
Total (Revenue Section)	...	7.22	7.22
CAPITAL SECTION			
MAJOR HEAD			
6858-Loans for Engineering Industries	...	0.01 (घ)	0.01
Total (Supplementary)	...	7.23	7.23

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	आयकर दायित्व के भुगतान के लिए हुगली डॉक एवं पोर्ट्स इंजीनियर्स लिमिटेड को सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना। (₹ 15 करोड़)	(a)	providing Grants-in-aid General to Hoogly Dock and Ports Engineers Limited for payment of Income Tax Liability (₹ 15 crore).
	(i) अनुदान के उसी खंड के तहत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) तटीय नौवहन घाटों को सहायता के लिए पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करना (₹ 59.13 करोड़)।	(b)	(i) providing Grants for creation of Capital Assets for assistance to Coastal Shipping Berth (₹ 59.13 crore).
	(ii) लाइटहाउस देय राशि (₹ 7.20 करोड़) की प्राप्ति में वृद्धि के कारण प्राप्ति का अतिरिक्त निधि में अतिरिक्त अंतरण।	(ii)	additional transfer of receipts to Reserve due to increase in receipt of Lighthouse dues (₹ 7.20 crore).
	लाइटहाउस की बकाया राशि की बढ़ी हुई प्राप्तियों को ध्यान में रखते हुए और अनुदान के उसी अनुभाग के भीतर उपलब्ध बचत का उपयोग करने के बाद, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the increased receipts of Lighthouse dues and after utilising the savings available within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(ग)	(i) राष्ट्रीय जलमार्ग के विकास के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूआई) (₹ 0.48 करोड़) के लिए सहायता अनुदान सामान्य जारी करना।	(c)	(i) releasing Grants-in-aid General to Inland Waterways Authority of India for development of National Waterways (₹ 0.48 crore).
	(ii) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अनुदान के लिए (₹ 6.20 करोड़) सहायता अनुदान वेतन जारी करना।	(ii)	releasing Grants-in-aid Salaries to Inland Waterways Authority of India (₹ 6.20 crore).
	(iii) राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की पूंजी परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान जारी करना (₹ 36.66 करोड़)।	(iii)	releasing Grants for creation of Capital Assets to Inland Waterways Authority of India for development and maintenance of National Waterways (₹ 36.66 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(iv) जल मार्ग विकास परियोजना के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए अनुदान जारी करना (₹ 75.00 करोड़)।	(iv) releasing Grants for creation of Capital Assets to Inland Waterways Authority of India for Jal Marg Vikas Project (₹ 75 crore).
(v) अतिरिक्त बजटीय संसाधन जुटाने के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा जारी बॉण्ड के लिए ब्याज की अदायगी (₹ 28.70 करोड़)।	(v) payment of interest for Bonds issued by Inland Waterways Authority of India for raising Extra Budgetary Resources (₹ 28.70 crore).
अनुदान के उसी खंड के तहत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ) हुगली डॉक एवं पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड (₹ 4.50 करोड़) के कर्मचारियों को वेतन के भुगतान के लिए ऋण जारी करना।	(d) releasing loan for payment of salary to the employees of Hooghly Dock & Port Engineers Limited (₹ 4.50 crore).
अनुदान के उसी खंड के तहत बचत उपलब्ध है, इसलिए सांकेतिक पूरक की मांग की गई है।	Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 88

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 107 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 95 देखिये)

(See page 107 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 95 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	2766.11	2766.11
पूंजी	Capital	...	250.03	250.03
जोड़	Total	...	3016.14	3016.14
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	3016.17	3016.17
राजस्व	Revenue	...	2766.14	2766.14
पूंजी	Capital	...	250.03	250.03
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2230-श्रम, रोजगार और कौशल विकास	2230-Labour, Employment and Skill Development	...	0.01 (का)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The Supplementary Grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत प्रकाशन (₹ 26.60 करोड़) और सामान्य सहायता अनुदान (₹ 133.21 करोड़) से संबंधित अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(a) meeting expenditure towards Publication (₹ 26.60 crore) and towards Grants-in-Aid General (₹ 133.21 crore) under Padhan Mantri Kaushal Vikas Yojna.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |
| <p>(ख) वर्ष 2017-18 के दौरान प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राज्य की जिम्मेदारियों के क्रियान्वयन के लिए वास्तविक लक्ष्यों को हासिल करने हेतु सामान्य सहायता अनुदान (₹ 222.54 करोड़) के अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए। वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 47 जिलों में प्रशिक्षुता एवं प्रशिक्षण स्कीम के अंतर्गत कौशल विकास के लिए पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु (₹ 22.37 करोड़) के लिए अनुदानों के संबंध में अतिरिक्त व्यय पूरा करने हेतु और इन तीन योजनाओं के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदानों के रूप में राज्य सरकारों को निधियां (₹ 40 करोड़) जारी करने हेतु, नामतः (i) असेवित और अनारक्षित जिलों में नए पॉलीटेक्निकों की स्थापना; (ii) चुनिंदा पॉलीटेक्निकों में महिला छात्रावास के निर्माण हेतु केंद्रीय सहायता और (iii) पॉलीटेक्निकों की अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत चुनिंदा पॉलीटेक्निकों के उन्नयन हेतु केंद्रीय सहायता।</p> <p>अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।</p> | <p>(b) meeting expenditure towards Grants-in-Aid General (₹ 222.54 crore) to achieve the physical targets for implementation of State engagements under Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana during 2017-18. Meeting expenditure towards Grants for creation of Capital Assets (₹ 22.37 crore) for skill development in 47 Distt. affected by Left Wing Extremism under the scheme Apprenticeship and Training and to release of funds (₹ 40 crore) to the State Governments as Grants for creation of Capital Assets for three schemes namely (i) Setting up of new Polytechnics in Un-served & Unreserved District; (ii) Central assistance for construction of Women's Hostel in selected Polytechnics and (iii) Central assistance for Up-gradation of selected Polytechnics under Umbrella Scheme of Polytechnics.</p> <p>Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 89

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

DEPARTMENT OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 108 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 57 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 96 देखिये)

(See page 108 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 57 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 96 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	6589.78	6589.78
पूंजी	...	318.22	318.22
जोड़	...	6908.00	6908.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	1.52	1.52
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	1.52	1.52
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	5.19	5.19
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	5.20	5.20
जोड़ (मूल और पूरक)	...	6914.72	6914.72
राजस्व	...	6596.49	6596.49
पूंजी	...	318.23	318.23

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	...	0.01 (का)	0.01
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	0.01 (खb)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	5.17 (गc)	5.17
जोड़ (राजस्व भाग)	...	5.19	5.19
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घd)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	5.20	5.20

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹ 50 करोड़), (2) अनुसूचित जातियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा (10 करोड़ ₹) तथा ओबीसी एवं ईबीसी के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (₹ 50 करोड़) (ii) इन योजनाओं के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (1) बालिका छात्रावास (₹ 50 करोड़) और (ii) बालक और बालिका छात्रावास (₹ 10 करोड़) तथा (iii) इन योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियां/वजीफे (1) अनुसूचित जातियों के लिए उच्च स्तरीय शिक्षा (₹ 10 करोड़) और (2) ओबीसी के लिए राष्ट्रीय ओवरसीज छात्रवृत्ति (₹ 20 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(a)	(i) Grants-in-aid General under the Scheme (1) National Fellowship for SCs. (₹ 50 crore), (2) Top Class Education for SCs. (₹ 10 crore) and National Fellowship for OBCs & EBCs. (₹ 50 crore), (ii) Grants for Creation of Capital Assets under the Schemes (1) Girls Hostel (₹ 50 Crore) and (2) Boys and Girls Hostel (₹ 10 crore) and (iii) Scholarships/Stipend under the Schemes (1) Top Class Education for SCs. (₹ 10 crore) and (2) National Overseas Scholarship for OBCs. (₹ 20 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) शराबखोरी और मादक द्रव्यों (ड्रग्स) के सेवन की रोकथाम (₹ 10 करोड़) (2) वृद्धजन से संबंधित कार्यक्रमों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता (₹ 10 करोड़) और (ii) सूचना और जनशिक्षा स्कीम के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 4 करोड़)। अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।	(b)	(i) Grants-in-aid General under the Scheme (1) Prevention of Alcoholism and substance (Drugs) Abuse (₹ 10 crore), (2) Assistance to Voluntary Organisations for Programme relating to Aged (₹ 10 crore) and (ii) Advertising and Publicity under the scheme Information and Mass Education (₹ 4 crore) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के तंत्र को मजबूत करना तथा अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का कार्यान्वयन (सहायता अनुदान सामान्य (₹ 5.17 करोड़)।	(c)	(i) Grants-in-aid General under section Strengthening of Machinery for enforcement of PCR Act 1955 and Prevention of Atrocities Act 1989 (₹ 5.17 crore)

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(घ)	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(d)	Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
	भारतीय औद्योगिक वित्त निगम के अंतर्गत निवेश (₹ 100.00 करोड़)		Investment under Industrial Finance Corporation of India (₹ 100crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 90

विकलांगजन सशक्तीकरण विभाग

DEPARTMENT OF EMPOWERMENT OF PERSONS WITH DISABILITIES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 109 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 58 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 97 देखिये)

(See page 109 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 58 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 97 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	822.26	822.26
पूँजी	...	32.74	32.74
जोड़	...	855.00	855.00
पूरक अनुदान:			
राजस्व	...	0.02	0.02
पूँजी	...	...	...
जोड़	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	100.00	100.00
पूँजी	...	...	...
जोड़	...	100.00	100.00
जोड़ (मूल और पूरक)	...	955.02	955.02
राजस्व	...	922.28	922.28
पूँजी	...	32.74	32.74

I. ORIGINAL GRANT:

Revenue

Capital

Total

SUPPLEMENTARY GRANT:

Revenue

Capital

Total

Supplementary Estimate of the amount now required:

Revenue

Capital

Total

Total (Original plus Supplementary)

Revenue

Capital

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारत Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	...	88.45 (का)	88.45
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	7.89 (खब)	7.89
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	3.66 (गक)	3.66
जोड़ (राजस्व भाग)	...	100.00	100.00
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2235-Social Security and Welfare	...	88.45 (का)	88.45
2552-North Eastern Areas	...	7.89 (खब)	7.89
3601-Grants-in-aid to State Governments	...	3.66 (गक)	3.66
Total (Revenue Section)	...	100.00	100.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) इन स्कीमों के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (1) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 का कार्यान्वयन (₹ 46.34 करोड़), (2) सहायक साधनों एवं उपकरणों की खरीद/फीटिंग के लिए दिव्यांगजन को सहायता (₹ 42.11 करोड़), (3) राष्ट्रीय न्यास को सहायता (₹ 3.72 करोड़) और (4) राष्ट्रीय संस्थान को सहायता (₹ 9.10 करोड़), (ii) इन स्कीमों के अंतर्गत वेतन संबंधी सामान्य सहायता अनुदान हेतु (1) राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता (₹ 10 करोड़) और (2) संकेत भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र संस्थान की स्थापना (₹ 1 करोड़), (iii) राष्ट्रीय संस्थानों को सहायता स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण के लिए अनुदान (₹ 14.48 करोड़) और (iv) इन स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/वजीफे (1) दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 11.17 करोड़) (2) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹ 2.70 करोड़) और (3) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति (₹ 5.45 करोड़)।	(a)	(i) Grants-in-Aid General under the Scheme (1) Implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 (₹ 46.34 crore), (2) Assistance to Disabled Persons for purchase/fitting to Aids and Appliances (₹ 42.11 crore), (3) Support to National Trust (₹ 3.72 crore) and (4) Support to National Institute (₹ 9.10 crore), (ii) Grants-in-aid Salaries under the Scheme (1) Support to National Institutes (₹ 10 crore) and (2) Establishment of Institute of Sign Language Research and Training Centre (₹ 1 crore), (iii) Grants for Creation of Capital Assets under the Scheme "Support to National Institutes" (₹ 14.48 crore) and (iv) Scholarships/Stipend under the scheme (1) National Fellowship for Persons with Disabilities (PwDs) (₹ 11.17 crore), (2) Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities (SwDs) (2.70 crore) and (3) Post Matric Scholarship for SwDs. (₹ 5.45 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 57.62 करोड़ की बचतों को देखते हुए इसमें ₹ 88.45 करोड़ का निवल नकद खर्च होगा।		Taking into account the saving of ₹ 57.62 crore available within the same section of the Grant this will entail a net cash outgo of ₹ 88.45 crore.
(ख)	(i) दिव्यांगजन के लिए सहायक साधनों एवं उपकरणों की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 7.89 करोड़) और (ii) इन स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्तियों/वजीफे (1) दिव्यांगजन हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप (₹ 1.24 करोड़) (2) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति (₹ 0.30 करोड़) और (3) दिव्यांगजन विद्यार्थियों हेतु मैट्रिकपश्च छात्रवृत्ति (₹ 0.60 करोड़)।	(b)	(i) Grants-in-Aid General under the Scheme Aids and Appliances for Handicapped Persons (₹ 7.89 crore) and (ii) Scholarships/Stipend under the scheme (1) National Fellowship for Persons with Disabilities (PwDs) (₹ 1.24 crore), (2) Pre-Matric Scholarship for Students with Disabilities (SwDs) (0.30 crore) and (3) Post Matric Scholarship for SwDs. (₹ 0.60 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 2.14 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 7.89 करोड़ का निवल नकद खर्च होगा।		Taking into account the saving of ₹ 2.14 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 7.89 crore.
(ग)	(i) निःशक्तजन अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन की स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान हेतु (₹ 9.30 करोड़)।	(c)	(i) Grants-in-Aid General under the Scheme for Implementation of the Persons with Disabilities Act 1995 (₹ 9.30 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध ₹ 5.64 करोड़ की बचतों को देखते हुए, इसमें ₹ 3.66 करोड़ का निवल नकद खर्च होगा।		Taking into account the saving of ₹ 5.64 crore available within the same section of the Grant, this will entail a net cash outgo of ₹ 3.66 crore.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 91

अंतरिक्ष विभाग

DEPARTMENT OF SPACE

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 110 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 59 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 98 देखिये)

(See page 110 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 59 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 98 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.60	4937.73	4938.33
पूंजी	Capital	0.40	4154.98	4155.38
जोड़	Total	1.00	9092.71	9093.71
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	61.79	61.79
पूंजी	Capital	...	3.41	3.41
जोड़	Total	...	65.20	65.20
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	340.27	340.27
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	340.28	340.28
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	1.00	9498.19	9499.19
राजस्व	Revenue	0.60	5339.79	5340.39
पूंजी	Capital	0.40	4158.40	4158.80
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3402-अंतरिक्ष अनुसंधान	3402-Space Research	...	340.27 (क)	340.27
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
5402-अंतरिक्ष अनुसंधान पर पूंजी परिव्यय	5402-Capital Outlay on Space Research	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	340.28	340.28

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- | | |
|--|--|
| <p>(क) (क) द्रव नोदन प्रणाली केंद्र (₹ 26.38 करोड़), जी.एस.एल.वी. मार्क-III विकास (₹ 67 करोड़), समानव मिशन पहल/ समानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम (₹ 12 करोड़), सेमी-क्रायोजेनिक इंजन विकास (₹ 8.21 करोड़), इसरो उपग्रह केंद्र (₹ 66.08 करोड़), इसरो दूरमिति अनुवर्तन एवं आदेश संचारजाल (₹ 12.01 करोड़), इसरो नोदन काम्प्लेक्स (₹ 5.30 करोड़), रिसैट-1ए (₹ 0.25 करोड़), रिसोर्ससैट-3 एवं 3ए (₹ 10.31 करोड़), रिसोर्ससैट-3एस एवं 3एस.ए. (₹ 4.06 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (₹ 3.55 करोड़), अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (₹ 40.38 करोड़), राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र (₹ 5.06 करोड़), भारतीय चंद्र मिशन - चंद्रयान-1 एवं 2 (₹ 8.77 करोड़), इन्सैट-4/जीसैट उपग्रह (₹ 20.44 करोड़), जीसैट-17 उपग्रह (₹ 12.91 करोड़), प्रमोचन सेवाओं को शामिल करते हुए उन्नत संचार उपग्रह (जीसैट-11) (₹ 10.75 करोड़), जीसैट-19 उपग्रह (₹ 2.80 करोड़), ओशनसैट-3 (₹ 1.99 करोड़), जीसैट-22/23/24 उपग्रह (₹ 5.07 करोड़) और इन्सैट/जीसैट प्रेषानुकरों के लिए पट्टा सेवा प्रभार (₹ 16.95 करोड़) का व्यय पूरा करना।</p> <p>‘अनुदान के पूंजीगत अनुभाग’ में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त व्यय से किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होगा।</p> | <p>(a) meeting the expenditure towards Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 26.38 crore), GSLV Mk-III Development (₹ 67 Crore), Manned Mission Initiatives/Human Space Flight Programme (₹ 12 crore), Semi Cryogenic Engine Development (₹ 8.21 crore), ISRO Satellite Centre (₹ 66.08 crore), ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (₹ 12.01 crore), ISRO Propulsion Complex (₹ 5.30 crore), RISAT-1A (₹ 0.25 crore), Resourcesat-3&3A (₹ 10.31 crore), Resourcesat-3S&3SA (₹ 4.06 crore), Indian Space Research Organisation Headquarters (₹ 3.55 crore), Space Applications Centre (₹ 40.38 crore), National Remote Sensing Centre (₹ 5.06 crore), Indian Lunar Mission - Chandrayaan-1&2 (₹ 8.77 crore), INSAT-4/GSAT Satellites (₹ 20.44 crore), GSAT-17 Satellite (₹ 12.91 crore), Advanced Communication Satellite (GSAT 11) including Launch Services (₹ 10.75 crore), GSAT-19 Satellite (₹ 2.80 crore), Oceansat-3 (₹ 1.99 crore), GSAT-22/23/24 Satellites (₹ 5.07 crore) and Service charges for leasing INSAT/GSAT transponders (₹ 16.95 crore).</p> <p>Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;</p> |
| <p>(ख) (i) द्रव नोदन प्रणाली केंद्र के मशीनरी एवं उपकरण (₹ 3.63 करोड़), रिसोर्ससैट-2ए (₹ 3.57 करोड़), कार्टोसैट-2ई (₹ 1.36 करोड़), द्वितीय रॉकेट समुच्चयन भवन का निर्माण (₹ 61.50 करोड़), आदित्य (₹ 4.74 करोड़), जीसैट-19 उपग्रह (₹ 0.84 करोड़), दक्षिण एशिया उपग्रह के भू खण्ड के लिए मुख्य नियंत्रण सुविधा (₹ 2.40 करोड़), (ii) कीज्मद/ एदातला पंचायतों के निवासियों के लिए पेय-जल आपूर्ति की दिशा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कार्य (₹ 5.85 करोड़) और इसरो नोदन काम्प्लेक्स के आवासीय कार्य (₹ 2.10</p> | <p>(b) meeting the expenditure towards (i) Machinery & Equipments for Liquid Propulsion Systems Centre (₹ 3.63 crore), Resourcesat-2A (₹ 3.57 crore), Cartosat-2E (₹ 1.36 crore), Realisation of Second Vehicle Assembly Building (₹ 61.50 crore), ADITYA (₹ 4.74 crore), GSAT-19 Satellite (₹ 0.84 crore) and Master Control Facility towards ground segments of South Asian Satellite (₹ 2.40 crore) (ii) Major Works for Vikram Sarabhai Space Centre towards drinking</p> |

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

करोड़), (iii) विद्युत प्रकाशिकी तंत्र प्रयोगशाला की सूचना प्रौद्योगिकी - मशीनरी एवं उपकरण (₹ 1.82 करोड़), इसरो दूरमिति अनुवर्तन एवं आदेश संचारजाल (₹ 1.62 करोड़), भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन मुख्यालय (₹ 2.95 करोड़), अंतरिक्ष उपयोग केंद्र (₹ 18.50 करोड़), आपदा प्रबंधन सहायता (₹ 1.77 करोड़) और भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान (₹ 1 करोड़) एवं भू-प्रेक्षण अनुप्रयोग मिशन (₹ 0.04 करोड़) हेतु व्यय को पूरा करने के लिए।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचत को ध्यान में रखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान की मांग की गई है।

water supply to the residents of Keezhmad/Edathala Panchayats (₹ 5.85 crore) and Housing works of ISRO Propulsion Complex (₹ 2.10 crore) (iii) Information Technology – Machinery & Equipments for Laboratory for Electro-Optics System (₹ 1.82 crore), ISRO Telemetry, Tracking and Command Network (₹ 1.62 crore), Indian Space Research Organization Headquarters (₹ 2.95 crore), Space Applications Centre (₹ 18.50 crore), Disaster Management Support (₹ 1.77 crore) and Indian Institute of Remote Sensing (₹ 1 crore) & Earth Observation Applications Mission (₹ 0.04 crore).

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 92

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 111 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 60 देखिये)
(See page 111 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 60 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	4767.49	4767.49
पूंजी	Capital	...	28.25	28.25
जोड़	Total	...	4795.74	4795.74
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	12.00	12.00
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	12.00	12.00
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	4807.75	4807.75
राजस्व	Revenue	...	4779.50	4779.50
पूंजी	Capital	...	28.25	28.25
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी	3454-Census Surveys and Statistics	...	12.00	12.00

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

जनगणना, सर्वेक्षण और सांख्यिकी के लिए अतिरिक्त आवश्यकता पूरा करना
(₹ 12 करोड़)।

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।

The supplementary Grant is required for:

meeting additional requirement for Census, Survey and Statistics
(₹ 12 crore).

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 94

कपड़ा मंत्रालय

MINISTRY OF TEXTILES

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 113 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 61 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 99 देखिये)

(See page 113 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 61 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 99 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	6190.98	6190.98
पूंजी	Capital	...	35.52	35.52
जोड़	Total	...	6226.50	6226.50
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	24.29	24.29
पूंजी	Capital	12.00	0.01	12.01
जोड़	Total	12.00	24.30	36.30
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	10.02	10.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	10.02	10.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	12.00	6260.82	6272.82
राजस्व	Revenue	...	6225.29	6225.29
पूंजी	Capital	12.00	35.53	47.53
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (क)	0.01
2851-ग्राम एवं लघु उद्योग	2851-Village and Small Industries	...	0.01 (ख)	0.01
2852-उद्योग	2852-Industries	...	10.00 (ग)	10.00
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	10.02	10.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	पूर्वोत्तर क्षेत्र कपड़ा संवर्धन स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान का व्यय पूरा करने के लिए (₹ 12.27 करोड़)।	(a)	Meeting expenditure towards Grants for creation of capital Assets (₹ 12.27 crore) under the scheme NER Textile Promotion Scheme.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	इस व्यय के लिए (i) वेतन के लिए (₹ 3.50 करोड़), (ii) डिजाइन और तकनीकी विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों के लिए जम्मू-कश्मीर में छात्रवृत्ति/अध्येतावृत्ति के लिए (₹ 9.00 करोड़), (iii) ग्रुप वर्कशेड योजना के तहत पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान के लिए (₹ 4.00 करोड़), (iv) रेशम उद्योग विकास योजना के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान के लिए (₹ 35.00 करोड़)।	(b)	Meeting expenditure (i) (₹ 3.50 crore) towards salaries, (ii) (₹ 9.00 crore) towards Scholarship/Stipend in J&K for trainees under the scheme Design and Technical Development, (iii) (₹ 4.00 crore) towards Grants for creation of capital assets under the scheme Group Workshed (iv) (₹ 35.00 crore) towards Grants-in-aid General under the scheme Development of Silk Industry.
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	(i) वस्त्र आयुक्त योजना के अंतर्गत वेतन के खर्च को पूरा करने के लिए (₹ 6.00 करोड़)।	(c)	(i) Meeting expenditure (Rs 6.00 crore) towards salary under the scheme Textile Commissioner.
	(ii) रिमिशन ऑफ स्टेट लेवीज (आरओएसएल) योजना के अंतर्गत अन्य प्रभारों के प्रति खर्च पूरा करने के लिए (₹ 300.00 करोड़)	(ii)	Meeting expenditure (₹ 300 crore) towards other charges under the scheme Remission of State Levies (RoSL).
	अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए, ₹ 10.00 करोड़ का तकनीकी पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the Capital Section of the Grant, a technical supplementary for ₹ 10.00 crore is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 95

पर्यटन मंत्रालय

MINISTRY OF TOURISM

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 114 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 63 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 101 देखिये)

(See page 114 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 63 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 101 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	1839.69	1839.69
पूंजी	Capital	...	1.08	1.08
जोड़	Total	...	1840.77	1840.77
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.01	0.01
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.01	0.01
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	1840.80	1840.80
राजस्व	Revenue	...	1839.72	1839.72
पूंजी	Capital	...	1.08	1.08
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grant will be accounted for under the following Major Head:				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
3452-पर्यटन	3452-Tourism	...	0.01	0.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

होटल प्रबंधन संस्थान/खाद्य शिल्प संस्थान/भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान/राष्ट्रीय जलक्रीड़ा संस्थान/राष्ट्रीय होटल प्रबंधन और कैटरिंग प्रौद्योगिकी परिषद स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान देना (₹ 20 करोड़)।

अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अपेक्षित है।

The supplementary Grant is required for:

Providing 'Grants for creation of Capital Assets' under the Scheme Assistance to Institute of Hotel Management(IHM)/ Food Craft Institutes (FCI) / Indian Institutes of Tourism and Travel Management (IITTM) / National Institute of Water Sports (NIWS) / National Council of Hotel Management and Catering Technology (NCHMCT) (₹ 20 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 96

जनजातीय कार्य मंत्रालय

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 115 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 64 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 102 देखिये)

(See page 115 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 64 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 102 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	4136.09	1133.23	5269.32
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00
जोड़	Total	4136.09	1193.23	5329.32
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	0.01	6.14	6.15
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	0.01	6.14	6.15
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	144.13	3.28	147.41
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	144.13	3.28	147.41
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	4280.23	1202.65	5482.88
राजस्व	Revenue	4280.23	1142.65	5422.88
पूंजी	Capital	...	60.00	60.00

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants/Appropriations will be accounted for under the following Major Heads:

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2251-सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251-Secretariat-Social Services	...	2.52 (का)	2.52
2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण	2225-Welfare of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Minorities	...	0.75 (खब)	0.75
2552-पूर्वांतर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (गक)	0.01
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	144.13 (घद)	...	144.13
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	144.13	3.28	147.41

यह पूरक अनुदान/विनियोग निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants/Appropriations are required for:

(क)	(i) कार्यालयी खर्च (₹ 0.85 करोड़) (ii) किराया दरों व करों (₹ 1.67 करोड़) के अंतर्गत व्यय की अतिरिक्त आवश्यकता की पूर्ति हेतु। उपर्युक्त व्यय में नकद व्यय होगा।	(a)	meeting the additional requirement for expenditure under (i) Office Expenses (₹ 0.85 crore) (ii) Rent, Rates & Taxes (₹ 1.67 crore) The above expenditure will entail a cash outgo;
(ख)	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के लिए 1. घरेलू यात्रा खर्च (₹ 0.25 करोड़), कार्यालय खर्च (₹ 0.30 करोड़) के अंतर्गत, 2. "जनजातीय उत्पादों के विकास और विपणन हेतु संस्थागत समर्थन" स्कीम के अंतर्गत वेतन सहायता अनुदान (₹ 3.20 करोड़) तथा 3. "निगरानी और मूल्यांकन" स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 1 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें नकद व्यय होगा।	(b)	1. Meeting the additional requirement for expenditure under Domestic Travel Expenses (₹ 0.25 crore), Office Expenses (₹ 0.30 crore) and Publication (₹ 0.20 crore) for National Commission of Scheduled Tribes (NCST), 2. Grants in aid-Salaries under the scheme "Institutional Support for Development and Marketing of Tribal Products" (₹ 3.20 crores) and 3. Other Charges under the scheme "Monitoring & Evaluation" (₹ 1 crore) Taking into account the savings available within the same section of the Grant this will entail a cash outgo.
(ग)	"जनजातीय उप-योजनाओं को विशेष केंद्रीय सहायता" स्कीम के अंतर्गत पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए अनुदान (₹ 60 करोड़)। अनुदान के इस भाग में उपलब्ध बचतों के मद्देनजर इसमें नकद व्यय होगा।	(c)	Grants for creation of capital assets under the scheme "Special Central Assistance to Tribal Sub-Schemes" (₹ 60 crores) Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(घ)	व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता सहायता अनुदान - सामान्य में (i) "विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) का विकास" (₹ 8.00 करोड़) (ii) "मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति" (₹ 53.90 करोड़) और (iii) "मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति" (₹ 90.23 करोड़) तथा 2. व्यय के लिए अतिरिक्त आवश्यकता "जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता" (₹ 25.00 करोड़) स्कीम के तहत पूंजीगत संपत्ति का निर्माण। अनुदान के राजस्व/पूंजी खंड में उपलब्ध बचत के अभ्यर्पण मद्देनजर उपरोक्त व्यय में कोई नकद व्यय नहीं होगा।	(d)	1. GiA General under the scheme (i) "Development of Particularly Vulnerable Tribal Groups (PVTGs)" (₹ 8 crore), (ii) "Pre-Matric Scholarship" (₹ 53.90 crore) and (iii) "Post Matric Scholarship" (₹ 90.23 crores) and 2. Grants for creation of capital assets under the scheme "Support to Tribal Research Institutes" (₹ 25 crore) Taking into account the surrender of savings available in the voted Section of the Grant, and after utilising the savings within the same section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 97

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 116 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 65 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 103 देखिये)

(See page 116 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 65 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 103 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	88.30	17356.59	17444.89
पूंजी	90.00	19242.81	19332.81
जोड़	178.30	36599.40	36777.70
पूरक अनुदान:			
राजस्व	4.00	50.04	54.04
पूंजी	...	86.03	86.03
जोड़	4.00	136.07	140.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	1120.00	1120.00
पूंजी	...	0.01	0.01
जोड़	...	1120.01	1120.01
जोड़ (मूल और पूरक)	182.30	37855.48	38037.78
राजस्व	92.30	18526.63	18618.93
पूंजी	90.00	19328.85	19418.85

II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:

II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2059-लोक निर्माण कार्य	...	100.00 (का)	100.00
2216-आवास	...	150.00 (खब)	150.00
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	870.00 (गक)	870.00
जोड़ (राजस्व भाग)	...	1120.00	1120.00
पूंजी भाग			
मुख्य शीर्ष			
4059-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	0.01 (घद)	0.01
जोड़ (पूरक)	...	1120.01	1120.01

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) स्थानीय निकायों को सेवाकर, किराया, बिजली और पानी के बिल का भुगतान (70.00 करोड़ रु.), (ii) केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्यालयी भवन के चल रहे कार्य और रखरखाव (30.00 करोड़ रु.)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(a)	i) payment of Service Tax, Rent, Electricity and water bill to local bodies (₹ 70 Crore) (ii) ongoing works and maintenance of Office Buildings of CPWD (₹ 30 Crore) Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ख)	(i) सामान्य पूल रिहायशी आवास (जीपीआरए) का रखरखाव एवं मरम्मत (50.00 करोड़ रु.), (ii) जीपीआरए के संबंध में सेवाकर, किराया, बिजली और पानी के बिल का भुगतान (100.00 करोड़ रु.)। अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।	(b)	(i) maintenance and repairs of General Pool Residential Accommodation(GPRA) (₹ 50 Crore) (ii) payment of Service Tax, Rent, Electricity and water bill in respect of GPRA (₹ 100 Crore). Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;
(ग)	(i) स्मार्ट सिटी मिशन - स्मार्ट सिटी के रूप में उनके विकास के लिए नए शहरों के चयन के कारण सामान्य सहायता अनुदान (52.00 करोड़ रु.) और पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (468.00 करोड़ रु.), (ii) स्वच्छ भारत मिशन-उत्तर प्रदेश और आंध्रप्रदेश की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजीगत आस्तियों के निर्माण हेतु अनुदान (250.00 करोड़ रु.), (iii) पूर्वोत्तर क्षेत्र शहरी विकास कार्यक्रम (एनईआरयूडीपी) - सामान्य सहायता अनुदान (75.00 करोड़ रुपये) और सामान्य सहायता अनुदान (25.00 करोड़ रुपये) ताकि ट्रांश-3 के तहत शुरू की गई परियोजनाओं की देनदारी पूरी की जा सके।	(c)	(i) Smart Cities Mission -Grants in aid General(₹ 52 crore) and Grants for creation of Capital Assets(₹ 468 crore), due to selection of new cities for their development as Smart Cities, (ii) Swachh Bharat Mission - Grants for creation of Capital Assets, to meet the requirement of Uttar Pradesh and Andhra Pradesh (₹ 250 crore).(iii) North Eastern Region Urban Development Programme (NERUDP))- Grants in aid General(₹ 75 crore) and Grants in aid General(₹ 25 crore) , to meet the liability of projects commenced under Tranche-3.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

- (घ) (i) उच्चतम न्यायालय की चल रही परियोजना और अन्य परियोजना जिनमें बांद्रा कुर्ला परियोजना तथा लेखापरीक्षा की अन्य इमारतों का निर्माण शामिल है (30.00 करोड़ रुपये), (ii) कार्य अनुबंध में इस कार्य का शामिल किया जाना- "इंडिया गेट के पास जल मार्गों में और छतरी के आसपास के पानी में रंगीन संगीतमय फव्वारे चलाने और नई दिल्ली के केंद्रीय क्षेत्र में जल मार्ग में रंगीन स्थिर फव्वारे चलाने का एसआईटीसी" (₹ 5 करोड़)।

अनुदान के उसी भाग में उपलब्ध बचतों को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।

Taking into account the surrender of savings available in the Capital Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo;

- (i) Ongoing project of Supreme court and other projects including Bandra Kurla Project and Construction of Office Buildings of Audit (₹ 30 Crore). (ii) inclusion of the work in the work Annexure - "SITC of colorful musical fountains in water channels & in water body around canopy near India Gate and colorful static fountains at water channels in Central Vista Area, New Delhi" (₹ 5 Crore)

Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 98

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 118 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 66 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 105-106 देखिये)

(See page 118 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 66 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 105-106 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

		(₹ करोड़) (In ₹ crores)		
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	1.00	8405.99	8406.99
पूंजी	Capital	4.00	799.29	803.29
जोड़	Total	5.00	9205.28	9210.28
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	423.50	423.50
पूंजी	Capital	...	0.01	0.01
जोड़	Total	...	423.51	423.51
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	727.61	727.61
पूंजी	Capital	...	2.36	2.36
जोड़	Total	...	729.97	729.97
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	5.00	10358.76	10363.76
राजस्व	Revenue	1.00	9557.10	9558.10
पूंजी	Capital	4.00	801.66	805.66
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (का)	0.01
2701-वृहत और मध्यम सिंचाई	2701-Major and Medium Irrigation	...	0.01 (खब)	0.01
3435-पारिस्थितिकी और पर्यावरण	3435-Ecology and Environment	...	224.55 (गक)	224.55
3601-राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	3601-Grants-in-aid to State Governments	...	503.04 (घद)	503.04
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	727.61	727.61
पूंजी भाग	CAPITAL SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
4701-वृहत और मध्यम सिंचाई पर पूंजी परिव्यय	4701-Capital Outlay on Major and Medium Irrigation	...	2.35 (डे)	2.35
4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजी परिव्यय	4711-Capital Outlay on Flood Control Projects	...	0.01 (चफ)	0.01
जोड़ (पूंजी भाग)	Total (Capital Section)	...	2.36	2.36
जोड़ (पूरक)	Total (Supplementary)	...	729.97	729.97

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 10 करोड़)।	(a)	Providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Flood Management Programme (₹ 10 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	अनुसंधान और विकास कार्यक्रम स्कीम के तहत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 0.50 करोड़)।	(b)	Providing Grants-in-aid General under the scheme of Research & Development Programme (₹ 0.50 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ग)	राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 224.54 करोड़)।	(c)	Providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of National River Conservation Plan (₹ 224.55 crore).
	उपयुक्त में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(घ)	(i) खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 260.31 करोड़)।	(d)	(i) Providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Flood Management Programme (₹ 260.31 crore).
	(ii) प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (हर खेत को पानी) स्कीम के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु अनुदान प्रदान करना (₹ 200.78 करोड़)।	(ii)	(ii) Providing Grants for creation of Capital Assets under the scheme of Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojna (Har Khet ko Pani) (₹ 200.78 crore).

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

(iii)	नदी प्रबंधन क्रियाकलाप और सीमावर्ती क्षेत्रों से संबंधित निर्माण कार्य स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान प्रदान करना (₹ 41.95 करोड़)।	(iii)	Providing Grants-in-aid General under the scheme of River Management Activities and Works related to Border Areas (₹ 41.95 crore).
	उपयुक्त में नकद व्यय होगा।		The above expenditure will entail a cash outgo.
(ड)	अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम स्कीम के अंतर्गत मशीनरी और उपस्कर हेतु निधियां प्रदान करना (₹ 2.35 करोड़)।	(e)	Providing funds for Machinery & Equipment under the scheme of Research & Development Programme (₹ 2.35 crore).
	अनुदान के पूंजी/प्रभारित भाग में उपलब्ध बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए उपयुक्त में कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।		Taking into account the surrender of savings available in the Capital/Charged Section of the Grant, the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
(घ)	अवसंरचना विकास स्कीम के अंतर्गत स्वच्छता कार्य योजना के तहत व्यय पूरा करना (₹ 2.90 करोड़)।	(f)	Meeting expenditure under Swachhta Action Plan under the scheme of Infrastructure Development (₹ 2.90 crore).
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 99

महिला और बाल विकास मंत्रालय

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 120 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 67 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 107 देखिये)

(See page 120 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 67 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 107 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:	I. ORIGINAL GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	22556.02	22556.02
पूंजी	Capital	...	38.65	38.65
जोड़	Total	...	22594.67	22594.67
पूरक अनुदान:	SUPPLEMENTARY GRANT:			
राजस्व	Revenue	...	0.07	0.07
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.07	0.07
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:	Supplementary Estimate of the amount now required:			
राजस्व	Revenue	...	0.02	0.02
पूंजी	Capital	...	...	...
जोड़	Total	...	0.02	0.02
जोड़ (मूल और पूरक)	Total (Original plus Supplementary)	...	22594.76	22594.76
राजस्व	Revenue	...	22556.11	22556.11
पूंजी	Capital	...	38.65	38.65
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:				
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head				
		भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग	REVENUE SECTION			
मुख्य शीर्ष	MAJOR HEAD			
2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-Social Security and Welfare	...	0.01 (का)	0.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	2552-North Eastern Areas	...	0.01 (खब)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	Total (Revenue Section)	...	0.02	0.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

(क)	(i) राष्ट्रीय पोषण मिशन-कार्यक्रम घटक स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.80 करोड़) और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (₹ 2.30 करोड़), (ii) स्वाधार गृह के अंतर्गत पूंजी आस्तियों के सृजन हेतु सहायता अनुदान (₹ 3.37 करोड़), (iii) केन्द्रीय दत्तक ऋण संसाधन एजेंसी के तहत सहायता अनुदान वेतन (₹ 1.00 करोड़) और राष्ट्रीय महिला आयोग (₹ 0.36 करोड़) और (iv) राष्ट्रीय पोषण मिशन कार्यक्रम घटक स्कीम के अंतर्गत अन्य प्रभार (₹ 81.05 करोड़)।	(a)	(i) Grants in aid General under the scheme National Nutrition Mission- Programme Component (₹ 0.80 crore) and National Commission for Protection of Child Rights (₹ 2.30), (ii) Grants in aid for Creation of Capital Assets under Swadhar Greh (₹ 3.37 crore), (iii) Grant in aid Salary under the Central Adoption Resources Agency (₹ 1.00 crore) and National Commission for Women (₹ 0.36) and (iv) Other charges under the scheme National Nutrition Mission – Programme Component (₹ 81.05 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.
(ख)	(i) "उज्जवला" स्कीम के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 2.25 करोड़) और (ii) बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत विज्ञापन और प्रचार (₹ 16.61 करोड़)।	(b)	(i) Grants in aid General under the scheme "Ujjawala" (₹ 2.25 crore) and (ii) Advertisement and Publicity under Beti Bachao Beti Padhao (₹ 16.61 crore)
	अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए सांकेतिक पूरक अनुदान मांगा जाता है।		Taking into account the savings available in the same section of the Grant, a token supplementary is sought.

अनुदानों की पूरक मांगें, 2017-2018 SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS

मांग संख्या DEMAND NO 100

युवा मामले और खेल मंत्रालय

MINISTRY OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS

(केंद्रीय सरकार की वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की मांगों का पृष्ठ 121 और वर्ष 2017-2018 की अनुदानों की पहली पूरक मांगों का पृष्ठ 68 देखिये और वर्ष 2017-2018 का अनुदानों की दूसरी पूरक मांगों का पृष्ठ 108 देखिये)

(See page 121 of the Demands for Grants of Central Government for the year 2017-2018 and page 68 of the First Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018 and page 108 of the Second Supplementary Demands for Grants for the year 2017-2018)

(₹ करोड़) (In ₹ crores)

	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
I. मूल अनुदान:			
राजस्व	...	1888.46	1888.46
पूंजी	...	54.75	54.75
जोड़	...	1943.21	1943.21
पूरक अनुदान:			
राजस्व	96.87	0.03	96.90
पूंजी	...	...	...
जोड़	96.87	0.03	96.90
इस समय आवश्यक रकम का पूरक अनुमान:			
राजस्व	...	19.02	19.02
पूंजी	...	...	...
जोड़	...	19.02	19.02
जोड़ (मूल और पूरक)	96.87	1962.26	2059.13
राजस्व	96.87	1907.51	2004.38
पूंजी	...	54.75	54.75
II. इस पूरक अनुदान का हिसाब निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत दिखाया जायेगा:			
II. This Supplementary Grants will be accounted for under the following Major Head			
	भारित Charged	स्वीकृत Voted	जोड़ Total
राजस्व भाग			
मुख्य शीर्ष			
2204-खेल और युवा मामले	...	19.01 (क)	19.01
2552-पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	0.01 (ख)	0.01
जोड़ (राजस्व भाग)	...	19.02	19.02
REVENUE SECTION			
MAJOR HEAD			
2204-Sports and Youth Services	...	19.01	19.01
2552-North Eastern Areas	...	0.01	0.01
Total (Revenue Section)	...	19.02	19.02

यह पूरक अनुदान निम्नलिखित हेतु अपेक्षित है:

The supplementary Grants are required for:

- (क) (i) इन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (1) 25 राष्ट्रीय एकता शिविर और राष्ट्रीय युवा उत्सव के लिए युवा एवं किशोर विकास हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (₹ 6 करोड़) (₹ 4.54 करोड़ सामान्य घटक, (₹ 0.97 करोड़ एससीएसपी घटक और (₹ 0.49 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत) (2) एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) (₹ 2.12 करोड़)। (₹ 1.63 करोड़ सामान्य घटक, (₹ 0.33 करोड़ एससीएसपी घटक और (₹ 0.16 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत), (3) खेलो इंडिया (₹ 20 करोड़) और (4) नेहरू युवा केंद्र संगठन (₹ 6 करोड़) (₹ 5 करोड़ सामान्य घटक, (₹ 0.50 करोड़ एससीएसपी घटक और (₹ 0.50 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत) (ii) इन योजनाओं के तहत वेतन सहायता अनुदान (1) एनवाईकेएस (₹ 4.01 करोड़) (2) भारतीय खेल प्राधिकरण (₹ 14.73 करोड़) और (3) राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी को देय राशि (₹ 0.15 करोड़) (iii) इन मदों पर व्यय हेतु (1) युवा छात्रावास वार्डन और प्रबंधक (₹ 0.12 करोड़) (2) विशेष नकद पुरस्कार (₹ 4.13 करोड़), (3) बांग्लादेश, पुर्तगाल और ट्यूनिशिया के विदेशी शिष्टमंडल पर हुए व्यय के भुगतान हेतु अंतरराष्ट्रीय सहयोग (₹ 1 करोड़)।
- अनुदान के पूंजी भाग में उपलब्ध ₹ 19.01 करोड़ की बचतों के अभ्यर्पण को देखते हुए और अनुदान के इसी भाग में बचतों के रूप में उपलब्ध ₹ 39.25 करोड़ की राशि को देखते हुए उपर्युक्त व्यय में कोई अतिरिक्त नकद खर्च नहीं होगा।
- (ख) नेहरू युवा केंद्र संगठन योजनाओं के अंतर्गत सामान्य सहायता अनुदान (₹ 0.53 करोड़) (₹ 0.50 करोड़ सामान्य घटक, (₹ 0.02 करोड़ एससीएसपी घटक और (₹ 0.01 करोड़ टीएसपी घटक के अंतर्गत)।
- अनुदान के इसी भाग में उपलब्ध बचतों को देखते हुए इसमें कोई अतिरिक्त नकद व्यय नहीं होगा।
- (a) (i) Grants-in-aid-General under the Schemes (1) National Programme for Youth and Adolescent Development (NPYAD) for "25 National Integration Camp and National Youth Festival" (₹ 6 crore) [₹ 4.54 crore General Comp., ₹ 0.97 crore under SCSP Comp. and ₹ 0.49 crore under TSP Comp.], (2) National Service Scheme (NSS) for "Ek Bharat Shresth Bharat" (₹ 2.12 crore) [₹ 1.63 crore General Comp., ₹ 0.33 crore under SCSP Comp. and ₹ 0.16 crore under TSP Comp.], (3) Khelo India (₹ 20 crore) and (4) Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) (₹ 6 crore) [₹ 5 crore General Comp., ₹ 0.50 crore under SCSP Comp. and ₹ 0.50 crore under TSP Comp.], (ii) Grants-in-aid-Salaries under the Schemes (1) NYKS (₹ 4.01 crore) (2) Sports Authority of India (₹ 14.73 crore) and (3) National Anti-Doping Agency due (₹ 0.15 crore) (iii) Meeting expenditure towards :- (1) Youth Hostel Wardens and Managers (₹ 0.12 crore), (2) Special Cash Awards (₹ 4.13 crore), (3) International Cooperation for payment of expenditure on foreign delegation of Bangladesh, Portugal and Tunisia (₹ 1 crore)
- Taking into account the surrender of savings available of ₹ 19.01 crore in the Capital Section of the Grant and an amount of ₹ 39.25 crore is available as saving within the same section of the Grant and the above expenditure will not entail any additional cash outgo.
- (b) Grants-in-aid-General under the Schemes Nehru Yuva Kendra Sangathan (NYKS) (₹ 0.53 crore) [₹ 0.50 crore under General Comp., ₹ 0.02 crore under SCSP Comp. and ₹ 0.01 crore under TSP Comp.]
- Taking into account the savings available in the same section of the Grant, this will not entail any additional cash outgo.